खण्ड-243, अंक-3
सोमवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(9 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२७९–२८३
प्रश्नोत्तर	२८३–३४२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३४२
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज़ पर रखे गये)	३४२
शासन द्वारा नियुक्त गोमती बांध के टूटने के कारणों की जांच समिति, १९६० का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	३४२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३४३
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३४३
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३४३
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	३४३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	३४४
प्रश्न का उत्तर न मिलने की शिकायत	३४४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३३५–३४९
श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में प्रतिशपथ-पत्र निवेषित करने की सूचना	३४९–३५१
साप्ताहिक कार्य-क्रम	३५१–३५२
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया)	३५२
परिवहन विभाग की विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखने में विलम्ब ..	३५३
उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	३५३–३८६
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (पुरः स्थापित किया गया)	३८६–३८७
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय––विचार जारी)	३८७–३९२
१९५९–६० के अतिरिक्त व्यय की मांगें (प्रस्तुत की गयीं) ..	३९२
१९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	३९३
नत्थियां	३९४–४३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कमलापतित्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया,श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीलाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री

सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पटेल जांच आयोग

**१—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पटेल आयोग के अधिकारियों ने प्रान्तीय सरकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये विचार-विमर्श किया है और अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं? यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया है और क्या सरकार उनकी सिफारिशों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

मुख्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

संयुक्त जांच समिति ने पिछले १८ नवम्बर को प्रदेश सरकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। समिति की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है, इसलिये उसकी सिफारिशों पर कोई निर्णय लेने का प्रश्न या उन्हें सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

**२—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कुल कितने रुपये की योजना बनाई गई है और प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से कितने रुपये की मांग की है?

श्री बंशीधर पांडेय—

पूर्वी जिलों के विकास के लिये अभी कोई अलग नई योजना नहीं बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट मिलने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जायगा। योजना आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि प्रदेश की योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के अतिरिक्त और किन-किन कार्यक्रमों की वृद्धि की जाए।

**३—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पटेल जांच आयोग ने सैम्पुल सर्वेक्षण के अतिरिक्त और कौन-कौन से जिले इस सिफारिश में शामिल करने का फैसला किया है और उनमें हर जिले पीछे कितने रुपये की योजना है तथा क्या यह सही है कि गाजीपुर में गंगा पर तथा घाघरा पर दोहरी घाट-बरहेलगंज में पुल बनाने की भी योजना है?

श्री बंशीधर पांडेय—

जहां तक सरकार को ज्ञात है जांच समिति अन्य जिलों को जांच में सम्मिलित करने का विचार नहीं रखती है। गाजीपुर में गंगा और दोहरी घाट में घाघरा के पुलों की आवश्यकता के सम्बन्ध में जांच समिति विचार कर रही है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश की बाढ़ निरोधक योजनाओं के लिये समिति ने कोई सिफारिशें भेजी हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी सिफारिशें, जैसा कि मैंने निवेदन किया, आई ही नहीं हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

संयुक्त समिति ने जो जांच की थी उसके समक्ष सरकार की ओर से पूर्वी प्रदेश के विकास के लिये बाढ़, सड़क या उद्योगधंधों से सम्बन्धित सिफारिशें या सुझाव भेजे गये?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब स्टडी टीम की बैठक सरकार के और अधिकारियों के साथ हुई तो उस समय कुछ योजना अवश्य प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जब तक प्लानिंग कमीशन से उसकी स्वीकृति न हो जाय तब तक निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वे योजनायें सरकार की अधिकृत हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आयोग से सहमति प्राप्त हो जाने के बाद सरकार उस सुझाव को कब प्रदेश में लागू करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

स्टडी टीम से रिपोर्ट मिलने पर प्रदेशीय सरकार प्लानिंग कमीशन से बातचीत करेगी और उसके बाद उस पर निर्णय लेगी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलावेंगे कि दोहरीघाट का पुल पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक स्वीकृति के बावजूद भी नहीं बनाया गया है और क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसी प्राप्त सूचना है यह पुल थर्ड फाइव-ईयर प्लान में है और उसका प्लान और ऐस्टीमेट भी तैयार होने जा रहा है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सुल्तानपुर का जिला पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में है और वह कभी धोखे से इधर और कभी उधर हो जाता है, तो क्या कोई स्कीम सुल्तानपुर के बारे में भी सोची जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

४ जिलों की सैम्पिल स्टडी टीम की रिपोर्ट आने पर, हम डेफीनिट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सम्भावना हो सकती है कि इस प्रकार के जिलों पर ऐसी योजनायें लागू करने पर विचार किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने अभी हाल में—जैसा अखबारों में छपा है—पूर्वी प्रदेश के विकास के लिये केन्द्र से मांग की थी कि २, ३ वर्ष में योजना बनाकर ४५ करोड़ रुपये वह प्रदेशीय सरकार को दे तो उसका क्या हुआ ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

४५ करोड़ या किसी खास रकम के लिये मैंने नहीं कहा है। मगर रिपोर्ट आने पर हम ज्यादा से ज्यादा रकम लेने की कोशिश करेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित उन खबरों की ओर गया है जिनमें बतलाया गया है कि पटेल आयोग ने पूर्वी प्रदेश के विशेष विकास के लिये ४५ करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत की हैं ? यदि हां, तो सरकार के पास रिपोर्ट कैसे नहीं आई और अखबारों में कैसे छप गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अखबार वालों से पूछिये कि अखबार में कैसे छपा है। हमको अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।

कलेक्टरी कर्मचारियों का रिटायरमेंट

**४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि G.O. no. 5527/II-B—260-1962, दिनांक १६ अक्तूबर, १९६३ के अन्तर्गत जिन अहलकारान कलेक्टरी की तारीख पैदाइश १-१-१९०९ है उन्हें ३१ दिसम्बर, १९६३ को रिटायर कर दिया जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जी नहीं।

किशऊ बांध योजना

**५—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किशऊ डैम के निर्माण तथा उससे उपलब्ध साधनों तथा उस पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में हाल में ही दिल्ली में केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्यों की कोई बैठक बुलाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे? यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय हुए हैं?

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां। निर्णय की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९४ पर)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि किशऊ डैम की योजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कब से विचार किया है और इस वक्त उस योजना का कौन चरण शुरू है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस डैम को बनाने की बात सब से पहले १९४३ में आरम्भ हुई थी जिस वक्त कि यहां वह सरकार थी जो कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में यहां काम करती थी और सर विलियम स्टाम्प जो यू० पी० में पहले थे उनके दिमाग में यह बात आई और पंजाब और यू० पी० के बीच उस वक्त से ही कुछ बात चीत जारी थी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, मन्त्री जी यह बताना भूल गये कि किस चरण में यह योजना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो उस पर इन्वेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में बातचीत शुरू की तो पंजाब सरकार ने किसी नैनीताल में हुए समझौते के आधार पर, कुछ आपत्तियां उठाई थीं और वह किस प्रकार की थीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नैनीताल में जो बातचीत हुई थी उसके बाद यू० पी० सरकार ने पंजाब सरकार को कई बार लिखा कि उसको चलाया जाय, सन् १९४६ में चूंकि उस वक्त भाखरा डैम की स्कीम ले ली गई थी इसलिये कोई जवाब नहीं दिया था और बात खत्म हो गई थी।

श्री उग्रसेन—

किशऊ डैम की योजना कितने करोड़ रुपये की थी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो अभी इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर है, यह इस वक्त अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री उग्रसेन—

'इन्वेस्टीगेशन स्टेज' का मतलब क्या हुआ यह वह बता दें।

श्री अध्यक्ष—वह आप जानते हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, वह छिपाने के लिये कह रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या जब सन् १९४६ में पंजाब सरकार ने इस को मानने से इंकार कर दिया था तो अब केन्द्रीय सरकार ने जो मीटिंग बुलाई है तो क्या अब पंजाब सरकार राजी है कि इस योजना को लागू किया जाय और वह इस के निर्माण और स्वरूप में यू० पी० सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप आज्ञा दें तो मैं डिटेल में बता दूं।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बता दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह डैम ऐसा है कि जिस का आधा हिस्सा हिमांचल प्रदेश का है और आधा यू० पी० का है और जो क्षेत्र सब मर्ज होगा वह हिमांचल प्रदेश का पड़ता है इस लिये आपस में यह तय हुआ कि इसको यू० पी० सरकार बनायेगी और वह हिमांचल प्रदेश से भी सहायता लेगी और उसका लाभ पंजाब, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली और यू० पी० को होगा और जितना जो लाभ उठायेगा वह उस हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो किशऊ डैम योजना है इसका क्या अनुमान है, कितनी भूमि इस से सिंचित होगी, कितनी बिजली मिलेगी और उससे कितनी भूमि इस प्रदेश की और कितनी हिमांचल प्रदेश की जलप्लावित होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह डिटेल्स तो अभी इन्वेस्टीगेशन स्टेज में हैं और बहुत लम्बे हैं, यदि आप मेरे कमरे में आने का कष्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो लाभ उसका होगा उसका आधा भाग हम लगे और आधा वह सब मिलकर लगे।

चमोली के निकट पहाड़ फिसलने से दुर्घटना

**६—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चमोली के पास लैंड स्लायड द्वारा गत अक्तूबर, १९६३ में २३ या २४ तारीख को जो दुर्घटना हुई थी उसमें क्या स्वायत्त शासन विभाग के एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक ओवरसियर और एक चपरासी की मृत्यु सरकारी काम करते हुये पहाड़ के टूटने पर उस से दब कर हो गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

जी हां ।

**७--श्री ईश्वरशरण (अनुपस्थित) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सरकार उक्त चारों परिवारों के आश्रितों के भरण पोषणार्थ कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि हर परिवार को कितना-कितना किस-किस रूप में सहायता देने का कब तक वह विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां । उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (Extra Ordinary Pension) नियमों तथा उत्तर प्रदेश Retirement Benfits Rules, १९६१ के अन्तर्गत प्रत्येक को जो कुछ भी परिवारिक पेंशन और Gratuity मिलेगी वह अवश्य दी जायेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके बाद भी उनको कम्पेनसेशन के रूप में धन देने का सरकार विचार कर रही है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

जिन नियमों का हवाला दिया गया उनके अनुसार जो कुछ उनको दिया जा सकता है वही दिया जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि चूंकि उन लोगों की मृत्यु आकस्मिक और कार्य करते समय हुई है, अतः उनके आश्रितों को उचित मुआवजा एक मुश्त दे दिया जाय जिससे उनके परिवार का भारण-पोषण हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नियमानुसार जितना ज्यादा उनके हक में किया जा सकता है वह किया जायगा ।

श्री उग्रसेन--

इस दुर्घटना की सरकार ने कोई जांच कराई ? यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इसकी जांच ट्रांसपोर्ट विभाग से हुई थी । नतीजे से मैं इस समय अवगत नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या २ ।

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो माननीय चन्द्रबलीसिंह के हैं ले लिये जायं । आप पहले भी इस सम्बन्ध में कह चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था, यद्यपि नियमानुसार मैं नहीं ले सकता । लेकिन अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय झारखण्डेराय जी ने प्रश्न उठाया था तो मैंने कहा था कि अगर माननीय

सदस्य आ जायं तो मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न के पहले अलग से ले लिया करूंगा। इतना ही मैं कर सकता हूं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर में अनधिकृत निर्माण

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर सिटी मैजिस्ट्रेट ने नगर में बने कई नये मकानों के मालिकान को आदेश दे दिया है कि वह अपने मकान ७ दिन के अन्दर गिरा दें नहीं तो उनके मकान जबरन गिरा दिये जावेंगे और उन पर फौजदारी मुकदमे चलाये जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा ६ का उल्लंघन किया और बिना नियत प्राधिकारी (Prescribed Authority) की स्वीकृति के मकान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया। ऐसे लोगों को उक्त अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत Show Cause नोटिस देने के बाद भवन गिराने का आदेश जारी किया गया।

कानपुर में पानी तथा बिजली का संकट

*२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को पता है कि कानपुर में गंगा के उथ्राव की ओर बढ़ते हुये कटाव से शहर में पानी के लिए एक भीषण संकट की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस दृष्टि से सुधार के लिये किन प्रयत्नों पर विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। यह स्थिति कई साल से चल रही है और कानपुर नगर के बिजली घर व जलकल विभाग को पानी लेने के लिये गंगा से ड्रेजर्स के द्वारा काट कर एक चैनल बनाई जाती है। इस चैनेल द्वारा आये हुये जल से कानपुर नगर को बिजली तथा पानी मिलता है। प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद बाढ़ कम होने पर यह चैनल बालू से पट जाती है और इसको ठीक करने में कुछ समय लग जाता है। कभी-कभी गंगा में बाढ़ के बाद पानी इस तेजी से कम हो जाता है कि इस चैनेल को साफ करने और शहर के लिये जल की व्यवस्था को जारी रखना कुछ दिन के लिये कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति इस वर्ष भी हुई, लेकिन पेयजल की व्यवस्था नगरमहापालिका ने नहर गंगा से पानी ले कर जारी रक्खी।

हाल ही में विद्युत विभाग द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई हैं जो कानपुर (River side Power House) के लिये ठंडे पानी की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करेगी। यह कमेटी कानपुर नगर में पीने के पानी देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मंत्री जी ने कहा कि कई सालों से इस प्रकार की स्थिति कानपुर में है, तो इस समय तक सरकार ने इस कमेटी के अलावा कोई और प्रयत्न किया है या कमेटी ही पहला और अन्तिम प्रयत्न है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कई सालों से जो स्थिति है उसी के लिये व्यवस्था की गई थी कि ड्रेजर निरन्तर काम कर रहे थे और बालू को अलग करके पानी को पावर हाउस तक लाने के प्रयत्न कर रहे थे। अतः वह व्यवस्था निरन्तर जारी थी। इस समय चूंकि विशेष परिस्थिति हुई इसलिये इस कमेटी को बनाना पड़ा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जो पीने के पानी के लिए कई साल से संकट आया उसके लिये नहर काट कर पानी की व्यवस्था की गयी। यह व्यवस्था तो बहुत टेम्पोरेरी व्यवस्था है उसको स्थायी रूप से हल करने के लिये क्या व्यवस्था की है और उस पर क्या ध्यान दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पीने के पानी के लिये तो थोड़ी देर के लिये नहर से हो सकता है। जो वहां पर बार-बार दिक्कतें आती हैं, उनके लिये सोचा गया था कि किसी प्रकार रिवर को ट्रेन कर दिया जाय। गंगा नदी और भूमि कटाव को रोकने के लिये एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई गयी थी, लेकिन अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हुई है।

श्री उग्रसेन—

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी ने उसे देखा नहीं। अगर वे देखते और पुरानी फाइलों को पढ़ते तो मालूम हो गया होता कि ये बुराइयां हैं। इसके पहले इस बात की रिपोर्ट की गयी थी कि गंगा निरन्तर काट रही है। तो अगर जमीन का काटव रोका नहीं गया तो पानी दूर होता जाएगा। तो अगर उस कटाव को रोक दिया गया होता तो पानी दूर न गया होता।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो कटाव है उसको रोकने के लिये व्यवस्था हो रही है। जहां तक पेय जल का सम्बन्ध है इससे पहले पेय जल की दिक्कत शहर में कभी नहीं आयी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल जो भीषण संकट आया उस से श्रमिकों तथा उद्योगपतियों को कितने लाख रुपये की क्षति हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गंगा चैनल के काम के लिये जो ड्रेजर्स काम करते हैं स्वायत्त शासन विभाग के और बिजली विभाग के उन दोनों के काम में सामंजस्य बनाने की क्या स्थिति है ? उन दोनों विभागों के ड्रेजर्स के काम करने में एक सामंजस्य पैदा करने के लिये सरकार ने क्या निश्चय किया है और क्या आज्ञायें सरकार ने प्रसारित की हैं ?

श्री अध्यक्ष---

पीने के पानी के लिये प्रश्न है। चैनल दोनों की एक ही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह तो विद्युत् विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के कोआर्डिनेशन से काम होता था। दोनों मिल-जुल कर ही करते हैं। कोई विशेष रूल्स की जरूरत नहीं है।

श्री शारदानन्द---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वप्रथम यह संकट कब आया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग ने बिजली विभाग से अलग अपनी योजना बनायी है ? अगर नहर से पानी लेने के लिये ड्राप कर दें तो फिर क्या करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अलग से कोई योजना नहीं है। अगर कोई योजना है तो फिर काम एक तरीके का है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

प्रश्न मैंने इसलिये किया था कि कानपुर के वाटर वर्क्स के ड्रेजर्स और बिजली घर के ड्रेजर्स में तालमेल नहीं है। क्या यह सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह सही नहीं है, और अगर ऐसा है तो तालमेल जरूर होगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

जब दो बार कानपुर में यह संकट उत्पन्न हुआ तो सरकार इसके लिये क्या इन्तजाम कर रही है कि दोबारा यह संकट इस भीषण रूप में कानपुर के सामने न आये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इस संकट को दूर करने के लिये इस कमेटी को बनाने की अवश्यकता हुई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मथुरा जेल में बन्दी की मृत्यु

*१---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६३ में जिला जेल, मथुरा में कोई नौजवान मरा है ? यदि हां, तो उस मृतक को जेल में लाते समय शरीर में कितने निशान चोटों के थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां। जेल के डाक्टर ने बन्दी की जेल में भरती के समय उसके शरीर पर ६ साधारण चोटों के निशान पाए थे।

*२---श्री लखीसिंह---

क्या यह सत्य है कि उक्त मृतक को मथुरा कोतवाली पुलिस ने कोतवाली में बन्द करके बुरी तरह पीटा था ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लखीसिंह---

क्या माननीय मंत्री हमको यह ज्ञान करायेंगे कि मृतक की मृत्यु जेल में कितने घंटे के बाद हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

२ जून, १९६३ को १२ बजे के बाद वह वहां दाखिल हुआ, ४ जून को तबियत खराब हुई और ५ जून को उसकी मृत्यु हुई ।

श्री लखीसिंह---

मृतक के शरीर पर कितनी चोटें थीं ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो बतला दिया गया।

श्री लखीसिंह---

मैं यह पूछ रहा हूं कि किस-किस जगह किस-किस प्रकार की चोटें थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उसके साधारण चोटें थीं। ३ चोटें डंडे से बतलाई जाती हैं। बाकी चोटें रगड़ से हो सकती हैं। यह रिपोर्ट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। किस जगह पर चोटें थीं यह मैं नहीं बतला सकता।

श्री लखीसिंह---

ये चोटें कोतवाल के मारने से आईं हैं और अगर कोतवाल ने नहीं मारा तो क्या जेल में मारा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

कहा यह जाता है कि जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया उसी वक्त मारपीट हुई और उसको पकड़ने के समय में ही चोटें आईं ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

प्रमुख रूप से कौन-सी ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वह मर गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उसको बाई लेटरल निमोनिया बतलाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

पोस्टमार्टम में कितनी चोटें बतलाई गयी हैं और उसकी मौत का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जब पोस्टमार्टम रपट नहीं है तो चोटों के बारे में मंत्री महोदय ने कैसे उत्तर दिया? दूसरे चोरी करते समय अगर वह पीटा गया और हवालात में नहीं आया था तब पुलिस ने डाक्टरी मुआइना कराया था और उसकी रपट मंत्री जी के पास है या नहीं है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि जब जेल में कोई भी आदमी भर्ती होता है तो जेल का डाक्टर मुआयना करता है और उसके जो चोटें होती हैं उनको दर्ज करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिस समय वह मुलजिम पुलिस की हिरासत में आया और उसको काफी पब्लिक द्वार चोटें पहुंचायी गयी थीं तो क्या पुलिस ने उसका डाक्टरी मुआयना कराया? यदि हां, तो क्या उसकी रपट मंत्री जी के पास है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया कि मेरे पास यह सूचना है कि जेल के डाक्टर ने जब मुआयना किया तो चोटें मालूम हुईं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उसे बाइलेटरल निमोनिया था, तो जिस समय वह भरती हुआ तो जो डाक्टरी परीक्षा की जाती है उसमें क्या बुखार भी दिखाया गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अर्ज किया था कि वह २ तारीख को जेल में आया। ४ तारीख को उसकी तबियत खराब हुई। उसके बाद निमोनिया वगैरह की बीमारी मालूम हुई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का यह कारण बतलाया गया है कि निमोनिया से हुई।

जिला गोंडा के उत्तरी तराई वन से किसानों के शिकायती-पत्र

*३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के उत्तरी तराई के वन के किनारे बसे हुये किसानों के कितने शिकायती पत्र बहुत दिनों से जोते हुये खेतों के सम्बन्ध में हाल में प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो सरकार उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जिला गोंडा के उत्तरी तराई के वन के किनारे बसे हुये किसानों के १४ प्रार्थना-पत्र हाल में प्राप्त हुये थे, जो वन बन्दोबस्त अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं।

*४—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि ग्राम मजगवां, भरपूर चेतियां, तेंदुआनगर, गोइनखां, गिरगिटही, दलपतपुर, आदि ग्रामों, पो० गुगौली, हरैया, के किसानों के शिकायती पत्र में १०, १२, १५ वर्ष पूर्व से जंगल के किनारे पड़ी हुई भूमि पर कृषि करते रहने का संकेत है? यदि हां, तो सरकार जांच करा कर उक्त भूमि का लगान बांध कर उनके नाम पट्टा कराने की कृपा करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इस प्रकार का संकेत केवल २ प्रार्थना-पत्रों में है। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः पट्टा देने का प्रश्न नहीं उठता।

*५--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या उक्त समस्या जो सारे प्रदेश के जंगल के किनारे बसे हुये किसानों के सम्बन्ध में है, उसके लिए जांच कमीशन नियुक्त कराकर किसानों तथा भूमिहीनों को देने की व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सरकार ने बन बन्दोवस्त अधिकारी इसी उद्देश्य से नियुक्त कर रखे हैं कि किसी किसान की अपनी निजी भूमि वन सीमा के अन्तर्गत आ जाने की शिकायत हो, तो ऐसे किसान को वन बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में उज्रदारी कर सकने का मौका मिल सके तथा यदि उसके फैसले से अशान्तुष्ट हों तो निर्धारित समय के अन्दर उसकी अपील भी हो सकती है, अतः जांच कमीशन नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो दरख्वास्तें आयीं वे कब-कब आयीं और उन पर कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिन १४ दरख्वास्तों का मैंने उल्लेख किया है ये सितम्बर, १९६१ से १ अगस्त, १९६३ तक आयी हैं।

श्री सुखदेवप्रसाद--

मैंने यह पूछा था कि उन पर कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

वहां सेटिलमेंट का कार्य प्रारम्भ है और जैसे जैसे वन बन्दोबस्त अधिकारी के सामने दरख्वास्तें आ रही हैं उन पर वह निर्णय ले रहा है। अब तक एक दरख्वास्त का फैसला हुआ है और बाकी अभी विचाराधीन हैं।

बस्ती तथा गोरखपुर जिलों से चोर बाजारी

*६--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के नौतनवां, सोनोली तथा बस्ती जिले के ककरहवा, शोहरतगढ़ आदि स्थानों से चीनी, गेहूं, बिस्कुट, सीमेंट तथा मिट्टी का तेल चोरबाजारी से नैपाल के द्वारा तिब्बत को जा रहा है?

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

सरकार को ऐसी सूचना नहीं प्राप्त है जिससे यह प्रतीत हो कि बस्ती तथा गोरखपुर जिलों से कोई वस्तु चोरबाजारी से नैपाल द्वारा तिब्बत को भेजी जाती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर जिले में नौतनवां से ३ मील दूर पर चीनी ट्रक में कुछ तो मिश्री बना कर और कुछ वैसे ही भेजी गई थी जो पकड़ी गई है? दूसरे इसी पुरन्दरपुर थाने में नैपाल को चीनी जा रही थी वह पकड़ी गई है?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

कोई खास सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जानकारी करने की चेष्टा की गई थी। इसमें बहुत-सी बातें हैं और चूंकि नैपाल से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं इसलिये इस पर ज्यादा पूछताछ न करें तो उचित होगा। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें प्रतिबन्ध है और कुछ ऐसी हैं जिनमें प्रतिबन्ध नहीं है। खास कर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने के लिये चावल पर प्रतिबन्ध है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें रेस्ट्रिकशन्स नहीं हैं जहां तक नैपाल का सम्बन्ध है। अगर कोई चीज चली जाती है तो ज्यादा ध्यान की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो ऐसे अधिकारियों का, जो इन मामलों से सम्बन्धित थे, स्थानान्तरण वगैरा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री महोदय ने कह दिया है कि वह फ्रैंडली स्टेट है, अगर न पूछें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे यहां बहुत सी चीजों की जो प्रश्न में दी गई हैं, उनकी कमी है, उनका हमारे यहां अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो सके, इसको देखते हुये ऐसा इन्तजाम करेंगे जिससे ये चीजें उस समय तक बाहर न जा सकें जब तक हमारे यहां कमी न दूर हो जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आप को परेशानी न हो और यहां की परेशानी कम हो जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने जैसा कि अर्ज किया, जितनी चीजों पर रोक है उनको कानून के अन्तर्गत रोक रहे हैं। जैसे नमक है, उसका मूवमेंट नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अधिक मात्रा में दे देती है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप ही विस्तार बढ़ाते हैं।

*७-८--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

[१२ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न २८-२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

[९ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१--श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नगरपालिका सहारनपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध जो शिकायतें मंत्री जी को उनके दौरे के समय गत अप्रैल महीने में लोगों ने दीं, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ५ अप्रैल का जिस पर सर्वश्री रियाज अहमद, जयप्रकाश, हरबंसलाल आदि के हस्ताक्षर थे, प्राप्त हुआ था, उसमें सहारनपुर के गांधी पार्क में पब्लिक हाल के और कुछ सड़कों और क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। अभी जिलाधीश द्वारा जांच कराई जा रही है।

*२--श्री ब्रह्मदत्त मायर (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बढ़ते हुये भ्रष्टाचार की जांच के लिये सरकार कोई जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सरकार जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर यदि आवश्यक समझा जाता है, तो जांच कराई जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

भोगांव तहसील में शक्कर वितरण

*३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव में भोगांव, बेवर, नगरीगंज, कुसमरा, किशनी, इलाबांस, कटरासमान के बाजार के हलवाइयों को शक्कर का कोटा देने के लिये किस-किस को (ए) और किस किस को (बी) और किस-किस को (सी) क्लास का दूकानदार माना है और (ए) व (बी) व (सी) मानने का आधार क्या रक्खा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

भोगांव तहसील के उक्त बाजारों के हलवाइयों की †सूची जिसमें उनका क्लास भी अंकित है संलग्न है। जिला अधिकारियों ने हलवाइयों आदि को (ए) व (बी), (सी) व (डी) वर्ग में निम्नलिखित आधार पर विभाजित किया है :--

(१) गत १९५९-६१ चीनी वितरण योजना में जो हलवाई जिस क्लास में रखे गये थे सामान्यतः इस योजना में भी उसी क्लास में रखे गये हैं।

(२) जो हलवाई सेल्स टैक्स तथा इन्कम टैक्स देते हैं और अपने असेसमेंट आर्डर जिलापूर्ति कार्यालय में दाखिल करते हैं उनको (ए) क्लास में रखा गया है चाहे वे गत नियंत्रण में भले ही (बी) क्लास में रहे हों।

(३) नये हलवाइयों को तहसीलदार, विकास खंड अधिकारी तथा जिला पूर्ति निरीक्षक की सिफारिशों के आधार पर (बी), (सी) व (डी) क्लास में रखा गया है, उक्त अधिकारियों ने मौका मुआइना के पश्चात् ही सिफारिश की थी।

(४) टोस्टाल तथा ठेलों पर कार्य करने वालों को अधिकतर (डी) क्लास में रखा गया है। उक्त प्रकार के हलवाइयों का मासिक कोटा इस प्रकार है :

	किलोग्राम
ए	६०
बी	४०
सी	३०
डी	२०

*४--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त हलवाइयों को इस वर्ष शक्कर का कोटा हर एक को कितनी-कितनी बार दिया जा चुका है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उपरोक्त आधार पर कार्ड बन जाने के बाद ही हलवाइयों को बराबर कोटा मिलना शुरू हुआ। मई से सितम्बर तक नबीगंज, भोगांव, इलाबोस तथा कटरासमान के हलवाइयों का पांच बार और बेवर, कुसमरा, किशनी के हलवाइयों को चार-चार बार शकर का कोटा दिया जा चुका है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सत्य है अथवा नहीं कि जिन लोगों ने रिश्वत दे दी उनको ए और बी क्लास में रख दिया गया और जिन्होंने रिश्वत नहीं दी उनको सी और डी क्लास में रख दिया गया ? क्या सरकार दूकानदारों से इस मामले में जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को कोई ऐसी इत्तला नहीं है क्योंकि यह बड़ा गलत काम है। अगर आप किसी का गलत नाम बता दें तो इन्क्वायरी कर ली जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हलवाइयों को जो कोटा दिया गया है उसमें सारे प्रदेश में एक ही नीति बरती गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नियम यह है कि कुछ जिलों में सारे जिले के कोटा का २० परसेंट और किसी में २५ परसेंट इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, उनमें हलवाई भी आते हैं। किसी जिले में वितरण का कैसे प्रबन्ध किया जाय यह अलग हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नीति नियंत्रण में यह अन्तर क्यों रखा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अन्तर तो नहीं है क्योंकि चाहे सेल्स टैक्स के आधार पर करें, चाहे इनकम टैक्स के आधार पर करें। ७५ परसेंट जो कोटा कटा है, उसी के हिसाब से उन्होंने किया है। कोई अन्तर मुझे नहीं मालूम पड़ता।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी से मैं पूछ सकता हूं कि उनके पास जो बहुत सारी शिकायतें हलवाइयों की आयी हुई हैं, उनमें उन शिकायतों की तरफ ध्यान देंगे जो कानपुर से आयी हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भोगांव में कानपुर चला गया, यह समझ में नहीं आया। यह भोगांव का सवाल है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह समस्या केवल मैनपुरी की नहीं है। जहां तक हम समझते हैं कि सदन की राय बहुत साफ समझ में आ रही है, यह हर जिले की समस्या है। हलवाइयों को जिस प्रकार से कोटे दिये गए हैं, जो चलताऊ हैं रिश्वत दे देते हैं उनको ज्यादा मिला है और जिन्होंने रिश्वत नहीं दी उनको बिलकुल नहीं मिला है। इसलिये इस पर चाहे वह सी० आई० डी० बैठावें चाहे विभागीय जांच करें, ऐसा कुछ करने का इरादा उनका है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह बहस की बात इस समय नहीं हो सकती। इस समय केवल सवाल पूंछ सकते हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

क्या इस गड़बड़ी का कारण केवल यह है कि यह भोगौंव की बात है ?

(हंसी---कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी हलवाइयों को कोटा उस बेसिस पर जो उन्होंने अभी सदन में बताया है, नहीं मिल रहा है और काफी शक्कर उनको चोरबाजारी में खरीदनी पड़ रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जो नियम मैंने बताये हैं अगर उनके अनुसार जिलों में काम हो तो मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। देखिए, गवर्नमेंट का तो एलान है कि जो निर्धारित नीति है उसके खिलाफ अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह उसको भेजे, उसको हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष---

उनका सवाल यह था कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि नियमों का पालन हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बहुत जगह तो हो रहा है। लेकिन अब इनको भी कैसे गलत कहूं, हो सकता है कि कहीं ऐसी भी बात हो।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जिन जिलों में उनके नियमों का पालन नहीं हो रहा है वहां वह कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो साधारण सी बात है कि जो नियमों का पालन नहीं करते.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो आपने कह दिया कि शिकायत आयेगी तो देखेंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यदि हलवाइयों का कोटा थोड़ा-सा और बढ़ जाय तो जो दो चार मन की ब्लैक मार्केटिंग होती है वह बन्द हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

आपका सजेशन है कि हलवाइयों का कोटा बढ़ा दिया जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अगर किसी जिले से मांग आयेगी तो बढ़ा दिया जायगा।

सीमेंट की कीमत

*५—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ने सीमेन्ट की कीमत स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की सिफारिश के आधार पर बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कितनी बढ़ाई गयी थी तथा प्रस्ताव क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, सीमेन्ट की कीमत भारत सरकार के आदेशानुसार बढ़ाई है। सन् १९६३ की तीसरी तिमाही के आरम्भ तथा अन्त में बोरों में बन्द सीमेन्ट की कीमत क्रमशः १३८ रु० ६७ नया पैसा तथा १३९ रु० २७] नया पैसा प्रति मैट्रिक टन थी और चालू तिमाही में कीमत १३९ रु० ७ नया पैसा प्रति मैट्रिक टन हो गई है। सीमेन्ट की कीमत बढ़ाने में राज्य सरकार के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री का स्टाकिस्ट मुकर्रर करने के बारे में कोई सलाह सरकार को दी है ? यदि हां, तो उक्त सलाह क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं, स्टाकिस्टों की नियुक्ति स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा बनाये गये मारकेटिंग जोन्स के आधार पर सेलिंग एजेन्ट्स स्वयं करते हैं। अतः सलाह का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले में लोहे की चद्दरों का वितरण

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में कितनी लोहे की चद्दर सादी तथा गड़ारीदार जुलाई, १९६३ से ३०, अगस्त, १९६३ तक सप्लाई करने हेतु सरकार ने भेजी तथा उन चद्दरों का वितरण कितने आदमियों में कितना-कितना किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इलाहाबाद जिले में जुलाई, १९६३ से अगस्त ३०, १९६३ तक लोहे की सादी तथा नालीदार चद्दर का कोटा क्रमशः २२.०३७ टन तथा २२.०३९ टन प्राप्त हुआ। इन चद्दरों के वितरण का विवरण संलग्न सूची† में है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो माननीय मंत्री जी को ६ विधायकों ने स्टील ट्रंक कारखाने वालों के बारे में लिखकर दिया था, जिसकी सूची संलग्न है, उसकी जांच उन्होंने करवायी थी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह प्रश्न तो शायद आगे आ रहा है। लेकिन उसकी जांच जो करवायी थी उसमें कुछ लोगों के क्लासिफिकेशन घटा दिये गए हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि उस जांच में सरकार ने १४ आदमियों का कोटा बन्द कर दिया था ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह अलग सवाल है लेकिन मैं यह बता दूं कि सस्पेन्ड किये थे जांच के दर्मियान में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

देखिए, जो सूचना उनके पास है उसके अनुसार आप प्रश्न कर लें।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने जो सूची दी है उसमें एक जायसवाल आयरन कम्पनी और एक प्यारेलाल गुप्ता यह दो जो इलाहाबाद के हैं उनमें एक तो जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री हैं और एक मंडल कांग्रेस कमेटी के सभापति हैं। क्या इन्होंने कभी कोई सेल्स टैक्स या इन्कम टैक्स दिया है? इसकी जानकारी क्या आपको जांच के द्वारा हुई है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। यह मालूम नहीं है कि वे सेल्स टैक्स देते हैं या नहीं।

श्री उग्रसेन---

क्या यह सही है कि यह प्यारेलाल गुप्त और दूसरे लोग कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं और इनको जो यह लोहे का कोटा दिया गया उसका इन्होंने ब्लैक किया है तो उनके विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?

श्री अध्यक्ष---

आक्षेपात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिये। कोई भी आदमी हो यदि उसने ब्लैक किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

ब्लैक मार्केटिंग का प्रश्न नहीं था। उनके काम के मुताबिक उनको लोहे का कोटा दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो जांच है इसकी रिपोर्ट सदन में पेश होनी चाहिये और मंत्री जी इसको सदन में पेश करने की कृपा करेंगे क्योंकि अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते।

चीनी का कोटा

*८---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में चीनी तथा सीमेन्ट पर कन्ट्रोल होने पर किन-किन जिलों में कितनी-कितनी चीनी का कोटा बांधा गया है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९५-३९६ पर)

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय—

इस बात को देखते हुए कि विभिन्न जिलों में चीनी और सीमेन्ट का जो कोटा निर्धारित किया गया है वह जरूरत को देखते हुए कम है मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि इस कोटे को बढ़ाया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कई बार केन्द्रीय सरकार को इस विषय पर लिख चुका हूं कि हमारी स्टेट को कोटा बहुत कम दिया गया है। इस समय आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन कुछ स्टेट्स को ज्यादा कोटा दिया गया है जिनकी आबादी हमारे सूबे से कम है। हम इस बात पर बराबर जोर देते रहे हैं कि हमारे कोटे को थोड़ा बढ़ाया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

इस बात को देखते हुए कि बाजार में चीनी २, २॥ रुपये सेर बिकती है और चीनी का अकाल पड़ा हुआ है मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह और स्टेट्स को आबादी के अनुसार कोटा दिया गया है यहां भी आबादी के हिसाब से कोटा दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उनको कई बार लिख चुका हूं। अभी उनके विचाराधीन है। अभी तक उत्तर नहीं आया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी की जो कुल खपत है उसका तखमीना बैठाने में हलवाई और कन्ज्यूमर के लिये चीनी के इस्तेमाल का क्या आधार सरकार ने नियत किया था ? इन सब बातों को सामने रखकर केन्द्रीय सरकार से आपने मांग की थी या आपने केन्द्रीय सरकार से मांग करते समय कुछ कोताही की जिसकी वजह से यह कमी हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने अपनी प्रार्थना को केन्द्रीय सरकार के सामने कई बार रखा। पहले वह हमको २५ हजार टन चीनी देते थे और इस वक्त २० हजार मैट्रिक टन देते हैं जो करीब १९॥ और २० के बीच पड़ती है। यह हमारी स्टेट के लिये बहुत कम है। हमने उनको लिखा था कि यह बढ़ाया जाय। हमारे यहां पहले ऐसा था कि गुड़ और खांडसारी के दाम पिछले साल बहुत नीचे थे, ये सस्ती थी, इसलिये ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे। अबकी दफ़ा खांडसारी और गुड़ ज्यादा महंगा रहा इसलिये चीनी की खपत ज्यादा रही और लोग चीनी की तरफ ज्यादा दौड़ पड़े। लेकिन हम और ज्यादा कोटा बढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि अगर चीनी मिल हड़ताल की वजह से बन्द हो गयी तो कुछ भी नहीं मिलेगा।

(श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

शक्कर पर बहस होने वाली है, मेरे पास बहुत सी सूचनाएं आ चुकी हैं। एक दो दिन में बहस करा दूंगा।

बिन्दकी में सरकारी गेहूं को क्षति

*९—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

खाद्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बिंदकी, जिला फतहपुर में जुलाई, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक लगभग १५,००० मन सड़ा गेहूं क्षेत्रीय अधिकारियों

को लापरवाही से खत्तियों में पानी आ जाने के कारण निकाला गया जिसमें सरकार को लगभग ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ जब कि क्षेत्रीय अधिकारियों को खत्तियों में पानी आने के पहले मार्केटिंग इन्स्पेक्टर बिंदकी द्वारा इत्तला दी जा चुकी थी? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा उपरोक्त कांड पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जुलाई, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक बिंदकी, जिला फतेहपुर में ७८ खत्तियां खोली गईं जिनमें से ३,६५४ मन १० सेर खराब गेहूं निकाला गया और इसमें लगभग ४० हजार रुपये की हानि हुई। इन खत्तियों से केवल १३ खत्तियों में पानी आ जाने से गेहूं को क्षति पहुंची थी। बाकी खत्तियों में नमी के कारण गेहूं खराब हुआ था। पता चला है कि खत्तियों में पानी पहुंचने की सूचना बिंदकी के मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने दी थी। मामले की जांच कराई गई है तथा कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही हो रही है।

श्री लखपतराम शर्मा--

७८ खत्तियां खोली गई थीं, उनमें से १३ में पानी आने की वजह से गेहूं को हानि हुई और बाकी में नमी के कारण नुकसान हुआ, तो वह कितनी कीमत का गेहूं और कितने सौ मन खराब हुआ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

पूरा हिसाब लगाने के लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामायणराय--

यह जो गेहूं खराब हो गया पानी खत्तियों में जाने से, क्या सही है कि दो रुपया मन बेचा गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हीरालाल यादव (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे किस वक्त गेहूं खत्तियों में रखा जा रहा था तो क्या पता नहीं था कि उनमें नमी है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

यह तो देखा जाता था, लेकिन उस साल बाढ़ बहुत ज्यादा आ गयी, उसकी वजह से पानी उसमें चला गया। (हंसी)

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या माननीय खाद्य मंत्री इस पर जरा गम्भीरता से विचार करने की कृपा करेंगे कि बिन्दकी मेरे जिले का कस्बा है जहां कभी बाढ़ नहीं आयी है और बतायेंगे कि १३ खत्तियां किन की हैं जिनमें पानी भर गया और उन आदमियों के नाम बतायेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसीलिए तो विभागीय कार्यवाही हो रही है कि वहां अधिकारियों ने काम नहीं किया। उनसे रकम वसूल करने की कोशिश की जा रही है और कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

वह कौन से इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने सूचना दी और वह कौन से अधिकारी हैं जिनकी जांच के अनुसार इतनी लापरवाही पायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें कार्यवाही हो रही है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

इस गेहूं के खराब होने की सूचना कब और किस अधिकारी ने दी और किस दिन से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लोकल नाम तो मालूम नहीं, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है और बताना भी उचित नहीं है, लेकिन डिप्टी आर० एम० ओ० वगैरह सब इन्वाल्वड हैं और उनके ऊपर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा रही है और केस चल रहा है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है और नुकसान कितने रुपये का हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसकी जांच हो रही है और वह करीब-करीब पूरी हो चुकी है, हर आफिसर के खिलाफ अलग-अलग कार्यवाही होगी ।

श्री अध्यक्ष—

नुकसान कितने रुपये का है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

लगभग ४० हजार रुपये का नुकसान है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

वह तो श्रीमन्, पानी आने के कारण हुआ है...

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दे दिया । अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिये और भी तरीके हैं ।

गोरखपुर जिले से सप्लाई आफिसर एवं सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध शिकायतें

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला के सप्लाई आफिसर और उस जिले के सस्ते गल्ले के दूकानदारों के खिलाफ १ जनवरी, १९६३ से ३१ अगस्त, १९६३ तक जिलाधीश, पूर्ति मंत्री एवं मुख्य मन्त्री के पास कितनी शिकायत की दरख्वास्तें इस समय विचाराधीन पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर खुली जांच हुई तथा जांच के बाद कौन-सी उचित कार्यवाही की गई और शिकायत करने वालों का क्या जांच के समय बयान लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

उक्त अवधि में गोरखपुर जिले के सप्लाई आफिसर के विरुद्ध सरकार के पास पांच शिकायतें आईं। दो शिकायतों पर जांच की गई, परन्तु शिकायत करने वालों ने ऐसा बताया कि उन्हें सप्लाई आफिसर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। शेष तीन शिकायतों में से एक पर जांच हो रही है।

इसी प्रकार उक्त अवधि में गोरखपुर जिले के सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध भी चार शिकायतें आयीं। मामले की जांच के उपरान्त तीन दूकानदारों की दूकानें कैंसिल कर दी गयीं, किन्तु एक शिकायत निराधार पाई गयी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

जिन शिकायत करने वालों ने यह कहा कि उनको अब शिकायत नहीं है, क्या उनका लिखित बयान लिया गया था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिन आदमियों का जिक्र है उसमें एक रामनारायण प्रधान हैं। इन्होंने लिखा है कि जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध जो आवेदन पत्र उन्होंने दिया था अब उनको उस विषय में कोई शिकायत नहीं है और यह लिखा कि उनकी प्रार्थना है कि उनके आवेदन-पत्र को बिना जांच किये ही फ़ाइल कर दिया जाय, वे कोई जांच नहीं चाहते। उसी तरह का पत्र एवं लालबहादुर-सिंह तथा एक रामविधिसिंह ने भी लिखा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या रामविधिसिंह जी से यह पूछने की सरकार कृपा करेगी कि जिस वक्त उन्होंने शिकायत की थी उसका क्या कारण था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह स्वयं आप उनसे पूछ लीजियेगा।

पारगमन अनुमति-पत्र

*११---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार पूरे प्रान्त भर की सभी इकाइयों के लिये ट्रांजिट पास रूल्स बनाने जा रही है? यदि हां, तो इसमें प्रान्त के निवासियों से सुझाव अथवा विरोध क्यों नहीं मांगा गया और इसके लिए नियम नुसार दो माह का समय क्यों नहीं दिया गया?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

राज्य की समस्त नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरियाओं तथा टाउन एरियाओं में अलग-अलग पारगमन अनुमति पत्र नियमावली पहले से लागू हैं। नगरमहापालिकाओं में, जो बाद में निर्मित हुई हैं, फिलहाल नगरपालिकाओं वाली नियमावली लागू है। इस समय केवल नगर-पालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं के लिए पुराने नियमों के स्थान पर नये नियम बनाने का प्रस्ताव है, जिनके आलेख्यों का पूर्व प्रकाशन दिनांक १८ जुलाई, १९६३ की दो विज्ञप्तियों के साथ इसी घोषणा के साथ किया गया है कि उन पर कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव दिनांक १५ अगस्त, १९६३ तक प्रस्तुत कर दिया जाय। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि आपत्ति या सुझाव नहीं मांगे गये। जहां तक उन्हें प्रस्तुत करने की अवधि का प्रश्न है, कानूनन ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि इसके लिये दो माह का ही समय दिया जाय।

*१२—श्री ऊदल—

सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की नियमावली भारत सरकार के निर्देश पर बनाई जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह कहना सत्य नहीं है कि उक्त नई नियमावली भारत सरकार के निर्देश पर बनाई जा रही है यद्यपि यह ठीक है कि भारत सरकार ने भी इस विषय पर अपनी मंतव्य दिया था।

*१३—श्री ऊदल—

क्या यह सत्य है कि प्रान्त के कई बड़े शहरों में जिस प्रकार का ट्रांजिट नियम अब लागू करने के लिये प्रस्ताव है उसी प्रकार का नियम २० वर्ष पहले लागू था और इससे चुंगी की वसूली में जब आर्थिक क्षति पहुंचने लगी तब राज्य सरकार को उसे परिवर्तन करना पड़ा ? यदि ऐसा है, तो पुनः वैसा नियम क्यों बनाया जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सही है कि सन् १९४२ से पहले जो पारगमन अनुमति पत्र नियम लागू थे, उनमें पारगमन करने वाले से जमानत की धनराशि (Security money) लेने का प्राविधान नहीं था। किन्तु वे नियम केवल चुंगी लगाने वाली नगरपालिकाओं पर ही लागू थे। चूंकि उसमें चुंगी की चोरी की सम्भावना थी, इसलिये उक्त नियमों में जमानत लेने का प्राविधान कर दिया गया था। अब जिन नये नियमों का प्रकाशन आपत्तियों तथा सुझावों के आमंत्रणार्थ किया गया है उनमें जमानत (security money) लेने का प्राविधान नहीं रखा गया है, परन्तु कुछ ऐसे प्राविधान किये गये हैं, जिनसे चुंगी की चोरी की सम्भावना न रहे। जमानत (Security money) का प्राविधान इसलिये हटाना पड़ रहा है कि उससे सड़क द्वारा व्यापार तथा व्यवसाय के उन्मुक्त आवागमन तथा यात्रियों को यात्रा में समुचित बाधा तथा कष्ट होता था। सड़क यातायात इन पिछले २० वर्षों में पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है और उसी के द्वारा व्यापार अधिकांश में होता है। अतएव उन को हर प्रकार की सुविधा देना अनिवार्य था। ये नये नियम सभी नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं (चुंगी, टौल तथा टर्मिनल कर लगाने वाली) पर लागू होंगे।

श्री ऊदल—

चुंगी की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने दूसरा क्या तरीका अपनाया है क्योंकि जमानत लेने का प्राविधान चुंगी की चोरी रोकने के लिये था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सख्ती बरती जायगी। अच्छे अफ़सर रखे जावेंगे। और नियम भी रखे जावेंगे। उसमें अकेली बात चुंगी की चोरी रोकने की ही नहीं थी बल्कि सीक्योरिटी डिपाजिट को वापिस करने में दिक्कत होती थी। निर्जन स्थानों पर चौकियां होती थी वहां बड़े-बड़े ट्रक्स से टैक्स लेने में और देने में बड़ी दिक्कत पड़ती थी। इसलिये यही उचित समझा गया कि सीक्योरिटी लेने का प्राविधान हटा दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या इससे पहले वहां सारे अफसर खराब थे ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

नोट—तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जेल उद्योग सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें

*१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कारागार मन्त्री जेल उद्योग सलाहकार बोर्ड की मुख्य-मुख्य सिफारिशों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जेल उद्योग सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

नगरपालिकाओं का चुनाव

*१५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं के चुनाव किस तारीख व माह से आरम्भ हो कर किस तारीख, माह व सन् में समाप्त हो रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चुनाव की प्रथम विज्ञप्ति २ अप्रैल, १९६४ को जारी होगी। चुनाव का अन्तिम मतदान २७ मई, १९६४ को होगा। नगरपालिकाओं का संघटन ६ जून, १९६४ को होगा।

मुरादाबाद जिले के लिये चीनी व सीमेंट का कोटा

*१६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ में कुल कितना सीमेंट भेजा गया और उसमें से कितना डी० एस० ओ० द्वारा सप्लाई हुआ और कितने का डायरेक्ट परमिट लोगों को लखनऊ से जारी किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है—

वर्ष	कुल सीमेंट भेजा गया	डी० एस० ओ० द्वारा सप्लाई किया गया	डायरेक्ट परमिटों द्वारा लाया गया
१	२	३	४
	बोरी	बोरी	बोरी
१९६१-६२ ..	१,५८,२४५	१,४६,३८४	११,८६१
१९६२-६३ ..	१,६३,६१३	१,५३,४१६	१०,१९७

*१७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को कोई पत्र जिलाधीश मुरादाबाद का मिला है जिसमें उन्होंने ज्यादा चीनी मांगी है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। मुरादाबाद का मासिक कोटा ३४५ मी० टन चीनी से बढ़ाकर ६९५ मी० टन जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया है।

*१८—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में जो चीनी बांटने की कमेटी बनाई गई है वह किस आधार पर बनाई गई है और उसके कौन-कौन से मेम्बर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चीनी बांटने के लिये कोई कमेटी नहीं बनी है, किन्तु डिस्ट्रिक्ट फूड एडवाइजरी कमेटी के तोड़ दिये जाने पर राशन कार्ड बनवाने का काम जिलाधीश ने जिला सिटीजेन्स कमेटी की एकानोमिक सब कमेटी को सौंप दिया। यह कमेटी एक निर्दलीय संस्था है जिसका प्रेसीडेन्ड जिलाधीश, मंत्री एक गैर सरकारी व्यक्ति, श्री हंसराज भगत और एकानोमिक सब-कमेटी के कन्वीनर एक गैर सरकारी व्यक्ति, श्री गनेश स्वरूप भटनागर हैं।

जौनपुर जिले में सीमेंट का वितरण

*१९—श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ व ६३ में किन-किन व्यक्तियों व संस्थाओं को ३०० बोरे या उससे अधिक सीमेंट की परमिट जिला जौनपुर की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

*२०—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अधिकांश उक्त सीमेंट के चोर बाजारों में बिकने की शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक चोर बाजारी में सीमेंट बेचने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

*२१—श्री जगन्नाथ राव—

[हटा दिया गया।]

कानपुर जिले के लिये शक्कर का कोटा

*२२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर व जिले में शक्कर का नियंत्रण हाल में लागू होने के पूर्व कितनी शक्कर की खपत होती थी और नियंत्रण करने पर सरकार का कितना प्रतिमास कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नियंत्रण के पूर्व कानपुर नगर व जिले में कितनी बोरी प्रतिमास खपत होती थी इसकी सही इत्तला नहीं है। नियंत्रण के बाद से कानपुर को निम्नलिखित शक्कर दी गयी—

	बोरी
१५ अप्रैल, से १५ मई, १९६३ तक के लिये	१४,५००
१६ मई से १५ जून, १९६३ तक के लिये	१९,०४०
१६ जून से १५ जुलाई, १९६३ तक के लिये	११,०००
१६ जुलाई से ३१ जुलाई, १९६३ तक के लिये	५,७५०
१ अगस्त,से ३१ अगस्त, १९६३ तक के लिये	१२,०००
१ नवम्बर से ३० नवम्बर, १९६३ तक के लिये	१४,४५०
१ अक्तूबर से २१ अक्तूबर, १९६३ तक के लिये ..	८,९१० + १,५००
२१ अक्तूबर से ३१ अक्तूबर तक के लिये	७,५००

*२३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में पिछले दिनों शक्कर वितरण की फुटकर दूकानों की आम जांच (general surprise checking) की गई थी उसमें कितने दूकानों को सही काम न करते हुये पाया गया और मुअत्तल किया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। ४९ दूकानों को सही काम करते नहीं पाया गया। विभागीय जांच के पश्चात् २८ दूकानें रद्द कर दी गयीं तथा २१ दूकानों को कड़ी चेतावनी दी गयी।

*२४—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की जन-संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक होने तथा शक्कर कोटा कम होने के विषय में विधायकों का प्रतिनिधि मंडल खाद्य मंत्री जी से अगस्त, १९६३ में मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। जन-संख्या के आधार पर कानपुर का मासिक कोटा १,२०० मी० टन से बढ़ा कर १,३९५ मी० टन कर दिया गया है ताकि नगर व ग्राम की जनता और हलवाइयों आदि को शक्कर सुचारु रूप से मिल सके। फर्जी कार्डों को खत्म करने हेतु कार्डों की जांच करायी गयी इन कार्डों को मुहल्लावार फुटकर दूकानों से लगाया है। चोरबाजारी, मुनाफाखोरी और अनधिकृत रूप से चीनी खरीदने और बिक्री करने पर डी० आई० आर० के एक आदेश द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

गोरखपुर जिले में भट्ठों के लाइसेंस

*२५—श्री कल्पनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार प्रथम सत्र १९६२ के ९वें सोमवार (१० सितम्बर, १९६२) के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ६७ के क्रम में कोयले का वितरण के पूर्व ही भट्ठे वालों से बाढ़-पीड़ितों को ईंट देने के लिये कोटेशन मांगेगी और सबसे कम के कोटेशन वाले को ही निर्धारित सरकारी रेट पर कोयला देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं।

झांसी नगरपालिका अध्यक्ष, श्री बाबूलाल उदैनिया का जेल निरीक्षक न रहना

*२६—श्री लखपतराम शर्मा—

कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री बाबूलाल उदैनिया को, जो जेल विजिटर भी हैं (धारा ४०६, ४७१) गबन इत्यादि में प्रान्तीय पुलिस द्वारा २४ मई, सन् १९६३ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था जो मामला अब ए० डी० एम०, झांसी के न्यायालय में चल रहा है ? क्या श्री बाबूलाल उदैनिया अब भी जेल विजीटर के पद पर हैं ? यदि हां, तो इस पद से उन्हें न हटाये जाने का क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । वह इस समय पदेन (ex-officio) जेल निरीक्षक नहीं रहे । अतः इस पद से उनको हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले को ईंट के भट्ठों का लाइसेंस

*२७—श्री उमाशंकर—

क्या खाद्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९६२ से अप्रैल, १९६३ तक ईंट पकाने के कितने भट्ठों का लाइसेंस दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

७३ भट्ठों का लाइसेंस दिया गया ।

*२८—श्री उमाशंकर—

क्या खाद्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि उक्त लाइसेंस पाने वालों से कितना सुरक्षा कोष में चन्दा लिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपर्युक्त लाइसेंस पाने वालों में से केवल ४९ से १७,०५९ रु० चन्दा प्राप्त हुआ ।

*२९—श्री उमाशंकर—

क्या खाद्य मंत्री जी मेरी सूचना के आधार पर एक उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे कि स्थानीय कर्मचारियों ने ईंट के भट्ठे वालों से पांच-पांच सौ रुपये सुरक्षा कोष के नाम पर वसूल करके तब लाइसेंस देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या उक्त पैसे की कोई रसीद दी गई थी ? यदि नहीं, तो रसीद न देने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब तक किसी भट्ठे वाले से लिखित शिकायत नहीं आती जांच करना संभव नहीं है । जिन लोगों ने चन्दा दिया उनको रसीद दी गयी ।

जिला पूर्ति कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन तथा स्थायित्व

*३०—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सप्लाई विभाग के जिला कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन-क्रम ६०–३–९० ही क्यों है जब कि अन्य प्रान्तीय कर्मचारियों का वेतन-क्रम ६०–४–८०–५–१२० है और लगभग सन् १९५७ से सप्लाई विभाग के कर्मचारियों को increment भी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सप्लाई विभाग के जिला पूर्ति कार्यालयों के कर्मचारियों का वेतन-क्रम ६०-३-९० १ अप्रैल, १९४७ से pay Committee द्वारा निर्धारित किया गया। अतः यही स्केल उनको दिया गया। जो कर्मचारी सन् १९५७ में अपने वेतन-क्रम का उच्चतम अर्थात् ९० रु० पा रहे थे उनके increment का प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री दयाराम शाक्य—

सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई घोषणा की है कि सप्लाई आफिस के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जावेगा? यदि हां, तो कर्मचारी अब तक स्थायी क्यों नहीं किये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। ३५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश जिलाधीश को दे दिये गये हैं। शेष कर्मचारी, जिनमें जिला पूर्ति अधिकारी, इंस्पेक्टर और क्लर्क सम्मिलित हैं और जिनके पद स्थायी घोषित कर दिये गये हैं, निकट भविष्य में स्थायी कर दिये जायेंगे।

*३२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सरकार ने सप्लाई आफिसों के २१ व्यक्तियों को स्थायी कर दिया है परन्तु उनका नाम नहीं बताया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सप्लाई आफिसों के ३५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है। उनके नाम सम्बन्धित जिलाधिकारियों को बता दिये गये हैं।

रेंट कंट्रोल ऐक्ट

*३३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

सरकार कृपया बतायेगी कि यह क्या सत्य है कि सरकार ने रेंट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट में संशोधन करने के उद्देश्य से जनता से सुझाव मांगे हैं? यदि हां, तो अब तक कितने सुझाव, कहां-कहां से आये और उनमें प्रमुख सुझाव क्या-क्या हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शासन ने रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट में संशोधन करने के उद्देश्य से जनता से सुझाव नहीं मांगे हैं। तथापि उत्तर प्रदेश ला कमीशन ने रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट में संशोधन करने के विचार से सुझाव मांगे थे।

प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया, बुगरासी

*३४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बुगरासी, जिला बुलन्दशहर, जो कि इस समय सरकार के जेरे-इन्तजाम है वहां सन् १९६२-६३ में जो टाउन एरिया के कर लगाये गये हैं वे किस आधार पर लगाये गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१९६२-६३ में जो कर लगाया गया है वह निर्धारित दर के भीतर ही है।

जौनपुर जिले में जल-सम्भरण योजना

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में किन-किन स्थानीय निकायों में जल-सम्भरण योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू हो गया है और इन कार्यों की अनुमानित लागत क्या है, तथा इनकी पेय जलपूर्ति की क्षमता क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना निम्न प्रकार है :

स्थानीय निकाय का नाम	योजना की अनुमानित लागत	पेयजल पूर्ति की क्षमता
१	२	३
	रु०	
जौनपुर नगरपालिका ..	१९,८९,०००	२ मिलियन गैलन प्रतिदिन
मुगरा बादशाहपुर नोटीफाइड एरिया कमेटी ..	१,६८,०००	०.२ मिलियन गैलन प्रतिदिन

शक्कर का भाव

*३६—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तर पर कोई खाद्य सलाहकार समितियां (फूड एडवाइजरी कमेटियां) कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या उनको शक्कर आदि के कंट्रोल लाइसेन्स के सुझाव देने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में ऐसा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रत्येक जिले में खाद्य तथा अन्य कंट्रोल की वस्तुओं के वितरण के हेतु जिला सलाहकार समिति के निर्माणार्थ आवश्यक आदेश समस्त जिलाधीशों को अभी हाल में भेज दिये गये हैं । उक्त समितियां शक्कर के वितरण में भी जिलाधीश को परामर्श देंगी ।

*३७—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बार जिस समय प्रदेश में शक्कर का कंट्रोल किया गया उस समय शक्कर का बाजार में भाव क्या था तथा अब कंट्रोल में शक्कर किस भाव से बेची जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शक्कर पर नियंत्रण लगने के पूर्व और नियंत्रण के बाद के थोक व फुटकर भाव निम्नलिखित हैं :—

नियंत्रण के पूर्व	थोक प्रति क्विन्टल	फुटकर प्रति किलोग्राम
१	२	३
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
७-४-६३ के वर्तमान नियंत्रित ..	१०८ से १२१	१.१२ से १.२६
मूल्य ७-१०-६३ ..	१११.४८ से ११९.३७	१.१३ से १.२१

*३८—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लाइसेन्स होल्डर्स को जो शक्कर दी गई वह कई साल पुरानी थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। शक्कर के लाइसेन्स होल्डरों को १९६१-६२ उत्पादन की भी शक्कर दी जाती है इसलिये कि भारत सरकार १९६२-६३ उत्पादन की शक्कर के साथ ही १९६१-६२ के उत्पादन की बची हुई शक्कर के स्टाक के विरुद्ध भी एलाटमेन्ट करती है।

शक्कर का जिलेवार कोटा

*३९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, १९६३ के महीनों में शक्कर नियंत्रण के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले को प्रत्येक मास में कितनी-कितनी मात्रा में शक्कर (चीनी) वितरण निमित्त दी गई तथा इसी अवधि में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश को कितनी मात्रा में चीनी उपलब्ध हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अप्रैल, मई, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक के लिये जो शक्कर राज्य के ५४ जिलों को एलाट की गई तथा इस अवधि में जो शकर भारत सरकार ने इस राज्य को एलाट की उनका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९९-४०० पर)

देवरिया जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों का कैन्सिल करना

*४०—श्री कैलाश—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में सस्ते गल्ले के कुल कितने दुकानदार हैं और उनके नाम क्या हैं ? इनमें से कितने व्यक्ति स्वयं दुकान नहीं चलाते हैं या जिनके नाम से दुकानें हैं वह जिले के बाहर रहते हैं या नौकरी में हैं ? अथवा कितने ऐसे हैं जो नाबालिग हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभीष्ट† सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में अंकित है। जांच से यह ज्ञात हुआ है कि यह दुकानदार स्वयं या अपने किसी कार्यकर्ता द्वारा दुकान चलाते हैं तथा जिले के रहने वाले हैं। इनमें से न तो कोई सरकारी नौकर है और न कोई नाबालिग है।

*४१—श्री कैलाश—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में कितने ऐसे दुकानदार हैं कि सरकारी नियम के विरुद्ध गत २ वर्षों में आचरण करते पकड़े गये हैं ? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उक्त दुकानदारों की संख्या ११ है, जिनमें से ५ की दुकानें कैन्सिल कर दी गई हैं तथा शेष ६ में से २ की समस्त जमानतें और ४ की जमानतों का आंशिक भाग जब्त कर लिया गया है।

---

† छापी नहीं गई।

आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे की भूमि

*४२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आई० टी० कालेज के पीछे रेल की लाइन तक की जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कब एक्वायर की और उसका नोटीफिकेशन किस-किस अखबार में किस तारीख को छपा ? क्या सरकार उसके ले-आउट की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे तथा रेल की लाइन तक की भूमि नजूल भूमि है। उसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अर्जित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नगर महापालिका, लखनऊ ने क्षत्रिय कालेज ट्रस्ट से कोई आराजी १९६३ में ली है और उस पर कोई स्कीम चालू की है ? वह क्या पुरानी एक्वायर की हुई आराजी के सम्बन्ध में है या कुछ और आराजी एक्वायर की गई है ? यदि एक्वायर की गई है तो उसका नोटिफिकेशन कब किया गया और किस-किस अखबार में छपा ? क्या इस नई एक्वायर की गई जमीन का एक ले-आउट सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कोई भी आराजी क्षत्रिय कालेज ट्रस्ट से १९६३ में नहीं अर्जित की गई और नगर माहापालिका द्वारा न कोई योजना ही बनाई गई थी, क्योंकि उक्त भूमि नजूल की भूमि है। उस स्थान पर महापालिका की कोई भी पूर्व अर्जित भूमि नहीं है, अतः महापालिका की भूमि की विज्ञप्ति की तारीख अथवा ले-आउट प्लान का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाराबंकी जेल से कैदियों का भागना

*४४—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९६३ में बाराबंकी जिला जेल से कई कैदी भाग गये ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। १५-१६ सितम्बर, १९६३ की रात को १ व २ बजे के बीच चार कैदी बैरक का जंगला आरी से काट कर तथा सर्किल व मेनवाल (चहारदीवारी) को चादर व गमछे की तथा एक दूसरे की मदद से फांद कर भाग गये।

*४५—श्री नत्थाराम रावत—

इन भागे हुये कैदियों में अब तक कितने ऐसे हैं जो दोबारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एक भी नहीं।

फतेहपुर जिले में चीनी विक्रेता

*४६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में शक्कर (चीनी) नियंत्रण योजना के अन्तर्गत प्रथम दौर में किन-किन व्यक्तियों को कहां-कहां के लिए दुकानों के लाइसेंस दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य थोक व्यापारी से है अथवा फुटकर विक्रेता से है। केवल थोक व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश शक्कर व्यापारियों को लाइसेंस देने की आज्ञा १९६३ के अन्तर्गत चीनी का लाइसेंस दिया जाता है। फतेहपुर में इनकी कुल संख्या १५ है। ये दुकानें इस प्रकार हैं :

फतेहपुर	७
बिन्दकी	५
खागा	१
किशुनपुर	१
जहानाबाद टाउन एरिया	१

फुटकर चीनी विक्रेताओं की सूची† संलग्न है।

*४७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सही है कि कुछ न्याय पंचायतों के शक्कर (चीनी) की दुकान एक से अधिक तथा कुछ में अब तक नहीं हैं? यदि हां, तो किन-किन न्याय पंचायतों में अब तक नहीं हैं व इसके कारण क्या हैं और क्या अगस्त मास में शक्कर परामर्शदात्री समिति की औपचारिक बैठक में लिये गये निर्णयों के विपरीत कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या समिति के निर्णयों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। केवल दो न्याय पंचायतों कुसुम्मी व पहाड़पुर में दुकानें नहीं खुली। हैं जांच हो रही है और शीघ्र ही इन जगहों पर दुकानें खोल दी जायेंगी। जिले में कोई परामर्शदात्री समिति उस समय नहीं थी। जिलाधीश ने १७ अगस्त, १९६३ को जन प्रतिनिधियों की एक बैठक शक्कर की स्थिति पर विचार करने हेतु बुलाई थी। उस समिति के निर्णयों पर अमल करने के लिये जिलाधीश बाध्य नहीं था।

चूंकि जिलाधीश ने कुछ जन प्रतिनिधियों को केवल विचारार्थ बुलाया था और वह कोई प्रमाणित परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य नहीं कर रही थी इसलिये उसके निर्णयों की प्रति सदन में रखना सम्भव नहीं है।

फतेहपुर जिले में शक्कर के लाइसेंसदार

*४८—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में शक्कर की कंट्रोल की दूकानों का लाइसेंस किस आधार पर दिया गया है और किन-किन को किस-किस तारीख को दिया गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

लाइसेंस केवल ऐसे विक्रेताओं को दिया जाता है जो शक्कर का किसी एक समय में ५० क्वींटल से अधिक परिमाण में क्रय-विक्रय या विक्रय से लिये संग्रह करने का कारोबार करते हैं। इन्हीं लाइसेंसदारों को कंट्रोल में थोक विक्रेता नियुक्त किया गया है इसके अलावा सहकारी समितियों को भी कंट्रोल में प्राथमिकता दी गई है। चीनी के फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति जिलाधीश करता है। यदि निम्नलिखित के विरुद्ध कोई शिकायत न हो तो उन्हें जिलाधीश फुटकर शक्कर विक्रेता नियुक्त कर देता है :—

---

† छापी नहीं गई।

(क) सरकारी सस्ता गल्ले की दूकानों को वर्तमान तथा जो पिछले नियंत्रण काल में थीं किन्तु बाद में बन्द हो गई थी।

(ख) ऐसे फुटकर विक्रेताओं को जो वर्तमान नियंत्रण के पूर्व चीनी का फुटकर व्यापार करते थे।

(ग) प्राइमरी कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स और अन्य इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त सहकारी समितियों को।

शक्कर के फुटकर दुकानदारों की †सूची संलग्न है।

*४६—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में मिटौरा ब्लाक के अन्तर्गत स्थित न्याय पंचायत अदालत, तालिबपुर असनी तथा न्याय पंचायत अदालत, हुसेनगंज के क्षेत्रों में शक्कर विक्रय लाइसेंस पाने के लिये किन-किन व्यक्तियों की दरख्वास्तें प्राप्त हुईं और उन पर किन-किन जन-प्रतिनिधियों की व सरकारी अधिकारियों की सिफारिशें थीं और किन में नहीं थीं तथा किन-किन व्यक्तियों को शक्कर विक्रेता के लाइसेंस दिये गये और किन दरख्वास्तों को खारिज किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मिटौरा ब्लाक के अन्तर्गत तालिबपुर असनी और हुसेनगंज न्याय पंचायतों के लिये शक्कर फुटकर विक्रेता की दुकान के लिये जो दरख्वास्तें आईं उसका विवरण इस प्रकार है:—

नाम प्रार्थी	नाम पंचायत	नाम सिफारिश करने वाले का
१—श्री गिरजाशंकर बाजपेयी	तालिबपुर असनी	१—ब्लाक प्रमुख २—सरपंच तालिबपुर असनी ३—प्रधान गांव सभा, टांडा, महादेवपुर, असनी, गोपालपुर, सरैला, चकबडनपुर व ओझापुर।
२—श्री बलभद्रप्रसाद	,,	१—प्रधान तालिबपुर असनी २—बी० डी० ओ० ३—वाइस प्रेसीडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी।
३—श्री रामसजीवन पांडे	,,	१—प्रधान तालिबपुर असनी
४—श्री रामलाल सिंह वैश्य	,,	१—प्रधान तालिबपुर असनी २—बी० डी० ओ० ३—ग्राम सेवक, हुसेनगंज ४—ब्लाक प्रमुख ५—श्री दीपनारायण सिंह, एम० एल० ए० ६—श्री रक्षपाल सिंह, एम० एल० ए०
५—सारदा प्रसाद	,,	१—श्री गौरीशंकर कक्कड़, एम० पी०।

†छापी नहीं गई।

१—श्री राम बाबू	हुसैनगंज	१—बी० डी० ग्रो०, मिटोर, २—मारकेंटिंग इंस्पेक्टर, हुसेन-गंज । ३—ग्राम सेवक । ४—प्रधान, हुसेनगंज ।
२—श्री नवल किशोर	,,	१—श्री गौरी शंकर कक्कड़, एम० पी० ।
३—श्री माता प्रसाद शुक्ल	,,	१—कोई सिफारिश नहीं ।
४—श्री मु० हलीम आजाद	,,	१—बी० डी० ओ० । २—प्रधान । ३—ग्राम सेवक
५—श्री बेनी प्रसाद गुप्त	,,	१—सरपंच, हुसेनगंज । २—मैनेजर हा० से० स्कूल, हुसेनगंज ।
६—श्री रमाकान्त	,,	१—श्री दीपनारायण सिंह, एम० एल० ए० । २—श्री रक्षपाल सिंह, एम० एल० ए० । ३—वाइस प्रेसीडेंट, डी० सी० सी० । ४—बी० डी० ओ० ।

तालिबपुर असनी और हुसेनगंज न्याय पंचायतों के अन्तर्गत निम्नलिखित दुकानों की नियुक्ति की गयी :

१—तालिबपुर असनी	श्री बलभद्र प्रसाद	१०-९-६३
२—हुसेनगंज	श्री रमाकान्त	१०-९-६३

बाकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं ।

*५०—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि उक्त न्याय पंचायत अदालत, तालिबपुर असनी में जिस बलभद्र प्रसाद नाम के व्यक्ति को शक्कर विक्रेता का लाइसेंस, जिलाधीश महोदय, फतेहपुर ने दिया है उसके विरुद्ध दिनांक २३ अगस्त, १९६३ को जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर के यहां चोर बाजारी की लिखित शिकायत भेजी गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं ।

इलाहाबाद में स्टील ट्रंक के कारखानेदारों का कोटा रोकना

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के स्टील ट्रंक के कारखाने वालों को जो लोहा बनाने हेतु दिया जाता है उसका उपयोग ठीक से हो रहा है उसकी जांच सरकार द्वारा अप्रैल-मई, १९६३ में कराई गई थी और उस जांच के परिणामस्वरूप चार कारखाने वालों का कोटा रोक दिया गया था जो अब पुनः चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह कारखाने वाले कौन थे और उनका कोटा पुनः चालू करने के क्या कारण थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । इन कारखाने वालों के नाम इस प्रकार हैं :

१—सर्वश्री जैसवाल आइरन एन्ड स्टील वर्क्स ।

२—श्री प्यारेलाल गुप्ता ।

३—श्री इन्द्रकुमार खन्ना ।

४—सर्वश्री नन्हें मोबीन ऐण्ड सन्स ।

जांच पूरी हो जाने पर पुनः इनका कोटा इनके व्यवसाय के आंकड़ों को देखते हुये निम्न श्रेणी में घटा कर निर्धारित कर दिया गया है ।

मोदीनगर श्रमिक बस्ती में मकानों का किराया

*५२—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदीनगर, जिला मेरठ में जो लेबर कालोनी बनी है उसमें गोविन्दपुरी में सिंगल रूम का किराया १३.५० रु० की जगह ९ रु० व डबल का १६ रु० की जगह १३ रु० अगस्त, सन् १९६३ से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो सुचितापुरी के नाम से जो लेबर कालोनी है उसमें क्यों कम नहीं किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

जूट विकास केन्द्र, सूरजपुर से रुपया दिलाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा हुआ २१ सितम्बर, १९६२ का लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि जूट विकास केन्द्र सूरजपुर जिला आजमगढ़ के कर्मचारी किसानों की छूट की कीमत और पुरस्कार नहीं दे रहे हैं ? क्या उक्त पत्र के साथ समर्थन में किसानों का प्रार्थना-पत्र भी संलग्न है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है । श्री लगन चौहान, ग्राम सिसवा, जिला आजमगढ़ को उनके जूट रेशे का मूल्य जूट विकास केन्द्र, सूरजपुर के कर्मचारी द्वारा ८ जुलाई, १९६२ को ही दे दिया गया था । पुरस्कार का रुपया भी श्री लगन चौहान को ३१ मार्च, १९६३ को दे दिया गया है ।

*५४–५५—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

पशु-चिकित्सा-कर

*५६—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४–१५ के उत्तर में जो यह लिखा गया है कि पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा के लिए हर बार आने पर जानवरों पर छोटे-बड़े जानवर के अनुसार विशेष शुल्क, संकटकालीन परिस्थिति के कारण आय के नये साधन जुटाने के लिए लगाने का निर्णय किया गया ? इस विशेष शुल्क के लगाने का निर्णय किस अधिनियम के अनुसार किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

यह निर्णय सरकार के अन्तर्निहित अधिकारों के अनुसार किया गया । किसी अधिनियम के अनुसार नहीं किया गया ।

*५७–५९—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

[५ वें गुरुवार के लिए प्रश्न १३०–१३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६०–६१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, बाह के विरुद्ध जांच

*६२—श्री शिवचरण—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री के पास कोई शिकायत आयी है कि चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, बाह, जिला आगरा, ने सफाई कर्मचारियों के बकाये मंहगाई भत्ते की ४,१०० रुपये की रकम में से केवल ४०० रु० ही उन्हें दिया है और बाकी रुपया खुद ले लिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां ।

*६३—श्री शिवचरण—

यदि हां, तो स्वायत्त शासन मंत्री इसकी जांच करा कर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जांच की जा रही है । यदि आरोप सत्य पाये गये तो चेयरमैन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

कालपी में पेय जल–व्यवस्था

*६४—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, कालपी ने अठारह हजार रुपये स्वायत्त शासन विभाग को कुछ मुहल्लों में पानी लगाने के लिए जमा किये हैं ? यदि हां, तो अभी तक विभाग ने पाइप लगाने का काम क्यों नहीं किया एवं जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। इसके अन्तर्गत योजना के प्रायः सभी कार्य सम्पन्न हो चुके हैं। अतः किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६५—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कालपी के जिन मुहल्लों में पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार को स्कीम भेजी है? वह स्कीम कितने रुपये की है और कब तक मंजूर हो जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं, लेकिन नगरपालिका ने जलकल एक्सटेन्शन योजना बनवाने के लिये नवम्बर, १९६३ में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के पास फीस जमा की है। योजना के बनाने का कार्य प्रगति में है और दिसम्बर, १९६३ तक पूर्ण होने की आशा है।

कुआना वन क्षेत्र में भूमि का विनिमय

*६६—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा दक्षिण बनखन्ड कुआना रेंज में ग्राम नागेश्वर जोत, ग्राम सभा नरायनपुर के एक सज्जन से उनकी खाली जमीन लेकर उसके बदले में दूसरा हरा भरा जंगल सरकारी रेट पर मय जमीन के दिया जा रहा है? यदि हां, तो उसमें सरकार को बाजार भाव से कितनी हानि होगी?

श्री चरणसिंह—

यह सत्य है कि गंगापुर के २१.४९ एकड़ वन भूमि के बदले एक सज्जन की उतनी ही भूमि जो नागेश्वर जोत, कुवाना रेंज में स्थित है, बदला गया है। इस विनिमय में गंगापुर के वन भूमि पर खड़े वृक्ष उक्त व्यक्ति को बाजार भाव पर दिये जाने का आदेश हुआ है। अतः इस विनिमय से सरकार को कोई क्षति नहीं हुई है।

*६७—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या सरकार उक्त जंगल को सरकारी नीलाम द्वारा बेच कर खाली जमीन के बदले में खाली जमीन देने की कृपा करेगी, ताकि सरकारी क्षति को बचाया जा सके?

श्री चरणसिंह—

उक्त जंगल को सरकारी नीलाम द्वारा बेचने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि विनिमय में सरकार को कोई क्षति नहीं हुई है।

*६८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[२३ दिसम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९-७०—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

[५वें बुधवार के लिए प्रश्न ११४-११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फतेहपुर में शुगर इन्स्पेक्टर की नियुक्ति पर आपत्ति

*७१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में सितम्बर मास सन् १९६३ में सप्लाई विभाग के शुगर इन्स्पेक्टर को बदल कर किसी दूसरे व्यक्ति को शुगर इन्स्पेक्टर बनाया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। दूसरे व्यक्ति को प्रशासनिक आधार पर शुगर इन्स्पेक्टर बनाया गया।

*७२—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह बात सही है कि जिस व्यक्ति को उसके बाद शुगर इन्स्पेक्टर बनाया गया है उस व्यक्ति का फतेहपुर कार्यालय से दो बार स्थानान्तरण हो गया था, परन्तु फिर भी वह वहां बने हुए हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, परन्तु अब उनका स्थानान्तरण हो गया है।

*७३—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सही है कि जिस समय उक्त व्यक्ति को शुगर इन्स्पेक्टर बनाया गया था उस समय वह हेड क्लर्क था तथा एकाउन्टेन्ट का काम भी कर रहा था ? यदि हां, तो क्या और कोई व्यवस्था सम्भव नहीं थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। दूसरी व्यवस्था संभव नहीं थी।

*७४–७५—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६–७८—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

रीजनल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ के अन्तर्गत कर्मचारियों का बकाया

*७९—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजनल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ के अन्तर्गत कार्य करने वाले जो कर्मचारी सन् १९६० में निकाले गये थे उनका रुपया अभी विभाग के पास बाकी पड़ा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रीजनल मार्केटिंग आफीसर, लखनऊ के अन्तर्गत कार्य करने वाले ५० कर्मचारी सन् १९६० में निकाले गए थे। उनमें से १० कर्मचारियों की जमानत का रुपया वापस नहीं हुआ है।

*८०—श्री कृष्णपालसिंह—

यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों का कितना-कितना रुपया किस-किस मद में बाकी है और वह अभी तक क्यों नहीं लौटाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आवश्यक उपलब्ध सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०२–४०३ पर)

चीनी वितरण

*८१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जालौन जिले में शहरी क्षेत्रों में शक्कर का १ किलो प्रति व्यक्ति कोटा है तथा ग्रामीण क्षेत्र में केवल आधा किलो ही प्रति व्यक्ति कोटा है। यदि हां, तो ऐसी भिन्नता क्यों ? यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रकार से क्यों वितरण करवाया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जालौन में ही नहीं वरन् प्रदेश के समस्त जिलों में शहरों में शक्कर काडों पर एक किलो प्रति-यूनिट प्रति मास के हिसाब से और देहातों में एक बार में आधा किलो दिये जाने का आदेश है। वर्तमान वितरण व्यवस्था नगर और ग्राम क्षेत्रों में भेद करने के उद्देश्य से नहीं वरन् व्यावहारिकता की दृष्टि से बनाई गई है।

*८२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में शक्कर कन्ट्रोल की आवश्यकता किस आधार पर प्रतीत हुई ? क्या इसके मुख्य-मुख्य कारणों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चीनी के भावों के चढ़ने और अभाव की शिकायतें मिलने पर भारत सरकार ने चीनी पर कन्ट्रोल लगाया।

रायबरेली जिले में चीनी वितरण

*८३—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में शक्कर क कितने कोटेदार हैं और उनमें से अब तक कितनों ने त्याग-पत्र दिया है ? क्या यह सही है कि उनके द्वारा त्याग-पत्र देने पर उनके द्वारा वितरित की गयी शक्कर की कोई जांच नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रायबरेली जिले में चीनी के २१७ फुटकर कोटेदार हैं जिनमें से केवल दो ने त्याग-पत्र दिये हैं। एक कोटेदार ने बिना कोई कोटा उठाये ही त्याग-पत्र दे दिया था। इसकी जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरे कोटेदार ने अभी हाल में ही त्याग-पत्र दिया है उसकी जांच हो रही है।

*८४—श्री रतीपाल—

क्या यह सही है कि थाना जगतपुर के शक्कर के कोटेदार के यहां ग्राम जनता को शक्कर नहीं दी जा रही है ? क्या सरकार किसी उक्त अधिकारी द्वारा कोटेदार एवं इन्स्पेक्टर के आचरण की गुप्त जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गुप्त जांच वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है।

ऊसर भूमि

*८५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। मैनपुरी जिले में ५,०००-एकड़ ऊसर भूमि को सुधारने के बाद ४५० भूमि विहीन खेतिहरों को बसाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

मक्का

*८६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोगली किस्म की मक्का बुआने की कोई व्यापक योजना सरकार बना रही है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री चरणसिंह—

जी हां। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किया जायगा—

(अ) प्रत्येक क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र पर दोगली मक्का का परीक्षण।

(ब) प्रदेश के राजकीय बीज संवर्द्धन फार्मों पर प्रदर्शन।

(स) उन जिलों में जहां मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है कृषकों के खेतों में प्रदर्शन।

सुरक्षा सामग्री के लिये बैरक कम्बल

*८७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुरक्षा सामग्री की पूर्ति के लिये प्रदेश के जिलों से कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादित अथवा निर्मित की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

केवल बैरक कम्बल बनाये जा रहे हैं।

इलाहाबाद जिले में चीनी का वितरण

*८८—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० अप्रैल सन् १९६३ को इलाहाबाद शहर और जिले के थोक चीनी व्यापारियों के पास कितनी चीनी स्टाक में मिली और उस चीनी का क्या हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

३० अप्रैल, १९६३ के चीनी के थोक व्यापारियों के पास स्टाक में २,०१७ बोरी चीनी मिली जो कि हलवाइयों आदि तथा फुटकर चीनी विक्रेताओं को वितरित कर दी गई।

*८९—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहर और जिले के लिये मई सन् १९६३ में चीनी का कितना कोटा दिया गया और मई की खपत के बाद कितनी चीनी जून में बची?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१५ अप्रैल १९६३ से १५ मई, १९६३ तक के लिये ११,६४० बोरी चीनी, इलाहाबाद को एलाट हुई मई की खपत के बाद केवल ४,१४२ बोरी चीनी बेची।

*९०—श्री सत्यनारायण पांडेय—

इस समय इलाहाबाद शहर और जिले को चीनी का कोटा कितना है ? क्या यह मई के कोटे से कम है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस समय इलाहाबाद का निर्धारित मासिक कोटा ४०८ मेट्रिक टन (८,०४०) बोरी है जोकि अप्रैल मई, १९६३ से कम है । कारण जिलों के कोटों का उनकी जन-संख्या के आधार पर पुनः निर्धारित होना है ।

चीनी वितरण नीति

*९१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हर जिले में शहरों और देहातों में शक्कर वितरण की नीति सरकार की अलग-अलग क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नीति तो एक ही है । वितरण प्रणाली जरूर मजबूरी व आवश्यकता अनुसार भिन्न है । इसके कारण यह हैं :—

(१) देहाती क्षेत्र की विशाल जनसंख्या को कार्ड पर चीनी देना संभव नहीं है । इसे सुचारु रूप से देने क लिये बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिस पर धन तो अधिक खर्च होगा किन्तु फल उसी अनुपात में नहीं मिलेगा । इसके अतिरिक्त इस संकटकालीन अवस्था में यह व्यय राज्य सरकार के लिये वहन करना सम्भव नहीं है ।

(२) राज्य का मासिक कोटा केवल २०, ००० मी० टन है । १९६१ की जनसंख्या के आधार पर देहातों में प्रति व्यक्ति प्रति मास एक किलोग्राम चीनी देने के लिये कम से कम ६४,२६७ मी० टन शक्कर मिलनी चाहिये । यदि वर्तमान कोटा पूरा का पूरा देहातों को ही दे दिया जाय तो भी प्रति व्यक्ति १/२ किलोग्राम चीनी भी देहातों में नहीं दी जा सकती । कार्डों पर चीनी देने का अर्थ है कि जो भी चीनी कार्ड पर मिलनी चाहिए उस मात्रा का जरूर प्रबन्ध हो, किन्तु वर्तमान अवस्था में ऐसा सम्भव नहीं है ।

*९२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार अपनी मौजूदा नीति में परिवर्तन कर के देहातों में भी परमिट द्वारा शक्कर का वितरण करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चीनी को गांव में प्रधान व पंच न्याय पंचायत की पर्ची पर ही दिया जाता है । इस नीति में परिवर्तन करना अभी सम्भव नहीं लगता ।

लखनऊ में आई० टी० कालेज, होस्टल के निकट की भूमि

*९३—श्री रघुवीरसहाय कंथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में अलीगंज रोड पर आई० टी० कालेज होस्टल के सामने हरिजनों का मरघटा था ? उसमें सन् १९२८ के बन्दोबस्त के अनुसार कितनी आराजी थी ? क्या सरकार उस बन्दोबस्त का एक नक्शा सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

आई० टी० कालेज होस्टल के सामने अलीगंज रोड (कुर्सी रोड) पर कुछ कब्रें हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि यह कब्रें हरिजनों की हैं। इस क्षेत्र की पैमाइश १९२८ के बन्दोबस्त के समय नहीं की गयी थी, क्योंकि यह क्षेत्र लखनऊ नगर के मुहल्ला हसनगंज के अन्तर्गत आता है, तथा १९२८ के बन्दोबस्त में सम्मिलित नहीं किया गया था। वास्तव में १९२८ का बन्दोबस्त केवल नगर के मिले हुए कुछ गांवों तक ही सीमित था। अतः १९२८ के बन्दोबस्त के अनुसार इस क्षेत्र से सम्बन्धित नकशा सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

*९४--श्री रघुवीर सहाय कंथवार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६१ में चांदगंज स्कीम चालू होने पर स्कीम में मरघटे का कितना हिस्सा ले लिया गया और कितना हिस्सा मरघटे को छोड़ा गया? क्या सरकार छोड़े गये मरघटे का एक नक्शा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चतुभुर्ज शर्मा --

चांद गंज स्कीम के संबंध में सन् १९६१ में मरघटे की भूमि अर्जित नहीं की गई। अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

*९५-९६ श्री राजेन्द्रसिंह, श्री लोकपालसिंह, (जिला ऐटा), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)---

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला पूर्ति अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*९७--कुंवर तेजभानसिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध किसी सेठ की दरख्वास्त, जिलाधीश प्रतापगढ़ के पास भेजी गयी है कि उपरोक्त जिला पूर्ति अधिकारी ने उस सेठ से २०० रु० चन्दा वार फन्ड के लिए वसूल किया था और उस वक्त उसको रसीद नहीं दी जब उसने पूर्ति अधिकारी से रसीद के प्रति पुनः कहा तो नाराज होकर जिला पूर्ति अधिकारी ने पूर्ति विभाग से सम्बन्धित उस सेठ के कोटे का लाइसेन्स जब्त करा दिया और उसकी दरख्वास्त की कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

इस प्रकार की एक शिकायत २०-७-६३ को जिलाधीश प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त हुई, पर जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित थोक व्यापारी का लाइसेन्स इस कारण रद्द किया गया था कि उसने अपने रजिस्टर इत्यादि में फर्जी बिक्री दिखला कर चीनी का स्टाक गायब कर दिया। यह आरोप पूर्णतः असत्य है कि उस व्यापारी से २०० रु० वारफंड के लिये लेकर उसे कोई रसीद नहीं दी गई।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ जिले को सीमेंट तथा टीन

*९८--श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जिले के लिये अतिरिक्त सीमेन्ट कोटे तथा टीन की चादरों को वहां की बाढ़ की क्षति को देखते हुये भेजने की व्यवस्था की है? यदि हां, तो कितना वैगन सीमेन्ट और कितने टन टीन की चादरें भेजी गयीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

जी हां। ७३ वैगन सीमेन्ट तथा ८५ टन टीन की चादरों का अतिरिक्त कोटा दिया गया।

*९९—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[१६ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १२७ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

*१००—१०१—श्री गिरजाप्रसाद—

[२० दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १५६—१५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के अन्तर्गत परीक्षा की मान्यता

*१०२—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—

क्या सरकार इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स की असोसिएट मेम्बरशिप की सेक्सन (ए) और सेक्शन (बी) की परीक्षा को स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग और नगर नियोजन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के लिये मान्यता देती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

जी हां।

*१०३—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०४—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

[हटा दिया गया।]

इलाहाबाद के ट्रंक उत्पादकों को परमिट

*१०५—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा और कानपुर के फैब्रीकेटर को पी० आई० एस० सी० से सीधी परमिट मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इलाहाबाद के ट्रंक उत्पादकों के लिये भी ऐसा ही प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

जी हां। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है उसका उत्तर नहीं में है।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद द्वारा अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*१०६—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद के रेगुलेटेड एरिया में ३१ अक्तूबर, १९६३ तक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गाजियाबाद ने कितनी जमीन का कब्जा ले लिया है ? क्या इस तमाम भूमि का मुआवजा किसानों को या भूमिपतियों को दे दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद में ३१—१०—६३ तक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, गाजियाबाद ने १४९२ एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया था। उक्त भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों अथवा भूमिपतियों को नहीं दिया गया है।

*१०७—श्री तेजसिंह—

क्या यह सही है कि बहुत से किसानों ने मुआवजा थोड़ा होने से लेने से इन्कार कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट,गाजियाबाद ने जिस भूमि पर कब्जा लिया है उसका मुआवजा लेने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया में ३१-१०-६३ तक यू० पी० स्टेट इन्डिस्ट्रियल कारपोरेशन, गाजियाबाद ने १३०९ एकड़ भूमि का कब्जा लिया है। जिसमें ३३० एकड़ भूमि का मुआवजा वितरण किया गया तथा ५०५ व्यक्तियों में से केवल २९ व्यक्तियों ने मुआवजा कम होने के कारण लेने से इन्कार किया।

भूमि संरक्षण योजना

*१०८—श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में भूमि संरक्षण योजना लागू है और सरकार का उस पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री चरणसिंह—

भूमि संरक्षण योजना निम्नलिखित २० जिलों में चालू है और उस पर १९६२-६३ तक ९१,०४,६२६ रुपया व्यय हुआ है।

१—आगरा
२—झांसी
३—जालौन
४—मिर्जापुर
५—मथुरा
६—सुल्तानपुर
७—टेहरी गढ़वाल
८—प्रतापगढ़
९—मेरठ
१०—कानपुर
११—इलाहाबाद।
१२—बांदा
१३—फतेहपुर
१४—हमीरपुर
१५—सीतापुर
१६—वाराणसी
१७—फर्रुखाबाद
१८—उत्तर काशी
१९—बुलन्दशहर
२०—लखनऊ।

*१०९—श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिलों के अतिरिक्त और भी जिले आगामी वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले ह ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ? क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना जिन क्षेत्रों में चालू हैं, उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह —

आगामी वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित पांच जिले और भी लिये जावेंगे :—

१—देहरादून
२—मुजफ्फरनगर
३—सहारनपुर
४—इटावा
५—उन्नाव।

उक्त योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ तक १,९२,८३४ एकड़ में भूमि संरक्षण कार्य हुआ है।

*११०-१११—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*११२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

दुद्धी तहसील में फारेस्ट सेटिलमेंट

*११३—श्री रामप्यारे मिश्र (जिला मिर्जापुर)—

क्या वन मंत्री २३ सितम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या ४ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिस भूमि को आदिवासी किसान ने अधिक परिश्रम तथा धन द्वारा साफ करके कृषि योग्य बनाया है और वर्षों से उस पर खेती कर रहा है 'एवं' जिसमें नियोजित वन भी नहीं सम्भव हो सकते उसको किसानों के कब्जे में रहने देगी और उस पर नियमतः लगान निर्धारण करेगी ?

श्री चरणसिंह—

इस विषय में कोई सामान्य नियम नहीं है। हर विवादग्रस्त भूमि के मामले की जांच वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा हो रही है, और वह उस पर निर्णय लेते हैं। जो अन्तिम निर्णय इस कार्यवाही में होता है वह मान्य होता है।

*११४—श्री रामप्यारे मिश्र—

क्या यह बात सही है कि जो भूमि किसानों के कब्जे से ली जा रही है उसमें ९० प्रतिशत से भी ज्यादा भूमि गरीब आदिवासियों की है ?

श्री चरणसिंह—

ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

*११५—श्री रामप्यारे मिश्र—

क्या सरकार उपयुक्त मामले की जांच के लिये कमेटी नियुक्त करेगी जो सही स्थिति की सूचना सरकार को दे सके ?

श्री चरणसिंह—

चूंकि सरकार ने वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है, जो हक हकूक तथा अन्य अधिकार की जांच करते हैं, अतः जांच कमेटी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि अधिकारी, बरेली द्वारा नियुक्तियां

*११६—श्री रामेश्वरनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि अधिकारी, बरेली ने पिछले ४ वर्षों में ऐसे कितने लोगों की नियुक्ति की है जिनका नाम रोजगार के दफ्तरों से नहीं दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

१० व्यक्तियों की।

चन्द्रप्रभा सैंक्चुअरी में गिरि शेरों का आहार

*११७—श्री शारदानन्द—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि चन्द्रप्रभा नामक मृगवन में जहां गिरि पहाड़ के बबर शेर लाकर छोड़े गये थे वहां उपर्युक्त आहार के न मिलने से कालान्तर में इन शेरों के लुप्त हो

जाने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो तो क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संरक्षण के लिये सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है तथा आगे क्या करने की योजना है ?

श्री चरणसिंह—

चन्द्र प्रभा सैंक्चुअरी में गिरि शेरों के लिए उपयुक्त आहार न मिलने का इस समय कोई खतरा नहीं है, पर शेरों की बढ़ती हुई गिनती के कारण कालान्तर में इनके लिये आहार की कमी हो सकती है । इस समय स्थिति ऐसी है कि आस-पास के मवेशियों द्वारा इस वन में अत्यधिक चराई के कारण इस वन के हिरन, नीलगाय, सांभर ,सूअर इत्यादि जानवर, जो शेरों का आहार है, संख्या में बढ़ नहीं पा रहे हैं । इसके लिये फारेस्ट सेटिलमेन्ट द्वारा जो इस समय चकिया के वनों में चालू है, मवेशयों की अत्यधिक चराई रोकने के प्रबन्ध पर विचार किया जा रहा है जिससे कि गिरि शेरों के अहार में वृद्धि हो ।

*११८-१२०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

[२३ दिसम्बर ,१९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

श्री मोहम्मद फखरुद्दीन सिद्दीकी, वेटरिनरी आफिसर, वाराणसी के खिलाफ शिकायतें

*१२१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी शहर के बेनिया बाग, अर्दली बाजार और अलईपुर स्लाटर हाउसों में मरने वाले पशुओं की डाक्टरी जांच करने वाले कोई मुहम्मद फखरुद्दीन नाम के डाक्टर पिछले १६-१७ वर्षों से लगातार यहां कार्य कर रहें है ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक उनके यहां पड़े रहने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । वाराणसी नगर महापालिका के स्लाटर हाउसों में मारे जाने वाले पशुओं की डाक्टरी जांच करने वाले पशु चिकित्सक, श्री मोहम्मद फखरुद्दीन सिद्दीकी दिनांक २९ सितम्बर, १९४७ से वहां कार्य कर रहें हैं । निदेशक, पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दो बार पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के आदेश दिये जाने पर भी उनकी घरेलू परिस्थितियों एवं प्रशासक नगर महापालिका, नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा चेयरमैन, बनारस कोआपरेटिव डेवलपमेंट फैडरेशन, वाराणसी की संस्तुति के कारण सन् १९६० तक उनका स्थानान्तरण न हो सका । सन् १९६० में नगर महापालिका के अनुरोध पर उनकी प्रतिनियुक्ति वहां हो गई और तब से वे नगर महापालिका के अधीन कार्य कर रहें हैं ।

*१२२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या इस डाक्टर के विरुद्ध कई लाइसेन्सशुदा गोश्त विक्रेताओं ने १६ जुलाई, १९६३ को जिलाधीश, वाराणसी तथा स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश और १७ अगस्त, १९६३ को उप-संचालक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को शिकायती-पत्र लिखे ? उन पत्रों में इस डाक्टर के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

श्री मोहम्मद फखरुद्दीन सिद्दीकी वैटरिनरी आफिसर (पशु चिकित्सा अधिकारी), वाराणसी के विरुद्ध श्री अब्दुल रशीद का, उप निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सम्बोधित पत्र दिनांक १७ अगस्त, १९६३ प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त अधिकारी के विरुद्ध निम्नलिखित शिकयतें थीं :

(१) श्री फखरुद्दीन कई नमूने में गोश्त के विक्रेताओं के ऊपर जुल्म व सख्ती करने के आदी हैं और हर वक्त रुपया मांगते रहते हैं, और इन्कार की हालत में अच्छे से अच्छे नमूने का गोश्त होने पर मंजूर नहीं करते हैं और मांगी रकम अदा कर देने पर खराब से खराब गोश्त को भी मंजूर कर देते हैं और इसका कोई ख्याल नहीं करते कि काटा गया जानवर बीमार या वृद्ध या किस किस्म का था ।

(२) कभी-कभी लाइसेन्स वाले गोश्त विक्रेताओं की दूकान खोलने से भी एक व दूसरे एतराज से बन्द करा देते हैं ।

(३) प्रत्येक दूकानदार से माहवारी रकम मुकर्रर करवा दी है, जो लोग नहीं देते हैं उनको बर्बाद कर देते हैं ।

(४) उनका इजाफेवाली जगह पर तबादला हुआ था, परन्तु उन्होंने किसी न किसी तरह से हाल वाली जगह पर ही रहने का बन्दोबस्त किया है । यह हकीकत खुद यह हकीकत दिखाती है कि इसी जगह पर उनको कोई फायदा है वरना इजाफे वाली जगह को वे इन्कार नहीं करते ।

(५) सरकारी कानून के बावजूद वह वाराणसी में पिछले १५, १६ साल से काम करते जा रहें हैं और कभी भी उनका तबादला नहीं हुआ है । अगर इत्तिफाकन उनको ऐसा हुकुम मिलेगा भी तो उस हालत में वह तबादले वाले हुक्म से भागने का बन्दोबस्त करेंगे ।

इस संबंध में निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है । साथ ही साथ, सरकार द्वारा निदेशक, पशु पालन, को श्री मोहम्मद फखरुद्दीन को दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६३ तक नगर महापालिका, वाराणसी से विभाग में वापिस बुलाने के आदेश भी दे दिये गये हैं ।

*१२३–१२४—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

हैदरगढ़ कृषि फार्म का नलकूप

*१२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि हैदरगढ़ (बाराबंकी) स्थित कृषिफार्म में सन् १९६२ में ट्यूबवेल लगाने हेतु बोरिंग हो चुकी है व इंटा इंजन भी खरीद कर आ चुका है ? यदि हां, तो अभी तक लगाया क्यों नहीं जा सका है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, इंजन के न लगने का कारण यह था कि बोरिंग किये गये कुवें के आस-पास की भूमि के बैठने की संभावना थी ऐसी स्थिति में जब तक भूमि पक्की न हो जाती इंजन का लगाना ठीक नहीं था ।

*१२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ट्यूबवेल को लगाने में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री चरणसिंह—

कुल ३,६८६.४४ नये पैसे ।

*१२७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त फार्म पर कब तक ट्यूबवेल लग जायगा ?

श्री चरणसिंह—

अगले मास तक लग जाने की आशा की जाती है ।

*१२८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

रसरा, बलिया सरकारी गोदाम से अधिक गल्ला निकालना

*१२९—श्री गंगा प्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व बलिया के किसी इश्यू गोदाम (Issue Godown) से किसी राशन की दूकान द्वारा काफी गल्ला बाहर चला गया और उस गल्ले का आवश्यक मूल्य सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा कैसे हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२ अगस्त, १९६१ से १० मई, १९६३ तक की अवधि में श्री राम बीज राम, रामपुर (बलिया) स्थित राजकीय सस्ते गल्ले के भूतपूर्व दूकानदार ने जितना धन राजकीय कोष में जमा किया था, उससे कहीं अधिक मूल्य का गल्ला रसरा (बलिया) स्थित सरकारी गोदाम से रिलीज आर्डर (Release Order) तथा ट्रेजरी चालान (Treasury Chalan) पर मात्रा एवं मूल्य गलत बढ़ाकर प्राप्त किया था। इस प्रकार अधिक प्राप्त किये गये गल्ले का मूल्य ३३,१३९ रुपये ४८ नये पैसे हैं ।

आगरा जलपूर्ति के लिये सुझाव

*१३०—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जल पूर्ति समस्या के समाधान हेतु बनाई गई पावर कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं और उन सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों (Recommendations) की एक प्रतिलिपि संलग्न है । इन सुझावों को नगर महापालिका आगरा को कार्यान्वित करने के लिये भेज दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४०४–४०५ पर)

फर्रुखाबाद जिले में शक्कर के लाइसेंसदार

*१३१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा कितने शक्कर के लाइसेन्स किस-किस को दिये गये तथा उनके नाम व पते क्या हैं और प्रत्येक लाइसेन्सदार को ३० सितम्बर, १९६३ तक कितनी-कितनी चीनी दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश शक्कर व्यापारियों को लाइसेन्स देने की आज्ञा १९६२ के अन्तर्गत कुल २४ लाइसेन्स दिये गये । लाइसेन्सदारों के नाम, पते और चीनी की मात्रा जो उन्हें ३० सितम्बर, १९६३ तक दी गई, संलग्न सूची में दी गयी है । सूची में अन्त के पांच लाइसेन्सधार वास्तव में खांडसारी विक्रेता हैं अतः उन्हें चीनी का कोटा नहीं दिया जाता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

अलीगढ़ जिले में किसानों को ऋण

*१३२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जो पैकेज योजना चल रही है, उसमें मार्च, १९६३ तक कितना व्यय हो चुका ह ?

श्री चरणसिंह—

कुल ६८,२१ २१४ रु०, जिसमें मध्यकालीन ऋण के रूप में वितरित २१,७१,३६२ रु० भी सम्मिलित है ।

*१३३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कितना खर्चा किसानों को ब्लाक वाइज बांटा गया है और उस रुपये का सदुपयोग हुआ या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

कुल २१,७१,३६२ रु० का मध्यकालीन ऋण ८,५०,००० रु० के कृषि उपकरणों (Implements) तथा ५६ ००० रु० प्रदर्शन हेतु बांटा गया। कुछ कृषकों से इसके सदुपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं और कुछ से अभी प्राप्त नहीं हुये हैं ।

*१३४—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितने रुपये के कृषि औजार, जीपें तथा खाद खरीदी गई हैं ?

श्री चरणसिंह—

लगभग ८,५०,००० रु० के कृषि यंत्र और २९,८६,००७ रु० की खाद खरीदी गई । जीपें भारत सरकार से प्राप्त हुईं, अतएव उनके खरीदने में कुछ भी व्यय नहीं किया गया ।

*१३५—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्वायत्त शासन विभाग में पत्र-व्यवहार की भाषा

*१३६—श्री बेदराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश ने सन् १९६२-६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भेजे हैं और उनमें हिन्दी के कितने तथा अंग्रेजी के कितने हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सन् १९६२-६३ में केन्द्रीय सरकार को १०६४ पत्र भेजे गये । केन्द्रीय सरकार से प्रायः सारा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में ही होता है। अतएव केवल एक पत्र को छोड़ कर जो हिन्दी में लिखा गया था शष सभी पत्र अंग्रेजी में भेजे गये ।

*१३७—श्री बेदराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन विभाग में पूरे प्रान्त से १९६२-६३ में कितने पत्र हिन्दी में आये और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेज गय हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हिन्दी और अंग्रजी में प्राप्त समस्त पत्र एक ही रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं। इस कारण यह सूचना कि कितने पत्र हिन्दी में आये, और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भजे गये एकत्रित करने में काफी समय और परिश्रम लगेगा। परन्तु सामान्यतया हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही भेजे गये हैं।

*१३८—श्री बेदराम—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जो उत्तर अंग्रेजी में दिये गये हैं, उनका कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर में कहा गया है, सामान्यतया हिन्दी में आये पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है।

देहातों में पेय जल व्यवस्था

*१३९—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने देहातों में पीने के पानी के सप्लाई के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उस योजना का विस्तृत विवरण क्या है योजना कब से लागू की जावेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस समय देहातों में पीने के पानी की व्यवस्था राष्ट्रीय जल संक्षरण योजना तथा लोकल डेवलपमेंट वर्क्स प्रोग्रामों के अन्तर्गत की जा रही है। लगभग १२,००० गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा चुकी है और समय-समय पर जो धनराशि मिल रही है और उसके अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था अन्य गांवों में की जा रही है।

*१४०—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजना में कितना खर्च होने का अनुमान है और उसमें कितना भारत सरकार अनुदान-स्वरूप दगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रदेश के समस्त गांवों के लिये अभी योजानायें नहीं बनाई गई हैं इसलिए कोई खर्चे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार से कितना अनुदान मिलेगा।

अतारांकित प्रश्न

झांसी नगरपालिका अध्यक्ष का निलम्बन

१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष आजकल मुअत्तल हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उन्होंने मुअत्तली के विरुद्ध हाईकोर्ट में जो रिट दायर करके मुअत्तली के आर्डर को स्टे कराया था वह वैकेट हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। उनके विरुद्ध शासन ने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अवचार का दोष लगाया था। चूंकि इस सिलसिले में जांच हो रही है अतः वह मुअत्तल है। यह सच है कि उनकी मुअत्तली के संबंध का स्टे आर्डर हट चुका है।

२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष को अभी हाल ही में गिरफ्तार कराकर उन पर मुकदमा चला रखा है ? यदि हां, तो किस जुर्म में और उनके विरुद्ध जो मामले कई वर्षों से पैंडिंग हैं उन्हें अभी तक क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष दिनांक २४ मई, १९६३ को धारा ४०९/४७७–ए भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे किन्तु वे बाद में जमानत पर रिहा हो गए हैं। श्री उदैनिया के विरुद्ध वर्षों पुरानी कोई शिकायत पेन्डिग नहीं है।

३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के एक कांग्रेसी एम० एल० ए० व कुछ कांग्रेसमैनों के एक डेपुटेशन ने अभी हाल ही में मुख्य मंत्री व स्वशासन मंत्री पर यह जोर दिया है कि यदि वह उक्त अध्यक्ष के विरुद्ध चलने वाला मुकदमा वापस ले लेने के अलावा अन्य सभी मामले भी फाइल कर दें तो अध्यक्ष अपने पद से त्याग-पत्र दे देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में सीमेंट व टीन की कमी

४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रूखाबाद जिले में कई मास से सीमेंट व टीन की बड़ी दिक्कत है जिससे विकास व निजी संबंधी इमारतें बिला सीमेंट के खराब हो रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला फर्रुखाबाद में अन्य जिलों की भांति सीमेन्ट की कमी जरूर है परन्तु ऐसी कोई अधिकृत सूचना सरकार के पास नहीं है कि विकास तथा निजी इमारतें बिला सीमेन्ट के खराब हो रही हैं। जहां तक टीन का संबंध है इसका कोटा केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रैल सन् ६२ से इस प्रदेश को नहीं मिला। अतः टीन का कोटा फर्रूखाबाद को नहीं दिया जा सका।

५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर हां, तो क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले में सीमेंट का वितरण

६—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में सन् १९६१–६२ और सन् १९६२–६३ में कितना सीमेंट मुरादाबाद, चन्दौसी, सम्भल, अमरोहा, हसनपुर (शहरी क्षेत्र) के निवासियों को मिला और कितना जिले के दूसरे देहाती निवासियों को मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

मथुरा जिले में सीमेंट व चीनी का वितरण

७—श्री लखीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में गत वर्ष चीनी तथा सीमेंट का कोटा कितना दिया गया और वर्तमान साल में कितना दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मथुरा जिले को सीमेन्ट का कोटा गत वर्ष ६३४८ मैट्रिक टन तथा वर्तमान साल में ५५८७ मैट्रिक टन दिया जा रहा है। इस वर्ष (१९६३) अप्रैल से सितम्बर तक १५८२ मैट्रिक टन चीनी दी गई। गत वर्ष चीनी पर कोई कन्ट्रोल नहीं था।

८—श्री लखीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त दिये गये कोटे में कितनी चीनी तथा सीमेंट छाता तहसील को दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस वर्ष अप्रैल सन् १९६३ से सितम्बर, १९६३ तक १६१.१ मैट्रिक टन चीनी छाता तहसील को दी गई है। गत वर्ष (१९६२) में १००५ मैट्रिक टन तथा वर्तमान वर्ष में सितम्बर तक ६४४ मैट्रिक टन सीमेंट भी इस तहसील को दी गई।

९—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले में मकान की मरम्मत कराने के लिये प्रति मकान ५ किलो सीमेंट एवं लड़की की शादी के लिये २० किलो चीनी एवं लड़के की शादी के लिये १० किलो चीनी दी जाती है ? यदि नहीं, तो ठीक आंकड़े दिये जायें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शहर मथुरा में ३ दुकानदारों को १२० बोरा सीमेन्ट खरीज में ५ किलो प्रति व्यक्ति बेचने की आज्ञा दे दी गई एवं वृन्दाबन में १८८ बोरा सीमेन्ट ५ दुकानदारों को हाउस टैक्स रसीद पर ५ किलो सीमेन्ट बेचने की सुविधा दी गई। जहां तक चीनी का प्रश्न है शादी के उत्सवों पर प्रार्थी को एक बोरा से २ बोरा तक चीनी जिलाधीश की आज्ञा से दी जाती है।

ग्राण्ड ट्रंक रोड पर वृक्षों का काटा जाना

१०—श्री होरीलाल यादव—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राण्ड ट्रंक रोड पर बिल्हौर, जिला कानपुर और कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के बीच के फलदार वृक्ष कटवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, किन्तु केवल वही वृक्ष कटवाये जा रहे हैं जो कि पुराने हैं तथा १६ इंच से अधिक व्यास वाले हैं। इन वृक्षों की कटान दक्षिणी दोआब वन खंड की कार्य योजना (१९६२–६३ से १९७१–७२) के अध्याय २ के अनुच्छेद ४५ को कार्यान्वित करने के लिये की जा रही है। अनुच्छेद ४५ की एक प्रतिलिपि संलग्न है। इन वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये जायेंगे। इन वृक्षों के कटवाने तथा नये वृक्षों को लगवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मार्गों के किनारों के छायादार वृक्ष सजातीय तथा सम आयु के हों जिनसे कि मार्गों की शोभा बढ़े।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४०८ पर।)

इलाहाबाद के स्टील ट्रंक व्यापारियों की मांगें

११—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद स्टील ट्रंक के व्यापारियों के संबंध में कोई डेपुटेशन दिनांक ४ मई, १९६३ को उनको मिला था ? यदि हां, तो उस डेपुटेशन में कौन लोग थे और उनकी कौन-कौन सी मांगें थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी, से इलाहाबाद के स्टील ट्रंक के व्यापारियों के संबंध में एक डेपुटेशन मिला था। उसमें कौन लोग थे इसकी सूचना यहां नहीं है। इन व्यापारियों की जो मांगे इस विभाग में आई हैं उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

कानपुर में नमक मिली चीनी बिकने की जानकारी

१२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून के अन्तिम अथवा जुलाई, १९६३ के प्रथम सप्ताह में कानपुर पूर्ति विभाग को कोई ऐसी सूचना मिली थी कि सरकारी दुकान पर शक्कर के साथ नमक मिला कर बेचा गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं।

१३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जिले से सीमेंट की निकासी

१४—श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जनपद में इस समय सीमेंट के कितने स्टाकिस्ट हैं और इन स्टाकिस्टों ने जनवरी, १९६३ से अब तक कितनी-कितनी सीमेंट की निकासी की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गाजीपुर जनपद में इस समय सीमेन्ट के ५० स्टाकिस्ट हैं और उनमें से ३४ स्टाकिस्टों ने जनवरी, १९६३ से २२ अक्तूबर, १९६३ तक जितने-जितने सीमेन्ट की निकासी की उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४१० पर)

खजुहा विकास खंड में पशु चिकित्सा के लिये औषधियां

१५—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिलान्तर्गत खजुहा विकास खंड के गत वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के पशुपालन मद से क्या कुछ दवायें क्रय करके वितरित की गई थी ?

यदि हां, तो कितनी धनराशि की तथा कब और किस-किस के द्वारा किनको वितरित की गयीं ? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि की औषधियां नष्ट हो गई और वह किसकी लापरवाही से ?

श्री चरणसिंह---

जी हां, १९६२-६३ में जिला में पशुधन अधिकारी, फतेहपुर ने रु० १४४२.१३ न० पै० की दवायें क्रय करके फतेहपुर के खजुहा विकास खंड प्रथम के पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्र को दीं। कोई भी दवा नष्ट नहीं हुई ।

१६-१८---श्री रामकिशोर वर्मा---

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेन्शन देने की योजना

१९---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वह प्रदेश में स्वायत्त शासन संस्थाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सेवा निवृति के पश्चात पेंशन देने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रहें हैं ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

नगर महापालिका अधिनियम की धारा ५४८ की उपधारा (१) के अधीन नगर महापालिका की कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कर्मचारियों के लिये पेन्शन रेगुलेशन बना सकती है। अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेन्शन संबंधी सुविधा देने की योजना विचाराधीन है। चूंकि इस योजना का प्रभाव स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा इसलिये इस प्रश्न पर निर्णय लेने की तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

२०---२२---श्री कल्पनाथसिंह---

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

गृह निर्माण योजनायें

२३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जन-संख्या के अनुसार मकानों की संख्या की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिनका उद्देश्य प्रदेश में मकानों की संख्या की कमी को पूरा करना है । ये योजनायें निम्नलिखित हैं :

१---राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना,
२---अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना,
३---मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना,
४---गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना,
५---ग्राम्य गृह निर्माण योजना ।

इलाहाबाद में मकानों का एलाटमेंट

२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में सन् १९६१–६२ तथा ६२ से जुलाई, १९६३ तक कितने नागरिकों ने मकान एलाटमेंट हेतु प्रार्थना-पत्र दिये तथा उसमें कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला इलाहाबाद में सन् १९६१–६२ में १,७४६ व सन् १९६२ से सितम्बर सन् १९६३ तक १,५०० प्रार्थना पत्र मकान एलाटमेन्ट हेतु प्राप्त हुए जिन में से क्रमशः ४७४ व २७३ प्रार्थना-पत्र पर अलाटमेंट की स्वीकृत दी गई ।

सहारनपुर जिले से रेंट कंट्रोल ऐक्ट संबंधी अपीलें

२५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सहारनपुर जिले की कितनी files इस समय प्रान्तीय सरकार के पास अपील में Rent Control Act के अधीन पड़ी हैं और उनमें कितनी एक साल, दो साल और तीन साल की हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	अनिर्णीत अपीलों की संख्या
१	२
१९६०	१
१९६१	—
१९६२	१३
१९६३	१२
योग ..	२६

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, कासिमाबाद के सांड़

२६—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि कासिमाबाद जिला गाजीपुर के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के सांड़ों की दशा चारे के अभाव में शोचनीय हो गई है तथा वह अपने काम करने में असमर्थ हैं । यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं । इस केन्द्र पर एक हरियाना और एक मुर्रा सांड़ है और यह दोनों अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं ।

कैदियों के प्रोबेशन सम्बन्धी कागजात का गुम होना

२७—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या कारगार मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ कैदियों के प्रोबेशन के कागजात जो सन् १९६०–६१ ई० में उनकी जेलों से जिला फतेहपुर के अधिकारियों को उचित जांच व रिपोर्ट के लिये भेजे गये थे किसी सरकारी दफ्तर में गायब हो गई और उनकी मुनासिब पैरोकारी न होने के कारण ही कैदी बयाराम व महादेव पिसरान रामपती जो सेन्ट्रल जेल नैनी में बन्द हैं और कैलाश व रामगोपाल (जो दो महीना हुये जेल में ही मर गये) फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में बन्द कैदियों को दुबारा प्रोबेशन के फार्म दिये गये जो फरवरी व मार्च, सन् १९६३ ई० में जिला फतेहपुर से उत्तर प्रदेश जेल के आई० जी० अफसर, लखनऊ के दफ्तर भेजे गये परन्तु अभी तक उनकी रिहाई सम्भव नहीं हो पाई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। प्रोवेशन बोर्ड ने इन कैदियों को छोड़े जाने की सिफारिश नहीं की थी।

कांधला नगरपालिका को लोहे के ठेलों की आवश्यकता

२८—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर, कांधला म्युनिसिपल बोर्ड ने कूड़ा फेंकने के लिये लोहे के ठेले खरीदने के निमित्त सरकार से अनुदान की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कांधला म्युनिसिपल बोर्ड जिला मुजफ्फरनगर ने कूड़ा फेंकने के लिये लोहे के ठेले खरीदने के निमित्त सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की है।

झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री बाबूलाल उदैनिया की मुअत्तली

२९—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष इत्यादि के विरुद्ध क्या २८ मार्च, १९६३ को धारा १२०–बी, ४०९/४२० इत्यादि में कोई मुकदमा नगर-कोतवाली, झांसी में प्रान्तीय सी० आई० डी० ने दर्ज कराया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कांड के कारण ही सरकार द्वारा नगरपालिका के अध्यक्ष को मुअत्तल किया गया ? यदि हां, तो मुअत्तली के विरुद्ध अध्यक्ष द्वारा हाई कोर्ट में कोई रिट की गई है ? यदि हां, तो हाई कोर्ट द्वारा उस पर क्या निर्णय हुआ और उपरोक्त मुकद्दमों में क्या हुआ ?

श्री चतुर्भुज—

जी हां।

श्री लखपत राम शर्मा, सदस्य, विधान सभा से श्री बाबूलाल उदैनिया, अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी के विरुद्ध शिकायत संबंधी जो पत्र १६ अक्तूबर, १९६२ को शासन को प्राप्त हुआ था उस पर प्रान्तीय सी० आई० डी० से जांच करने को कहा गया था। समय समय पर सी० आई० डी० से उस जांच की जो प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) शासन को प्राप्त हुई थी उस सामग्री के आधार पर शासन ने श्री उदैनिया के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही (Disciplinary Proceedings) आरम्भ की व साथ साथ उनको निलम्बित भी कर दिया। श्री उदैनिया ने अनुशासन की कार्यवाही तथा निलम्बन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका (Writ

Petition) दायर की थी जो खारिज हो गई । सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से शासन को प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त मुकदमें में अभी फैसला नहीं हुआ है ।

३०—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ गबन के मुकदमें ए० डी० एम० जे० झांसी के न्यायालय में चल रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस धारा में व कितने मुकद्दमें उपरोक्त मामले में शेसन न्यायालय में है अथवा ए० डी० एम० जे० के न्यायालय में ही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिलाधीश झांसी से अभी तक इस संबंध में ठीक सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है ।

गंगापुर क्षेत्र में हरिजन कूपों की आवश्यकता

३१—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिलान्तर्गत गंगापुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर ऐसी आबादियां अब भी हैं जिनमें पानी पीने के कुयें नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जांच करने पर मालूम हुआ है कि इस क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुयें नहीं हैं क्योंकि इन बस्तियों में मकानों की संख्या इतनी कम है कि यहां की जनता अपना अंशदान देकर कुयें नहीं बनवा सकती फिर भी हरिजन सहायक विभाग से इन बस्तियां में पीनें के पानी की व्यवस्था आवश्यकतानुसार कराने के लिये कहा जायगा ।

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में मास्टर के विरुद्ध कार्यवाही

३२—श्री बेदराम, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर सन् १९६३ में केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में एक मास्टर ने बलवा करवा दिया ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दिनांक २० सितम्बर, १९६३ को केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में दो बंदियों में आपस में साधारण झगड़ा हो गया था । यह अभी नहीं कहा जा सकता कि उस झगड़े में जेल के मास्टर का कितना हाथ था । इस सम्बन्ध में सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो चुकी है और अग्रेतर कार्यवाही चल रही है ।

३३—श्री बेदराम, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या उक्त मास्टर को मुअत्तली के लिये अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ने सितम्बर १९६३ में कारागार महानिरीक्षक, यू० पी० को कई बार लिखा है उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह ठीक है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के अधीक्षक ने मास्टर की मुअत्तली के बारे में कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से सिफारिश की थी किन्तु उन्होंने मास्टर को मुअत्तल करना उचित न समझा । मास्टर का तबादला दूसरी जगह कर दिया गया और मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

बिन्दकी बीज भण्डार से मिली रासायनिक खाद

३४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास क्षेत्र, खजुआ के अन्तर्गत सीड स्टोर बिन्दकी कृषकों को रासायनिक खाद की बोरी निर्धारित मात्रा के वजन से कम दी गई जसकी शिकायत सम्बन्धित कृषकों ने क्षेत्र विकास अधिकारी, खजुहा से की ? यदि हां, तो सन् १९६३ में एसी शिकायत की संख्या क्या थी तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

बी० डी० ओ०, फूलपुर द्वारा सीमेंट वितरण

३५—श्री दौलतलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ०, फूलपुर, आजमगढ़ को सीमेंट वितरण का कार्य कब से दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बी० डी० ओ०, फूलपुर, जिला आजमगढ़ को सीमेन्ट वितरण का कार्य ८ फरवरी, १९६३ से दिया गया है ।

पशु डाक्टर, विकास क्षेत्र, मुहम्मदाबाद के विरुद्ध जांच

३६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ५ अप्रैल, १९६३ का कोई प्रार्थना-पत्र पशु डाक्टर विकास क्षेत्र मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध श्री केशवसिंह, सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी, फर्रुखाबाद द्वारा उसे मिला है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । इस सम्बन्ध में निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा चुकी है । कुछ आरोपों के विषय में, जिनके बारे में कुछ प्रमाण मिले हैं, आगे जांच की जा रही है ।

३७–३९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

बदायूं जिले में शक्कर की दुकानें

४०—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बदायूं जिले के किस-किस गांव में शक्कर की दूकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसी दूकानों की एक सूची संलग्न† है ।

४१—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन दूकानों को कितनी शक्कर दी जाती है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस समय औसतन प्रति दूकान प्रति मास ६ बोरी शक्कर दी जाती है ।

राजस्थानी रेगिस्तान को रोकने के लिये वृक्षारोपण योजना

४२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के लिए प्रादेशिक सरकार द्वारा कौन-कौन उपाय किये जा रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में कितना रुपया व्यय करने का आयोजन है ?

श्री चरणसिंह—

राजस्थान की सीमा पर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के लिये प्रादेशिक सरकार द्वारा एक वृक्षारोपण योजना सन् १९६३ में चलाई गयी थी । यह योजना अब भी चालू है और कृषि तथा वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है । आजकल वनरोपण का कार्य वन विभाग कर रहा है और कृषि विभाग अपने लगाये हुये वृक्षों की देखरेख कर रहा है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष में कुल ३,०९,२०० रुपये व्यय करने का आयोजन है ।

बांदा जिले में शकर, लोहा, सीमेंट का वितरण

४३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में सन् १९५९ व ६० ई० में सीमेंट, शकर, लोहा कितना प्राप्त हुआ और कितना एलाटमेंट किया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्नलिखित है :

एलाटमेंट		प्राप्त
	१९५९	
शक्कर	.. १४६९.८८ मी० टन	१४४७.६६ मी० टन
लोहा	.. २४२ टन	२१८ टन
सीमेन्ट	.. ४१४४ टन	३६८२ टन
	१९६०	
शक्कर	.. २९५५.२६ मी० टन	२२२८.६६ मी० टन
लोहा	.. ३७४ टन	१३० टन
सीमेन्ट	.. ३९६२ टन	३७८३ टन

नोट : (१) १९५९ में चीनी का नियंत्रित वितरण जुलाई के महीने से शुरू हुआ था।

(२) सन् १९५९ में सीमेन्ट के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था और सीमेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी ।

पूर्वी जिलों में खाद्यान्नों का भाव

४४—श्री वन्त्रबलीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १९६३ में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ जिलों में जौ, चना, मटर और गेहूं का भाव फी मन या फी क्विन्टल क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १९६३ में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों के बाजारों में जौ, चना, मटर तथा गेहूं के प्रति क्विन्टल थोक भाव की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४११ पर)

४५–४६—श्री श्रीराम—

[९ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न ८९–९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

४७–४८—श्री श्रीराम—

[२३ दिसम्बर, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२, में परिवहन विभाग की (क) विज्ञप्ति संख्या २५८४–ए(१)/३०–ए–१–३-ए-६२, दिनांक २७ सितम्बर, १९६३, तथा (ख) विज्ञप्ति संख्या १९१८-ए-(१) ३०-ए–१६३-ए-६२, दिनांक २८ सितम्बर, १९६३, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों का, उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन†

राजस्व मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२, में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३२०/१–क-१९-६२, दिनांक ७ अक्तूबर, १९६३, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

शासन द्वारा नियुक्त गोमती बांध के टूटने के कारणों की जांच समिति, १९६० का प्रतिवेदन†

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शासन द्वारा नियुक्त गोमती बांध टूटने के कारणों की जांच समिति, १९६० का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-आर-ए-एम-४९-१५६६-टी-एम-३०, दिनांक १७ जुलाई, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-आर-ए-एम-५३-२७९८-टी-एम-३०, दिनांक ३० सितम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १७ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १ नवम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २७ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधन सभा ने अपनी दिनांक २९ अक्तूबर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १३ नवम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसमें नार्दर्न इन्डिया पत्रिका का सवाल था, लेकिन जो उसके कारेसपांडेंस थे उन्होंने उसके लिये अनकंडीशनल एपोलोजी कर ली है । अतः समिति की ओर से सर्वसम्मति से यह सिफारिश की गयी है कि उस एपोलोजी को स्वीकार कर लिया जाय ।

---

†छापा नहीं गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

मुझे दो विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना प्राप्त हुई । उनमें से एक माननीय नरसिंह-नारायण जी की थी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कुछ बातें जो आगामी बजट में आ रही हैं, वे समाचार-पत्रों में छप गयी हैं । उसको मैंने इस कारण से अस्वीकार कर दिया है कि अभी हमारे सामने बजट के प्रोपोजल्स नहीं हैं जिनसे यह ज्ञात हो सके कि उनमें क्या है । अतः समय से पूर्व होने के कारण मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है ।

दूसरी सूचना माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी की है । उन्होंने लिखा है "उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य सभा के लिये रिक्त ३ स्थानों का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा तीन विभिन्न तिथियों पर कराये जाने से संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है । यह बात मुख्य है । वे स्वयं कह रहे हैं कि यह चुनाव आयोग के आदेश से हो रहे हैं । फिर मैं उसका उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर किस प्रकार से डाल सकता हूं । इसलिये मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, आप हमें यह बतायें कि अगर इस प्रकार से सदन के सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके विरुद्ध कैसे अपनी आवाज उठायें ?

श्री अध्यक्ष---

इसका कोई तरीका हम और आप नियमों का अध्ययन करके निकाल लेंगे ।

प्रश्न का उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, मैंने २९ को लास्ट सेशन में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की सूचना दी थी और आपने उसे स्वीकार करने की कृपा की थी । ३० या ३१को उसका उत्तर आना चाहिये लेकिन नहीं आया और ३१ को सदन उठ गया । मैंने सोचा था कि शायद आज वह आ जाय, लेकिन आज भी नहीं आया । अल्पसूचित नहीं, तो तारांकित प्रश्न के रूप में ही वह आ जाता ।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न सदन में उठाये जावें तो सौ-डेढ़-सौ शिकायतें रोज आ सकती हैं । इसलिये मैं तो वहीं अपने कमरे में आपकी पत्रावली देखकर बता सकूंगा कि क्यों विलम्ब हो रहा है ।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा---

आपका आदेश हो जाय तब भी गृह विभाग से सूचना न आवे, यह तो बड़ी अजीब बात है ।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं बिना देखे कैसे कहूं ?

श्री अवधेशकुमार सिन्हा---

तो मेरी प्रार्थना है कि आप आज ही उसे देख लें ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप आयेंगे तो मैं पत्रावली मंगवा लूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय विभाग के मंत्री जी कृपया जरा इधर ध्यान दें। मेरे पास माननीय गेंदासिंह, माननीय कल्पनार्थसिंह, माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी, माननीय बिपिनबिहारी तिवारी, माननीय उग्रसेन जी, माननीय कृष्णा जी, माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, माननीय शारदाभक्तसिंह जी, माननीय हरिनाथ जी तिवारी, माननीय झारखंडे राय जी, माननीय छांगुर जी, माननीय रघुबीर राम जी और माननीय ऊदल जी, माननीय जगदीशप्रसाद जी और माननीय बहुगुणा जी की सूचनायें, गुड़, शक्कर, खांडसारी, गन्ने इत्यादि के रेट्स आदि के संबंध में हैं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

मेरी भी एक सूचना इस संबंध में है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामलाल जी कार्यस्थगन प्रस्तावों को अभी मैंने समाप्त नहीं किया।

पिछली बार जब सदन में नियम ५३ के अन्तर्गत इस पर बहस हुई थी तब सदन के दोनों पक्ष, सरकारी पक्ष तथा विरोधी पक्ष, से यह मांग थी कि इसके ऊपर बहस का एक अवसर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं पूरा एक दिन इस पर बहस के लिये देना चाहता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस पर तो २ दिन की बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी तो निवेदन कर रहा हूं कि यह विचार मैंने टेंटेटिवली आपके सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि वह ११ तारीख को हो जाय। आज सायंकाल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गयी है। वहीं पर इस संबंध में बातचीत करके कि कितना समय दिया जाय और कब यह सब और कामों को देखकर निश्चित कर लेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर तीन दिन की बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आज सायंकाल वह तय हो जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या आज सायंकाल बैठक तीन दिन तक बहस हो यह तय करने के लिये बुलाई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जब सायंकाल बैठें तब तय करेंगे कि कितना हो सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी परिवहन विभाग की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां सदन की मेज पर रखी गयी हैं। उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)–

श्रीमन्, एक कार्यस्थगन प्रस्ताव मेरा था अर्जुनसिंह और ६ अन्य सोशलिस्ट नेताओं के कत्ल के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

अभी ऐडजर्नमेंट मोशन्स मैंने समाप्त नहीं किये हैं।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, मेरे कार्यस्थगन प्रस्ताव का क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

आपका तो श्यामलाल जी बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, शाम को इस पर सब लोग विचार कर लेंगे। लेकिन आप का यह गुड़ व शक्कर के बोरे में नहीं है यह तो बस्ती नगरपालिका में जो १६५ मेहतरों ने हड़ताल कर दी है उसके संबंध में है। आप कृपा कर एडजर्नमेंट मोशन के नियमों को देख लें उसमें उनके अनुसार आप को बताना चाहिये था कि सरकार का संबंध इसमें किस तरह से है। आपने यह स्पष्ट नहीं किया है। आप ने इस में कहा है कि मेहतरों का वेतन नगरपालिका नहीं दे रही है और इसी से नाराज होकर वह हड़ताल कर रहे हैं, तो इस में सरकार नहीं आती है और यह इसलिये नियमानुकूल नहीं है।

एक यह ९ नवम्बर को हुई हत्या के संबंध में श्री उग्रसेन जी का कार्यस्थगन प्रस्ताव है। इस संबंध में वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह कोई पहली हत्या नहीं है, इसके पहले और हत्यायें इसी प्रकार की गई हैं। ५ शादमियों की हत्यायें पहले की गई हैं और अब तक पुलिस और कांग्रेसियों की सांट-गांठ से ६ हत्यायें कराई जा चुकी हैं। इस को लेकर आप बहस की इजाजत दें और सरकार से इसका जवाब दिलावें, हमारी बातें सुनी जायं। बड़ी गम्भीर स्थिति है, मैं इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री से मिला भी और मैंने पत्र भी लिखा। कानपुर में मजदूर नेता मारे गये हैं और हत्याओं की बाढ़ आई हुई है लेकिन पुलिस मंत्री जी सोये हुये हैं, आप से सादर साग्रह और सिविनय नवेदन है कि आप इस पर विचार करने का हमें मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं और जो मैं कह रहा हूं उस को भी तो सुनें। अभी जब हम पिछली बार उठे थे तो ३१ अक्टूबर को पुलिस के संबंध में ढाई घंटे की बहस हुई थी। उसके बाद आज हम पहले दिन बैठे हैं और अभी बजट भी आ रहा है।

श्री उग्रसेन—

यह तो इधर ९ नवम्बर की घटना है उसके बाद की है....

श्री अध्यक्ष—

एक और कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री कल्पनाथसिंह का है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह एक बहुत आवश्यक चीज है:::

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं तो आप बैठ जायं....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, ६–६ आदमी मारे गये इसका इलाज क्या है ? लगातार कानपुर में रोज नेताओं की हत्यायें हो रही है, ६ आदमी मारे जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

हो गया, आप बैठ जायं। आप ने जो कहा मैंने शांति से सुन लिया, आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—

तो आप क्या आदेश दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री उग्रसेन—

इससे गम्भीर घटना और क्या होगी ? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सोशलिस्ट नामधारी यहां नहीं रहेंगे, सरकार सब को मरवा डालेंगी...

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं, मुझे बोलने दें। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि कुछ विषय गम्भीर होते हैं, लेकिन अगर वह नियम ५७ के अन्तर्गत मेरी समझ में नहीं आते तो उसका मतलब यह नहीं है कि नियमों के विरुद्ध या अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध में किसी चीज को स्वीकार कर लूं...

श्री उग्रसेन—

६–६ सोशलिस्ट मारे जायं और आप की समझ में न आये तो कैसे होगा और फिर हम यहां रहकर क्या करेंगे थाने के १०० गज के अन्दर हत्या होती है और यहां उस पर हमें अवसर नहीं दिया जाता, तो आप जब सदन में मरवा डालना चाहते हैं तो आप के आदेश के विरुद्ध हम अपना क्षोभ प्रकट करते हैं और आधा घंटे के लिये सदन का बहिष्कार करना चाहते हैं। बाबूराम, कटियार, चन्द्रशेखर तिवारी, सूबेदारसिंह, सुखवासीसिंह, देवीदयाल कटियार, अर्जुनसिंह और ईश्वरदयाल सक्सेना की ६–७ हत्यायें हो चुकी हैं। हम गोली खायें फिर भी वहां का दारोगा हटाया न जाय। ६,६ आदमी मार डाले गये, जो बाकी हैं वह भी मारे जाने वाले हैं और आप कहते हैं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(श्री उग्रसेन ने समाजवादी दल के सहित आध घंटे के लिये सदन का परित्याग किया।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने सदन को बताया कि समस्या या प्रश्न कितना भी गम्भीर क्यों न हो, लेकिन मेरी आत्मा जिसको गवाही नहीं देती उसको स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे रूल्स में निश्चित प्रावीजन है कि पब्लिक इम्पारटेंस का प्रश्न हो या गम्भीर हो, तत्काल हुआ हो इन शरतों को जो भी मोशन पूरा करता है तो आपका डिस्क्रीशन उसमें नहीं आता, न आपकी आत्मा का प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि जिस सूचना को मेरी आत्मा कहती है कि नियम के अन्तर्गत नहीं आती है उसको नहीं लूंगा। सूचना नियमों के अन्तर्गत आती है या नहीं यह मेरा विवेक है उसमें दिल, दिमाग, आत्मा सभी चीजें हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, आत्मा और विचार में अन्तर होता है । आप अध्यक्ष के रूप में इस सदन में दिमाग इस्तेमाल करते हैं, आत्मा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव सर्वश्री कल्याणचन्द मोहिले तथा सत्यनारायण पांडेय ने दिया है कि "प्रदेश में, शहरों में एवं कस्बों में लगे भवन कर से जनता में असंतोष उत्पन्न है ।"

विधि के अन्तर्गत अगर कोई काम होता है तो वह कार्यस्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता ।

एक आया है कि दिनांक २ दिसम्बर, १९६३ को इलाहाबाद में माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, द्वारा यह घोषणा करने से कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को १२० करोड़ रु० की धनराशि करों के माध्यम से वसूल करनी है . . .

इसका तो कन्ट्राडिक्शन आ चुका है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन है कि कानपुर के कपड़ा बाजार में भाव बढ़ गये हैं । उसका असर कंट्राडिक्शन से नहीं मिटा । मैं तो उस असर पर डिस्कशन करना चाहता हूं । आप स्वयं पता लगा लें अगर ऐसा असर न हो तो इसको न लें । और अगर हुआ है तो ले लें । सब कन्ज्यूमर्स गुड्स की कीमतें प्रदेश में बढ़ गई हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपकी बात मान लें तो हर एक बात जो छपती है उस पर कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ आ जाय यह गलत है ।

माननीय चन्द्रबलीसिंह नहीं हैं, उनका प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया था । इसलिये वह खत्म हो गया ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मैंने नियम ५२ का प्रश्न भेजा था, उसमें २ रु० मन की मांग करने के लिये देवरिया के पडरौना स्थान पर जो शांतिपूर्ण जनसंघ के कार्यकर्त्ता सत्याग्रह कर रहे थे उनमें से सर्वश्री दुर्गादास और बनारसी गोपाल को पुलिस द्वारा पीटा गया है और पकड़ लिये गये । मैं चाहता हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपने जो भेजा है वह खांडसारी और शक्कर . . .

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इसके संबंध में नहीं है, वह नियम ५२ के संबंध में है । उस का विषय दूसरा है । वहां पर जनसंघ के कार्यकर्त्ता २ रुपये मन की मांग कर रहे थे तो वहां जाकर पुलिस ने उन्हें पीटा और जेल में बन्द कर दिया । वहां बहुत अशांति हो गयी है और वातावरण क्षुब्ध हो गया है । जो व्यक्ति इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से धर्ना देंगे तो क्या उन पर पुलिस इस प्रकार अत्याचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं गन्ना और गन्ने की कीमत से ही सब बातें उसमें इन्वाल्व हैं ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

यह पडरौना मिल से संबंधित है । दुर्गादास और बनारसी गोपाल शांतिपूर्ण रीति से अपनी मांगें कर रहे थे । उनको जबरदस्ती पुलिस पकड़ कर ले गयी और उन्हें पीटा गया और जेल में बन्द कर दिया । उसके संबंध में यह दफा ५२ दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आपने जिस रूप में दी है उस रूप को देखते हुए मैं उसको नहीं समझता, पर अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत शेष जो सूचनायें हैं वे अस्वीकृत हैं ।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)

एक आर्डर हो चुका है । अब आप बैठ जाइये । माननीय दीपनारायण की और एक और दूसरे माननीय सदस्य की सूचनाएं मैंने माननीय मंत्री महोदय के पास भेज दी हैं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में प्रति-शपथपत्र निवेषित करने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दावा हमारे ऊपर हुआ है । श्री सूरतसिंह यादव वर्सेज सुदामाप्रसाद गोस्वामी । दावा यह है कि माननीय सुदामाप्रसाद ने चूंकि त्याग-पत्र दे दिया है अपनी सदस्यता से अतः वह इस सदन के सदस्य नहीं रहे और उनको सदन में नहीं बैठना चाहिये । इस संबंध में कुछ भी जो मैंने सदन के अन्दर निवेदन किया था उस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये और इसी कारण से मैं स्पष्टरूप से यह बताना चाहता हूं कि जहां तक अध्यक्ष का संबंध है वह इस आदरणीय सदन के नियमों का पाबन्द है । नियमों के बाहर अध्यक्ष नहीं जा सकता । उस त्यागपत्र के संबंध में मैंने सदन के अन्दर यह निवेदन किया था कि नियम २७८ के उपनियम (६) में यह दिया हुआ है कि अगर प्रपत्र के अनुरूप किसी का त्याग-पत्र न आया हो तो वह उस व्यक्ति को वापस भेज दिया जायगा ताकि वे प्रपत्र के अनुरूप अपने त्याग-पत्र को दें । यह बिलकुल हमारा निश्चित नियम है । मैं पढ़ कर सुनाता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

सबजुडिस तो नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो विषय है वह सबजुडिस है और यह जो रिट दायर हुआ है वह अध्यक्ष के विरुद्ध हो या सेक्रेटरी के विरुद्ध हो या सदन के विरुद्ध हो, उसको न तो सदन में पढ़ सकते हैं और न ले सकते हैं । यह रिट एक सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य के विरुद्ध की है । सदन में कोई निर्णय लेना शुरू कर देना संविधान के विरुद्ध होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं न कोई रूलिंग दे रहा हूं, न कोई निर्णय । मैं केवल सूचना दे रहा हूं कि यह प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और उनके सिलसिले में मुझे अपना स्पष्टीकरण देना है ताकि आपके मन में यह भ्रम न हो कि मैं कोई निर्णय दे चुका हूं या दे रहा हूं । मैंने उस समय यह कहा था कि चूंकि वह त्यागपत्र विशेष प्रपत्र के अनुरूप नहीं है और हमारे नियम यह आदेश देते हैं कि त्यागपत्र प्रपत्र के अनुसार लेना हमें आवश्यक है, अतः उस पर मैंने कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं की । मेरी राय यह है कि अगर कोई त्याग-पत्र विहित प्रपत्र में न हो तो वह उसे संबंधित सदस्य

[श्री अध्यक्ष]

का विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के हेतु वापस कर देगा। इस आदेश के अंतर्गत मेरे लिये यह आवश्यक हुआ कि मैं उस त्याग-पत्र को वापस करता उन महानुभाव के पास जिनका वह त्यागपत्र कहा जाता था। उन्होंने यह मुझे लिख कर दिया कि मैंने कोई आपको इस किस्म का त्याग पत्र नहीं दिया है। उसके आगे, पूर्व इसके कि मैं कोई कार्यवाही करता, यह दावा हो गया। अब चूंकि यह सबजूडिस है, मैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा हूं, यह सूचना मैं दे रहा था।

एक सूचना मैं और देना चाहता हूं। माननीय नेकराम जी ने कहा कि स्पीकर बहैसियत अध्यक्ष के अगर किसी मुकदमे में फरीकान हो तो उसका सदन से संबंध नहीं है, मैं उसे गलत समझता हूं। "मदनमोहन" एक चीज है और "मदनमोहन स्पीकर" अलग चीज है "मदनमोहन, स्पीकर" पर अगर दावा होगा तो वह सदन पर दावा है। एक याचिका दायर हो गयी है। इस याचिका में अध्यक्ष को एक पक्ष बनाया गया है और न्यायालय ने यह अदेश दिये थे कि ६ सप्ताह के अन्दर काउन्टर एफिडेविट निवेषित किया जाय। उस समय सदन की बैठक नहीं हो रही थी। अतः मैंने यह उचित समझा कि सदन की कार्यवाही के ऊपर आधारित एक काउन्टर एफिडेविट न्यायालय में दाखिल किया जाय। इसलिये मैंने श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा को प्रति-शपथ पत्र (Counter affidavit) निवेषित करने का आदेश दिया और ज्येष्ठ स्थायी परामर्शी (Senior standing Counsel) को भी यह आदेश दिया कि वह न्यायालय में मेरा प्रतिनिधित्व करें। साथ ही साथ मैंने सचिव को यह भी आदेश दिया कि वह सदन की कार्यवाहियों से सम्बद्ध लेख्यों का उपयोग उक्त प्रति-शपथपत्र को निवेषित करने में कर लें। मुझे आशा है कि सदन मेरे इन आदेशों से सहमत है।

श्री नेकराम शर्मा---

इससे पूर्व मिस्टर भटनागर, जो आपके सचिवालय के एक असिस्टेंट हैं, उनकी दीक्षित जी के विरुद्ध एक रिट दायर हुई थी। कागजात मांगने की बात हुई तो वह मामला प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। उसमें भी आप एक पार्टी थे और आपके विरुद्ध रिट दायर हुई थी। वह प्रश्न उस समय न तो हाउस में उपस्थित किया गया जबकि आज आप यह प्रश्न हाउस के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दफा आपने एक प्रणाली अपनायी और दूसरी दफा दूसरी प्रणाली अपनाई। उसमें आपने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया, मैं भी उसका सदस्य था, कि वह डिसाइड करे कि हमारे जो कागजात हैं, कारसपांडेंस हैं वह कोर्ट जायं न जायं। आज आप दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं। तो यह मेरा निवेदन है कि यह विभिन्नता क्यों है? जब यह मामला सबजुडिस है और उस सम्बन्ध में जो भी वक्तव्य या स्पष्टीकरण अथवा निर्णय आप दे चुके हैं वह हमारी कार्यवाही में मौजूद है। उसको हम ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज आप प्रोसीडिंग्स में कोई नयी चीज लिखाना चाहते हैं इसकी क्या आवश्यकता थी? यह सारा मैटर सबजुडिस है। आपने इनको इत्तला कर दी इतना काफी है। अब सेक्रेटरी साहब जाकर लड़ेंगे। लेकिन सदन में मेरी समझ में नहीं आता कि यह नयी प्रणाली क्यों बरती जा रही है?

श्री अध्यक्ष---

पहली बात तो यह है कि भटनागर जी का जो दावा था उस सम्बन्ध में इस सदन में कोई प्रश्न नहीं उठा था। माननीय गोस्वामी जी के बारे में प्रश्न इस सदन में उठाया गया इसलिये आवश्यकता यह हुई कि उस सम्बन्ध में क्या हो रहा है वह मैं निवेदन कर दूं।

दूसरे, जब सदन बैठा हो तो मेरा कर्तव्य यह हो जाता है कि अदालत में कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं इस सदन के आदेश प्राप्त कर लूं। जहां तक लेख-पत्र अदालत में दाखिल हों या न दाखिल

हों, और अगर दाखिल हों तो कौन-कौन, यह विचार-विनिमय सदन में होने के बजाय विशेषाधिकार समिति में होता है। इस समय मैंने कोई लेख-पत्र अदालत में दाखिल नहीं किये हैं। मैंने तो सिर्फ यही सूचना दी है कि अदालत में जो हमने काउन्टर एफिडेविट दाखिल किया है वह उन आधारों पर दाखिल किया है जो हमें सदन की कार्यवाही में मिलते हैं। तो वह सूचनार्थ मैंने बतलाया कि जो एफिडेविट दाखिल हुये है वह हमारे सदन में जितनी कार्यवाही हुई है उसके आधार पर हुए हैं और चूंकि सदन बैठा नहीं था और वह दाखिल करने की एक तिथि निश्चित थी इसलिये मैंने आदेश दिया कि सचिव उसमें कार्यवाही करें और बाद में हम आपको सूचना दे देंगे कि यह कार्यवाही हुई है। तो यह सूचनार्थ निवेदन कर रहा हूं, मेरा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं है। मैंने उस पत्रावली में यह आदेश दे दिया है कि चूंकि विषय एक न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--

श्री भटनागर जी के केस के समय भी हाउस बैठा हुआ था, उसके बाद वह प्रिविलेज कमेटी में गया।

श्री अध्यक्ष--

तभी तो मैं कह रहा हूं कि हाउस बैठा हुआ था इसलिये मैंने इजाजत ली थी। खैर, वह आर्गूमेंट की चीज नहीं है, मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही मैंने की है वह उचित है।

साप्ताहिक कार्यक्रम

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन् प्रक्रिया नियमावली के नियम २५ (२) के अनुसार मैं इस सप्ताह का कार्यक्रम सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

शाम को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है, उसके बाद प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष--

आपको केवल सूचना दी जाती है कि यह कार्यक्रम है, इसे इस रूप में लेंगे।

९ तारीख का कार्यक्रम

श्री बनारसीदास--

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा

उत्तर प्रदेश होम गार्डस् विधेयक, १९६३, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

सांयकाल ५ बजे--

वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अतिरिक्त व्यय की मांगों को प्रस्तुत करेंगे, तथा

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करेंगे।

१० तारीख का कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष १९५९–६० के अतिरिक्त व्यय की मांगों पर सामान्य चर्चा (यदि आवश्यक हुआ)

उक्त अनुदानों पर मतदान, तथा

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६३ सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विवाद एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३, पर विचार एवं उसका पारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण ।

११ तारीख का कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर विचार ।

१२ तारीख का कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदान पर सामान्य चर्चा,

उक्त अनुदान पर मतदान, तथा

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ के प्रथम पूरक) विधेयक, १९६३ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

१३ तारीख का कार्यक्रम

असरकारी दिवस ।

१४ तथा १५ तारीख को बैठक नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)––

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ को पेश करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन––

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी ब आगे पृष्ठ ४१२ पर)

परिवहन विभाग की विज्ञप्तियों को सदन की मेज पर रखने में विलम्ब

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान परिवहन विभाग की विज्ञप्तियों पर दिलाना चाहता हूं। देखिये एक नोटोफिकेशन १७ जुलाई का है जो आज यहां रखा जा रहा है और फिर एक दूसरा ३० सितम्बर का है.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह, इस पर टीका न कीजिये। बैठ जाइये, मैं आपको बता दूं।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी चाहते हैं कि सब बातों पर परदा पड़ जाय। इस विभाग को जरा कसने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह, यह जो एजेंडा है आपको सबेरे ही मिल जाता है। जिस समय वह विज्ञप्ति प्रस्तुत हुई सदन की मेज पर रखी गयी, आपने आपत्ति नहीं की। इसका मतलब यह है कि आप भी तैयार होकर नहीं आये। आप भी देर करते हैं और वह भी देर करते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह--

आप जरा पूछ लीजिये कि हम देर करते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है। इसमें केवल १० क्लाजेज हैं। चौथे तथा ९ वें क्लाज में कुछ है बाकी तो बिलकुल जाब्ते के हैं। पहले ऐक्ट में जो दिक्कतें थीं उनको दूर करने के लिये यह बनाया गया है। क्लाज ४ में यह है कि हमारी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को अगर गलत सूचना देकर या धोखे से कोई परमीशन ले ले तो उसको वह वापस ले सकती है। क्लाज ९ में यह है कि अगर कोई अपील वगैरह होती है तो उसके दरम्यान में कोई राइट स्टे का नहीं है। अब यह राइट दिया गया है कि अपील हो जाय तो उस वक्त तक स्टे कर सकते हैं मकान को बनाये या गिराने को। यह दो साधारण चीजें हैं। मेरा निवेदन है कि सदन इस पर विचार करे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में दे दे।

---

†१७ अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह १९५८ में पहले पास किया गया था और १९६० में दो तरह के संशोधन लाये गये। पहला संशोधन जो १९६० में लाया गया वह था यू० पी० (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन) डाइरेक्शन, १९६० के रूप में। जो क्लाज संशोधन के लिए इस विधेयक में रखा गया है अगर उसको देखा जाय तो ज्ञात होगा कि उसमें दो तीन बातें हैं जिसके लिए यह डेफिनीशन रखी गयी है। एक तो यह है कि अगर कोई बिल्डिंग रिएरेक्ट करे, या मैटीरियल आल्टरेशन करे या चेंज करे इसके लिए कोई प्राविधान नहीं है। ऐसे लोगों को सजा दी जायगी। श्रीमन्, जहां तक १९५८ के विधेयक का संबंध है उसमें रिएरेक्शन या मैटीरियल चेंज की डेफिनीशन दी हुई है। इस विधेयक को लाने की जो जरूरत पड़ी है वह हमारे सरकारी ला डिपार्टमेंट की खामी की वजह से पड़ी है। तीन चार बार इस सदन में अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन ला डिपार्टमेंट के आदमियों ने, जिन्होंने संशोधन विधेयक को बनाया, यह नहीं समझा कि क्या-क्या खामियां रह गयी हैं। इस पर अगर सदन में पूरी तरह डिस्कशन हुआ होता तो यह नौबत न आती। आज जितना समय इस सदन में इस विधेयक के पास करने में लगेगा उतना रुपया बरबाद होगा। जहां तक रिएरेक्शन और मैटीरियल चेंज का सवाल है यह साफ दिया हुआ है कि अगर कोई रिएरेक्ट करेगा या मैटीरियल चेंज करेगा तो यह आफेंस होगा। अगर यह अमेंडमेंट पहले आ गया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। जहां तक आफेंस का सवाल है उसमें दस हजार रुपये तक मैक्सिमम रखा गया है। उसके बाद यह कांटीनुइंग आफेंस है। पांच सौ रुपये पर डे तक जुर्माना किया जा सकता है। यह काफी सजा है। इसमें उसकी जमीन और मकान सब बिक सकता है। लेकिन "मैटीरियल चेंज" और "मैटीरियल आल्टरेशन" में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चूंकि डेफिनीशन में "मैटीरियल चेंज" वर्ड दे दिया गया है इसलिये कहा जा रहा है कि आल्टरेशन की जगह पर चेंज कर दिया जाय। डिक्शनरी अगर देखें तो मालूम हो जायगा कि आल्टरेशन और चेंज में कोई फर्क नहीं है।

अब श्रीमन्, चार चीजें हैं जिस पर यह विधेयक लाया गया है। पहली यह है कि कंट्रोलिंग अथारिटी के ऐप्रूवल के बिना कोई भी दावा दाखिल नहीं किया जा सकता न डिफेंड किया जा सकता है, जबकि उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि इस अथारिटी की मीटिंग हर महीने या दो महीने में होती है। जहां तक मियाद का सवाल है अगर यह होता कि लिमिटेशन पीरियड एक या दो महीने होता तो मान सकते थे कि कंट्रोलिंग अथारिटी का सैंकशन हटा देना चाहिए। लेकिन लिमिटेशन इतना ज्यादा है कि किसी वक्त दावा कर सकते हैं गिराने के लिए, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि कंट्रोलिंग अथारिटी का जो अंकुश है उसको हम किसी तरीके से हटा दें।

श्रीमन्, यह देखेंगे कि इसमें अगर कोई दावा दाखिल करना हो तो दो ही तरीके उसके हैं। एक तो यह कि वाकई उस बाडी पर जो कंट्रोल कर रही है उसके ऊपर दावा हो या उसके जो आफिसर्स हैं उनकी परसनल कैपेसिटी जो है उन पर दावा हो। जहां तक परसनल कैपेसिटी का सम्बन्ध है यह देखा जायगा कि कोई भी दावा किसी के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट हुआ तो यही कहा जायगा कि सरकारी वकील उसको डिफैन्ड करें। तो इसको अवायड करने के लिए यह रखा था कि कंट्रोलिंग अथारिटी इसको कंट्रोल करे। जब वह परिमीशन दे तभी कोई दावा दाखिल हो या किसी दावे को डिफैन्ड किया जाय। यह बहुत सोच समझकर किया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आज सरकार की बुद्धि में उसको परिवर्तन करने की बात क्यों आ गई कि जो वह यह कह रही है कि कंट्रोलिंग अथारिटी की कोई जरूरत नहीं है और जब चाहें तब कोई भी दावा दाखिल कर लें और जिसको चाहें डिफेन्ड कर लें। कोई भी रीजनेबिल ग्राउन्ड इसके लिए मन्त्री जी ने सदन के सामने उपस्थित नहीं किया कि क्यों ऐसा चेंज वह लाना चाहते हैं।

जहां तक री-इरेक्ट करने और मैटीरियल आल्टरेशन के ऊपर पनिशमेंट का सम्बन्ध है यह तो सही है कि जो अधिनियम आज मौजूद है वह मैटीरियल चेंज और री-एरेक्शन को कवर

नहीं करता है। तो उसमें यह सवाल पड़ता है कि जो अपनी नयी बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें जो प्राविधान है या नियम वगैरह हैं उनके विरुद्ध कोई काम किया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी सजा रखी गई है। दस हजार रुपया मैक्सिमम पनिशमेंट और ५०० रुपया रोज कान्टीन्यूइंग आफेंस के लिए रखा गया है। अब मामूली आल्टरेशन अगर कोई कर ले तो उस पर भी आप यह कर दें कि दस हजार का जुर्माना कर दें या ५०० रुपया रोज का जुर्माना कर दें तो यह न्याय नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाय जो इसके ऊपर विचार करे और देखे कि ऐसे छोटे-मोटे आफेंस में कितनी सजा देनी चाहिए और किस तरह से उसमें न्याय हो सकता है।

तीसरी चीज यह है, श्रीमन्, कि जहां तक अपील्स का सवाल है कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि अगर कोई आदमी अपील करे तो अपील होने के बाद वह प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी जायं। यह तो एक कामनसेंस की बात है और हम यह उम्मीद करते थे कि जिस वक्त यह विधेयक लाया गया और जिस वक्त कंट्रोलिंग अथारिटी को अपील देखने का अधिकार दिया गया, तो यह उम्मीद की जाती थी कि कंट्रोलिंग अथारिटी को यह पावर होगी कि वह कोई भी अपील जब दाखिल हो तो उस आर्डर के एन्फोर्समेंट को वह स्टे कर सकता है जिसकी कि अपील उसके सामने की गई है।

श्रीमन्, अब एक बात और है जिसके लिए सरकार खास तौर पर यह विधेयक ले आयी है और वह यह है कि :—

"The Act does not also provide for cancelling a permission granted in consequence of any material misrepresentation or fraudulent statement made by the party concerned"

इस तरह श्रीमन्, जो परमीशन सरकार देती है उस परमीशन को कैंसिल करने के लिए प्राविधान लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। श्रीमन्, आप देखें कि परमीशन देने के लिए क्या प्राविधान है। उसी परमीशन के लिए रेग्यूलेशंस बनाये जा चुके हैं। १९६० में यह पास किया गया कि ऐसा कंट्रोल्ड एरिया जहां कि मास्टर प्लान का एन्फोर्समेंट होने जा रहा हो, या वह टाउन एरिया या म्युनिसिपल एरिया जहां कि मास्टर प्लान बना कर हम एन्फोर्समेंट करने जा रहे हों तो वहां एक स्पेशल प्राविधान होना चाहिये कि परमिशन लेने के पहिले जितनी जरूरियात हों उनका अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया जाय। इसलिये यह दोनों रेगुलेशंस सन् १९६० में लाये गये थे। उसके जरिये से अगर कोई भी आदमी किसी जमीन पर अपनी बिल्डिंग बनाता है तो उसके लिये लाजिमी है कि वह प्लान देगा, यानी नक्शा दाखिल करेगा। ड्रेनेज और रोड किस तरह से बनावेंगे और तब कैसी सिच्वेशन होगी उसका सब प्लान देगा, बाउन्डरी देगा, खसरा भी दाखिल करेगा। बिल्डिंग की पोजीशन किस तरह से रहेगी वह भी देगा, लोकेशन आफ एरिया भी देगा और मास्टर-प्लान के लोकेशन का भी नक्शा दाखिल करेगा। किस तरह से डेवलपमेंट किया जायगा इसकी सारी डिटेल वह देगा। जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वह सब उसके अन्दर देगा। उस प्लान के साथ वह एक स्टेटमेंट भी भी देगा जिसमें यह सब डिटेल रहेगी कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा और किस तरह से वह बिल्डिंग को इस्तेमाल करेगा। यह सब उसमें दिया हुआ है जो संशोधन सन् ६० में लाया गया था उसके बाद भी अगर कोई बात पैदा होती है तो यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी है। यह उस सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिये जिसने गलत तरीके से परमीशन दी। अगर कोई आदमी अपना मकान बनाने के लिये नक्शा देता है और वह फार्म भर कर कोर्ट फीस लगाकर देता है और उसके बाद सरकारी अधिकारी जांच करता है मौके पर जाकर और तमाम जांच करने के बाद परमिशन देता है और उस आदमी के स्टेटमेंट के मुताबिक वह जाकर जांच करता है और जांच करने के बाद वह इस बात की सिफारिश करता है कि इसको परमीशन मिलनी चाहिये तब उसको जाकर परमीशन मिलती है। अब आप सोचें कि इतनी जांच के बाद जो उसको परमीशन मिलती है तो उसके बाद फिर हम यह

[श्री कमलासिंह यादव]

कहें कि उसने मिसरिप्रिजेन्टेशन आफ फैक्ट्स किया है या फ्राड किया है तो यह उचित नहीं है। और अगर किया है तो इसकी जिम्मेदारी उस सरकारी अधिकारी पर होनी चाहिये जिसने जाकर जांच की और यह सिफारिश की कि इसको परमीशन मिलनी चाहिये न कि उस आदमी की जिसने जाकर दरख्वास्त दी और जिसने सारे फैक्ट्स ओपेन कर दिये। इसमें अधिकारी का दोष हो सकता है या कंट्रोलिंग अथारिटी का जिसने उस आदमी को मौके पर भेजा। वह आदमी जो स्टेटमेंट देता है और अपने स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें लिखता है तब उसके बाद जाकर उसको परमीशन मिलती है। जब वह अधिकारी सैटिस्फाई हो जाता है तब वह सिफारिश करता है कि इसको परमिशन मिलनी चाहिये तभी उसको परमिशन मिलती है। इतनी डिटेल में जांच होने के बाद उसको परमिशन मिलती है। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस अधिकारी की है या कंट्रोलिंग अथारिटी की है या प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी की है जो इसके लिये जिम्मेदार है। यह उस अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिये जिसने गैर जिम्मेदारी से काम किया है और इतनी डिटेल और जांच होने के बाद भी मिसरिप्रिजन्टेशन आफ फैक्ट्सस हो सका है जिसको वह देख नहीं सका। उस आदमी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये। सरकार इसके लिये जिम्मेदार है और सरकार की इसके लिये जिम्मेदारी होनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रवर समिति में भेज कर एक संशोधन इसलिये ले आवें कि वह अधिकारी जो अपनी ड्यूटीज के विपरीत जाता है और इस तरह से जहां मिस-रिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स या फ्राड मालूम हो तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह से नन्दाजी ने कहा है कि २ साल में करप्शन हिन्दुस्तान से मिटा दूंगा, अगर मंत्री जी भी इस मामूली से विधेयक से मिटा देते तो कितना अच्छा होता। आज कोई अधिकारी अगर रिकमेंन्ड कर दे और परमीशन दिलवा दे और दूसरे दिन नाराज हो जाय और कहे कि यह परमीशन कैंसिल होनी चाहिये क्योंकि फ्राड किया गया है, यह कम से कम नहीं होना चाहिये। तो मंत्री जी १५ दिन न सही, दो तीन दिन का समय लें और इन ला डिपार्टमेंट की अनोमालीज को दूर करें। म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में प्राविधान हैं, लेकिन यह बिल जो उसी पर बेस्ड है उसमें नहीं है, तो ला डिपार्टमेंट को टाइट करें जिसकी वजह से अदालत में स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। १९५८ के ऐक्ट में "टु मेक मेटीरियल चेंज" था डेफिनीशन में और विधेयक में "आल्टरेशन" शब्द दिया हुआ है, उसके पहले देखेंगे कि ऐक्ट में तो 'इरेक्ट' है और उसके बाद इसमें दिया हुआ है, 'टु रिइरेक्ट'। तो यह चीजें ऐसी हैं जिसके लिये सरकारी अधिकारी को जिम्मेदार होना चाहिये और इस पर सरकार को गौर करना चाहिये कि कितना रुपया जनता का इस तरह से बरबाद होता है इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा अगर परमीशन के लिये इस तरह का विधेयक बना देते हैं तो वह अधिकारी जिनकी रिकमेंडेशन पर परमीशन मिली है वह जिम्मेदार नहीं समझा जायगा और नतीजा यह होगा कि रुपया पैसा लेकर या घूस लेकर जितनी परमीशन दी है उस सब पर पानी फिर जायगा और इसमें दरख्वास्त देने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्लान में दिया था पहले ही सब दे दिया और अगर इंक्वायरी करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई फ्राड नहीं है, मिस्रिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स नहीं है और उसकी रिकमेन्डेशन के बाद अगर किसी को परमीशन मिली है तो उसको, कैन्सिल करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। उसमें शर्त यह हो जाय कि उस अधिकारी की उसमें पर्सनली जिम्मेदारी समझी जाय और उसके लिये सख्त से सख्त सजा रखी जाय। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मैंने अपना संशोधन रखा है। इसे माननीय मंत्री जी कृपया स्वीकार कर लें और इसे प्रवर समिति में जाने दें जहां पर इसमें अगर किसी परिवर्तन की जरुरत हो तो वह किया जा सके। उसके बाद इसे पास किया जाय।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपने विचार व्यक्त करूंगा । अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतया समहत हूं । इस संशोधन को तथा इस ऐक्ट को देखने से पता चलेगा कि उसको हैपहेजर्ड वे में बनाया गया था जैसा की मंत्री जी ने कहा भी कि जल्दी में ऐक्ट बना, कुछ गलती रह गयी, इसलिये यह संशोधन लाना पड़ा । श्रीमन्, आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ें तो मालूम होगा कि इसमें कितनी गलत चीजें हैं । जो बातें कही गयी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, बहुत संक्षेप में कहूंगा ।

श्रीमन्, इस ऐक्ट के अनुसार कन्ट्रोलिंग आथारिटी एक सुपीरियर अथारिटी है । प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को जो यह अधिकार दिया गया है कि वह लीगल प्रोसीडिंग्स को इन्सटीट्यूट कर दे, यह बड़ा घातक है । यह विधेयक तो बड़े महत्व का है कि अरबन और रूरल एरिया में किस प्रकार मकान बनें, वहां किस प्रकार का सैनिटेशन हो, कैसे वहां का सुधार हो, एक नया नक्शा सामने आये, यह सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनको यह अधिकार दिया गया तो यह बड़ा घातक होगा । मान लीजिये कि कोई एरिया रेगुलेटेड एरिया डिक्लेअर हो गया । अब जो प्रेसक्राइब्ड अथारिटी है वह तो कभी जायेगी नहीं फिर होगा क्या ? रिपोर्ट पर ही कन्सेन्ट दे दी जायेगी । इससे बड़ा अनर्थ होगा और इतनी घूसखोरी बढ़ेगी कि जनता को बड़ी परेशानी होगी और साधारण व्यक्ति के अधिकारों को बड़ा आघात पहुंचेगा और जितनी बरबादी रुपये की होगी वह कही नहीं जा सकती । हमारा निजी अनुभव है कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी कभी स्वंय नहीं जाती । वह किसी व्यक्ति को वह अधिकार दे देती है । हमारी सरकार किसी बाडी आफ पर्सन्स को यह अधिकार नहीं देती, क्योंकि वह समझती है कि इसमें डिले होती है । मगर यह सही है कि वह अथारिटी कभी स्थान पर जाती नहीं, किसी इन्सपेक्टर या अन्य व्यक्ति को वह भेज देती हैं । यह उदाहरण मैंने इसलिये दिया कि जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें जो अमेंडमेन्ट्स हैं वे सब लीगल पहलू पर विचार करने योग्य है और विचार नहीं किया जायगा तो उनमें अवश्य कुछ खामी रह जायगी और फिर से संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता हो जायगी । अमेंडमेन्ट्स का अगर हिसाब लगाया जाय तो उससे केवल यही बात साबित होगा कि हमारे ला विभाग को ड्राफ्टिंग का कोई एक्सपीरियेंस ही नहीं है, इसीलिये हर वर्ष विधेयकों में संशोधन लाने की आवश्यकता होती है । इसलिये यह अच्छा होगा कि इसको प्रवर समिति के सामने विचार के लिये भेज दिया जाय जहां हम उसके लीगल और दूसरे पहलुओं पर विचार कर लें और सरकार जिनको मान सकती है उनको मान ले । ऐसी परिस्थिति में प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि मैं अपने माननीय मित्र, श्री कमलासिंह जी, के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अधिनियम पर तो बहस की और उसकी खामियों को बतलाया लेकिन जो अमेंडमेंट हमारे सामने है उसके बारे में केवल इतना कहा कि इसके स्कोप को बढ़ा दिया जाय । लेकिन चूंकि इसमें कोई पालिसी का सवाल नहीं है और यह कौंसिल से भी पास हो चुका है, इसलिये मेरे खयाल में इसको प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, कोराम नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष को चाहिये कि वह कोरम को रखे। आपका ही यह बिल है। अगर न हो सके तो सदन को स्थगित कर दिया जाय।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसमें कोई नीति की बात नहीं है, अतः इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई खास बात न हो तब तक किसी विधेयक के स्कोप को बढ़ाने का कैसे प्रश्न उठता है? उन्होंने केवल यह कहा कि इस बिल के स्कोप को बढ़ा दिया जाय, कोई डैफिनिट बात उन्होंने उसके विषय में नहीं कही। एक ऐसा स्कोप बना दिया जाय तो शायद फिर कोई गलती न रह जाय। ऐसी इंडेफिनिट चीज के लिये इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता।

उन्होंने एक सेक्शन के बारे में बहस की कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी एक दफा अनुज्ञा दे देता है उसको फिर उसे वापस नहीं लेना चाहिये क्योंकि बड़ी छानबीन के बाद दी जाती है। जिसको अनुज्ञा मिल जाती है उसमें उसका दोष नहीं बल्कि उसका दोष है जो अनुज्ञा देता है। तो यह दलील तो जब वह क्लाज आयेगा तब हो सकती है। यों तो उसका जवाब में यहां यह भी दे सकता हूं कि गलती हर एक आदमी से हो सकती है, लेकिन क्या कोई कानून किसी आदमी को इस बात का अधिकार देगा कि वह फ्राडुलेंट तरीके से, धोका देकर, कोई काम अपना करा ले और फायदा उठावे और मालूम हो जावे कि उसने गलत तरीके से अपना काम करा लिया है तो फिर उसको वह काम करने दिया जाय और कोई सजा उसको न दी जाय? यह उचित नहीं है। करप्शन को साबित करने के लिये....

श्री अध्यक्ष—

मैं यह देखता हूं कि सरकारी पक्ष के सदस्य या तो बैठते नहीं हैं और अगर बैठते हैं तो बातें बहुत करते हैं। यह बहुत गलत तरीका है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तो मैं यह कह रहा था कि जब उसका समय आवे तो वह दलीलें दें लेकिन इस वक्त इसको प्रवर समिति में भेजने के जो कारण हो सकते हैं वह हैं नहीं इसलिये मैं अपने मित्र यादव जी की बात को स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक मेरे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा कि इसमें बहुत सी महत्व की चीजें हैं। महत्व की तो हर एक चीज होती है, लेकिन क्या इस सेक्शन का नम्बर बदल कर ५ के स्थान पर ७ कर दिया जाय या "सेक्शन" के स्थान पर "दिस ऐक्ट" लिखा जाय इसमें कोई प्रवर समिति के अन्दर जाने की बात है? मैं यह दरख्वास्त सदन से करता हूं कि इस विधेयक पर इसी समय विचार किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरी बातें गौर से सुनी नहीं। मैं यह तो नहीं कहना चाहता हूं कि जो बातें कही गयी हैं उनको बिलकुल उन्होंने सुना नहीं है, लेकिन कुछ बातें थीं जिनके ऊपर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। मैंने शुरू में यह बतलाया कि रिएरेक्शन, मेडीरियल आल्टरेशन और मैटेरियल चेंज का जो प्रश्न है उस पर वह सेक्शन ९ के अन्दर जो पेनाल्टी है १० हजार रुपये और उसके कान्टीन्यूएशन पर ५ सौ रुपये वह सजा देना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह क्लाजवाइज बहस तो बाद में होगी। आप प्रिंसिपिल पर कहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

प्रिंसिपिल की ही बात कह रहा हूं। मेरा खयाल था कि मंत्री जी नयी सरकार में नयी विचारधारा से कार्य करेंगे। यह विधेयक बिलकुल ओरिजिनल तरीके पर एक नई बात पैदा कर रहा है। और ऐक्ट या मास्टर प्लान में जो चीजें दी हैं उन के विरुद्ध अगर कोई आचरण करेगा तो सजा होगी और वह १०,००० रुपये तक होगी और अगर आफेंस जारी रहेगा तो ५०० रुपया रोज जुर्माना होगा.....

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन मैं बता दूं कि सेक्शन ९ का इसमें कोई संशोधन नहीं है जिस पर कि वह बहस कर रहें हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आप तो वकील हैं, आप इस चीज को एप्रीशियेट करेंगे कि अगर मंत्री जी ला डिपार्टमेंट की राय ले लेते तो इसको एप्रीशियेट कर सकते थे। मैं नहीं कहता कि मंत्री जी ने गल्ती की है, लेकिन सेक्शन ९ पीनल क्लाज है। जो इस का प्राविधान है उसके खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो उसको सजा देने के लिये यह सेक्शन ९ है। अगर मंत्री जी यह सोच रहें हैं कि रिएरेक्शन हो गया हो या मैटीरियल चेन्ज हो गया हो जैसा कि उद्देश्य और कारणों में दिया है कि अगर ऐसा हुआ है तो सजा का कोई प्राविधान बिल में नहीं है। मैं बिल को पढ़े देता हूं उन की जानकारी के लिये। अंग्रेजी वाले की यह पांचवीं लाइन है—

"The Act also does not provide for punishment for re-erecting or making any material change in a building by any person without the sanction of the Prescribed Authority."

यह उचित नहीं होगा कि सेक्शन वाइज जब बहस हो तब ही मैं इस को कहूं क्योंकि इसमें नीति का सवाल है। जब कोई ओरिजिनल इमारत बनती है तो लाखों करोड़ों की इमारतें बनती हैं और अगर कोई सजा आप देते हैं तो सेक्शन ९ में देते हैं और आप एगजेम्पलरी सजा देते हैं, इसलिये कि उसको कोई दोहराये नहीं। तो उसके लिये ठीक हो सकता है कि आप दस हजार रुपया जुर्माना करें और ५०० रुपया रोज आगे करें लेकिन अगर किसी का सड़क पर १ इंच, पोजेक्शन हो गया और उसके लिये आप दस हजार रुपया जुर्माना और ५०० रुपया रोज लें तो कहां तक ठीक है? यहां तो हम ला मेकर्स हैं, लेकिन इन्टरप्रिटेशन करने वाले दूसरे लोग हैं। मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप ऐसा न करें कि किसी आदमी को इतनी पावर दे दें कि मामूली प्रोजेक्शन के लिये भी वह इतनी लम्बी सजा दे डाले जैसी कि ओरिजीनल इमारत के लिये वह देते हैं। इसलिये कुछ डिसटिन्क्शन होना चाहिये, थोड़े से बैलेन्स की बात है। अगर कोई थोड़ी सी या छोटी सी बात है तो उसके लिये इतनी एगजेम्पलरी सजा नहीं होनी चाहिये। वह थोड़ी सी बातें हैं जिन पर प्रवर समिति में विचार हो सकता है और ठीक की जा सकती हैं।

दूसरे जो दलील उन्होंने दी कि अगर किसी आदमी ने एक चीज को मिसरिप्रिजेन्ट किया ....

श्री अध्यक्ष—

यह बहस तो आप कर चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी ने जो कहा है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं रख रहा हूं। मंत्री जी ने यह कहा कि अगर कोई आदमी मिसरिप्रेजेन्टेशन कर ले अगर फ़्राड करे और इजाजत ले

[श्री कमलासिंह यादव]

ले उस समय क्या अधिकार दे सकेंगे कि वह कंटीन्यू करे । तो सवाल यह है कि एक आदमी मिस-रिप्रेजेन्ट नहीं करता है, आपके यहां एक सर्टेन फार्म है जो रुपया लेकर देते हैं, फीस है और उस फार्म के अन्दर इन राईटिंग, आपने कहा था कि इन राइटिंग तो कहते नहीं, मैं उनका ध्यान सेक्शन ७ की तरफ दिलाना चाहता हूं—

"7. *Application for permission*—Every person desiring to obtain the permission referred to in Section 6 shall make an application in writing to the prescribed authority in such form and containing such information as may be prescribed in respect of the development, building, excavation or means of access to which the application relates.

(2) On receipt of such application the prescribed authority, after making such enquiry as it conisiders necessary in relation to any directions which may have been issued under section 5 or in relation to any other matter, and having regard to such directions shall by order in writing either grant the permission, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, or refuse to grant such permission."

यह मैं इसलिये पढ़ रहा हूं कि धारा ७ में दिया हुआ है प्रेसक्राइब्ड फार्म में सब स्टेटमेंट, प्लान या जितनी नेसेसिटीज हैं सभी देंगे और जैसा मंत्री जी बता रहें हैं यह दिक्कत सरकार के सामने आयी और प्रेसक्राइब्ड आथारिटी के सामने भी आयी । अधिकतर यह देखा गया है कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी और कन्ट्रोलिंग अथारिटी एक ही है, आप देख रहें हैं डेमोक्रेसी तो नाम मात्र की है, कांग्रेस सरकार अब डिक्टेटरशिप में चल रही है, जितने चुनाव हुये उनमें भी यही किया गया । इसलिये जब तक म्युनिसिपल बोर्ड थे वहां एक बाडी थी जो कंट्रोल करती थी, लेकिन अब प्लान के सिलसिले.....

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ? जवाब ओरिजीनल आर्गुमेन्ट से ज्यादा लम्बा नहीं होना चाहिये । मंत्री जी ने कहा कि अगर अल्टीमेटमली यह पता चले कि फ्राड या मिसरिप्रेजेन्टेशन हुआ है तो उसकी कोई औषधि होनी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, रीजनेबिल उत्तर मिलना चाहिये । मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं । उन्होंने कहा ओरल है, इन राईटिंग नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

विस्तृत बहस उस खंड पर होनी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

खंड पर तो कोई संशोधन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे कर रहें हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा मतलब यह नहीं है ? हमें खंड पर मौका न मिले तो उन्हें सुझाव न दे सकें ?

श्री अध्यक्ष—

खंड ९ का संशोधन है, जब खंड आये उस समय बहस होनी चाहिये उस पर ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं खंड पर इसलिये आ रहा हूं कि विधेयक के अन्दर जो कहा गया है कि ओरल बात करते हैं, ऐसा नहीं है, वह इन-राईटिंग आती है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं धारा ७ पढ़ रहा था । उसके जरिये मैंने बतलाया कि जो कुछ प्लान या परमीशन के लिये रिक्वायरमेंट्स होंगे वे इन राईटिंग होंगे । जो विधेयक १९५७ में बनाया गया उसमें बहुत खामियां थीं । उनको दूर करने के लिये रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आप्रेशंस डायरेक्शंस, १९६० बनाया गया । इसमें धारा ३,४ में ये प्राविजन्स रखे गये जिसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये कोई गलती न हो सके । इसके लिये यह रेगुलेशन बनाया गया । धारा ३ में साइट प्लान या बाउंडरी वगैरह १०, ११ चीजें रखी गयी हैं । उसके बाद यह दिया गया है कि डिटेल्ड ले आउट प्लान का दिया जायगा जिसमें उसका लोकेशन होगा, डायमेंशस होंगे । उसके बाद डिटेल्ड बिल्डिंग प्लान भी उसमें रखा गया है ।

धारा ४ में स्टेटमेंट का प्राविधान रखा गया है । स्टेटमेंट किन-किन बातों के लिये होगा ? उसके लिये ३,४ बातें दी गयी हैं । धारा ४ में ए से इ तक उसके लिये दिया गया है । फिर भी गलती होने लगी । आज गवर्नमेंट ने फिर संशोधन किया और यह रेगुलेशन बनाने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि अब कोई गलती नहीं हो सकेगी । हम इन सेक्शन्स को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन जब इतने डिटेल में इन राईटिंग प्लान दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उसके बाद कंट्रोलिंग अथारिटी उसकी इन्क्वायरी करायेगी और अगर उसके बाद वह इस निर्णय पर पहुंची कि किसी आदमी को परमीशन देना जरूरी है तब वह परमीशन दी जाती है । इसके बाद मंत्री जी यह कहते हैं कि अगर कोई आदमी फ्राड या मिसरिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स से परमीशन सीक कर ले तो उसको हम राइट दें । मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अब उनको दूसरी लाइट में सोचना चाहिये । हम देख रहे हैं कि अब इस सरकार का रवैया भी बदलता जा रहा है । पहले तो मंत्री जी सहकारिता मंत्री थे और कोआपरेशन की फीलिंग जनता में पैदा करते थे, लेकिन अब चूंकि माननीय मंत्री का साथ चौधरी साहब का हो गया जो पुलिस मंत्री थे तो बिलकुल दूसरी नीति हो गयी, क्योंकि पुलिस मंत्री का काम तो डंडे के बल पर कंट्रोल करने का होता है । तो वहां पहले कोआपरेशन सीक करने की बात हो वहां अब डंडे के बल पर काम करना चाहें तो दोनों में बड़ा भेद हो जाता है । जहां तक परमिशन का ताल्लुक है इस विधेयक के जरिये आप उसे कैन्सिल करने जा रहे हैं, किन्तु यह बड़ी भूल है । अगर कोई आब्स्ट्रक्शन हो रोड्स पर या ड्रेन्स पर तो उस पोर्शन को जो अनअथाराइज्ड कांस्ट्रक्शन है उसके रिमूवल के लिये आप कहें तो हम समझ सकते हैं कि मंत्रीजी रीजनेबिल बात कह रहे हैं, लेकिन अगर पूरी परमीशन कैन्सिल कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि बड़ी भूल होगी क्योंकि जब किसी ने आपकी परमिशन के लिये दरख्वास्त दी तो आपके अफसर ने एक-एक बात की इन्क्वायरी करके परमिशन दी । इसलिये मैं परमीशन को कैन्सिल करने का विरोध करूंगा । हां, अगर कोई अनअथोराइज्ड वर्क हुआ हो तो उस पार्ट को डिमालिश करने का प्रयत्न होना चाहिये, लेकिन पूरी परमीशन को कैन्सिल करना मैं समझता हूं बहुत बड़ी एनोमली होगी । आपकी अथारिटी से किसी ने कोई इमारत बनायी उसको आप कैसे गिरायेंगे ? उसके लिये जो फार्म उसने इस्तेमाल किया उस में हर चीज उसको उसने मेन्शन किया । अगर उसमें जो बातें उसनें लिखीं थी वह ठीक हैं तो फिर आप उस परमीशन को कैसे कैन्सिल कर सकते हैं ?

[श्री कमलासिंह यादव]

क्योंकि अगर बिल्डिग बनकर तैयार हो गई तो उसका असर क्या होगा ? अगर बिल्डिग न बने और कैंसिल कर दें तब तो बात दूसरी थी। लेकिन तैयार हो जाने के ८/१० साल बाद आपको अक्ल आई या अधिकारियों को अक्ल आई कि मिसरिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स है और उस समय आप परमिशन कैंसिल करेंगे तो वह क्या चीज होगी ? और आपकी परमीशन के कैंसिलेशन का क्या असर होगा ? यह चीज मैं मंत्री जी की निगाह में लाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वह इस पर गौर करेंगे ।

दूसरी चीज यह है कि अगर किसी आदमी ने कोई अनअथोराइज्ड काम किया तो उस पोर्शन को हटा दीजिये। इस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं कि अगर कोई आदमी अन-अथाराइज्ड काम करता है तो हमको उसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। लेकिन इस विधेयक के जरिये परमीशन को कैंसिल करने में सरकार की भूल होगी और मुझे उम्मीद है कि ला कोर्ट से स्ट्रक्चर्स पास होंगे। जब उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई और आप परमीशन कैंसिल करेंगे तो क्या पोजीशन होगी ? यह एनामोली है।

श्री उपाध्यक्ष —

यह तो तब होगा जब कोई फ्राड साबित हो जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव —

मान लीजिये बिल्डिग बनने के ८/१० साल बाद परमीशन कैंसिल हो तो क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये ८/१० महीने बाद फ्राड मालूम हो जाय, इसलिये कोई न कोई चीज इसके लिये होनी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव —

अगर बिल्डिग तैयार हो गई और ८/१० साल के बाद परमीशन कैंसिल होगी तो क्या असर होगा ? अनअथाराइज्ड ऐक्ट के लिये तो कोई न कोई चीज इस विधेयक में आनी चाहिये ।

दूसरी चीज यह है कि पैनल क्लाज के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय चरण सिंह जी का असर कुछ मंत्रियों पर आ रहा है। उनका दोष नहीं है बल्कि सरकार की हालत यह है कि इसके पैर के नीचे से जमीन खिसकती चली जा रही है, इसलिये सरकार कोशिश कर रही है कि डंडे के बल पर किसी न किसी तरह से हुकूमत कायम रहे। इसी का नतीजा है कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी गृह मंत्री हुये। चरण सिंह जी का नमूना मैं सहकारिता मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता था इसलिये कि हमारी सरकार की धारणा हो गई है कि अगर पब्लिक से कोई बात कही जाय या नियम बनाया जाय तो वह मानने के लिये तैयार नहीं है। यह आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन है कि अगर आप कोई नोटिस देते हैं तो वह मानने के लिये तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि आप अराजकता ऐडमिट करते हैं । इसीलिये सरकार को कठोर से कठोर नियम बनाने पड़ते हैं।

श्रीमन् मैं एक एक्जाम्पिल देना चाहता हूं कि म्युनिसिपल ऐक्ट जो कि अंग्रेजों के जमाने में १९१६ में बना था उसमें पेनल क्लाज था। उसमें दिया हुआ है कि पनिशमेन्ट क्या होगा। पांच सौ रुपये तक जुर्माना और अगर कांटीन्यूड अफेंस है तो पांच रुपये पर डे जुर्माना। लेकिन अब जो है वह भी पढ़े देता हूं। यह है ३०६ और ३०७ म्युनिसिपल ऐक्ट की धाराएं, शायद मंत्री जी सोच रहे हों कि हवा में बात कह रहा हूं इस लिये मैं पढ़े देता हूं—

"306—*Disobedience to public notice or provision of Act applicable to the public*—Where, by this Act or a notice issued thereunder, the public is

required to do or to refrain from doing anything, a person who fails to comply with such requisition shall, if such failure is not an offence punishable under any other section, be liable on conviction by a magistrate to a fine not exceeding five hundred rupees for every such failure, and in the case of continuing breach to a further fine which may extend to five rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the breach."

सेक्शन ३०७ भी इसी तरह है। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में पांच सौ रुपये तक मैक्सिमम पनिशमेंट थी और अगर कंटीन्यूड ब्रीच है तो पांच रुपये पर डे सजा थी। लेकिन अब क्या है विधेयक में? इस में १० हजार रुपया मैक्सिमम है पांच सौ रुपया पर डे कांटीन्यूड ब्रीच के लिये है। अब चौधरी साहब की बात मैं बतला दूं। चौधरी साहब ने १९६३ में उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम बनाया था। उसमें २३ उसका पेनल क्लाज है —

"23. Any person who without proper authority damages or obstructs any work under a plan or contravenes any of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a period not exceeding three months or to a fine not exceeding Rs. 500 or to both and where the offence is a continuing one to further fine which shall not be less than Rs.25 for every day during which the offence continues after the date of the first conviction."

बर्डिग के ऊपर मैं जोर दे रहा हूं। अभी तक यह था कि मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन था कि आपने अगर एक हजार रुपया जुर्माना रखा तो वह दो रुपये भी कर सकता था और दो हजार भी। लेकिन अब जो ऐक्ट बन रहे हैं उनमें यह चीज आ रही है कि नहीं कम से कम २५ रुपया जुरमाना जरूर होना चाहिये। यह धारणा आ रही है। आप का ऐडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो रहा है क्योंकि आपके आर्डर्स का कम्प्लायंस नहीं होता। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने बतायी हैं इन पर मंत्री जी फिर से गौर करें। यह एक नीति का सवाल है। मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री जी की नीति माननीय झारखंडे राय की तरफ जा रही है उसको थोड़ा मोड़ दें। डेमोक्रेसी की बात जो प्लीड करते रहते हैं और अब तो समाजवाद की पहली सीढ़ी पर बढ़ रहे है। हालांकि आपका समाजवाद, समाजवाद नहीं है उधर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि सुधार हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष —

आप जवाब दे रहे हैं तो इधर-उधर की बातें रहने दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

जरा हमारे दोस्त करीब में बैठे थे। मैंने सोचा कि जो असर हो रहा है कांग्रेस के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा वह भी बतला दूं। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय कमला सिंह जी ने यह विधेयक क्यों प्रवर समिति को भेजा जाय इस बारे में बहुत कम कहा और उस अधिनियम की जिसके ऊपर कि यह विधेयक संशोधन की शक्ल में आ रहा है उसकी तमाम बुराइयां कीं। अब मैं इसमें कोई विषेश बात कहना नहीं चाहता। केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक विधान परिषद् से पारित हो कर आया है और इसमें कोई नई नीति का प्रश्न नहीं और न कोई इसके स्कोप को बढ़ाने का प्रश्न है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर प्रवर समिति में विचार हो सके या प्रवर समिति से कोई सहायता मिल सके। विधेयक की धाराओं पर उन्होंने बात की,

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

खास तौर से धारा ४ पर। अब जिस समय धारा ४ ली जायगी उस समय जो आपकी आपत्ति है कि जो परमीशन मिल गई उसमें फिर कोई फ्राड करे या जालसाजी करे, धोखा करे लेकिन उसको हम वापस नहीं ले सकते। अगर इतनी दलीलें उनके पास इसके लिये होंगी तो धारा ४ पर विचार के समय हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। मेरा अपना खुद ऐसा विचार है कि धारा ४ जो रखी गई है वह ठीक रखी गई है और अगर कोई आदमी धोखा देकर किसी तरीके से कोई काम करवा लेता है तो उसका फायदा उसको नहीं मिलना चाहिए। कानून में ऐसी चीजों को दुरुस्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी चीज अगर है तो वह धारा ४ जिस समय आये उस समय उस पर बहस कर लें। इस समय मेरी दिक्कत यह है कि मैं क्या जवाब दूं जब कोई ऐसी चीज उन्होंने बतलाई नहीं कि प्रवर समिति में इसके ऊपर क्या होगा सिवाय इसके लिये कि इसका स्कोप बढ़ा दिया जाय। तो क्या स्कोप हम बढ़ायेंगे। जो संशोधन रखे गए हैं उनमें कोई स्कोप बढ़ाने की बात है ही नहीं। इसलिये मुझे खेद है कि मैं कमला सिंह जी की बात से सहमत नहीं हो सकता और मैं इसका विरोध करता हूं कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

धारा २ का संशोधन

२---उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के अंग्रेजी रूपान्तर की धारा २ के खंड (बी) में कोलन के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष ---

(प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

धारा ७ का संशोधन

३---मूल अधिनियम की धारा ७ में---

(१) उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायें, और

(२) वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(३) यदि अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो ऐसी अस्वीकरण के आधार प्रार्थी को, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर संदिष्ट किय जायेंगे।"

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ३ उपखंड (२) में उपखंड के आरम्भ के अंक "(२)" के स्थान पर "(१)" रख दिया जाय और इस धारा का सम्पूर्ण अंश "वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर..... संदिष्ट किये जायंगे।" खंड ४ के बाद "५—मूल अधिनियम की धारा ८ में" शीर्षक लगाकर उसके नीचे रख दिया जाय।

यह संशोधन मुझे इसलिये लाना पड़ा कि इस विधेयक में यह खंड जो है वह धारा ७ के संशोधन के अन्तर्गत है। मूल अधिनियम की धारा देखने पर जिस उपधारा के स्थान पर इसे रखने की बात आयी है उसको आप देखें तो यह धारा ८ में "भवनों में प्रवेश का अधिकार", इस शीर्षक की उपधारा है। परन्तु भूल से इसके स्थान पर दूसरी शब्दावली रखते समय आपके इस विधेयक में यह उपधारा ७ के अन्तर्गत आ गई है इसलिये मुझे यह संशोधन रखने की जरूरत पड़ी। प्रस्तुत उपधारा मूल अधिनियम की धारा ८ का संशोधन है जो इस विधेयक के खंड (३) के उपखंड (३) में किया जा रहा है। साथ ही इस विधेयक का खंड ४ जो है वह मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली नई धारा ७ (क) है। इस प्रकार मूल अधिनियम की ७ और ७ (क) का संशोधन इस विधेयक की ३ और ४ में किया जा रहा है। मेरा संशोधन धारा ५ की उपधारा १ के लिये है जो मूल अधिनियम की धारा ८ से सम्बन्धित है। जो आपने ४ धारा के बाद दिखाया है यह गड़बड़ी हो गई है। तो यह केवल एक मामूली तरीके का संशोधन है और इसको मान लेने में मंत्री का कोई हर्ज नहीं है।

इसके बाद मूल अधिनियम की धारा ८ का जो संशोधन खंड ५ में है उसको अगर ५ (२) कर दिया जाय तो वह क्रम में आ जायगा। मैं समझता हूं मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्य जो यह संशोधन रख रहे हैं इसमें थोड़ा-सा समझने में फर्क है। जिस तरह से वह (क) के रूप में अलग से रखना चाहते हैं उससे उसका कंस्ट्रक्शन बदल जाता है और वह नई धारा से बदल जाता है। जो वह कहते हैं कि ५ भी ८ में चला गया है तो उसका सम्बन्ध वहां पर नहीं बैठता है।

श्री रघुनाथसिंह—

आपके विधेयक में जो विवरण दिया हुआ है उसको आप देख लीजिये। मूल अधिनियम की जिस धारा में आप संशोधन करना चाहते हैं उसके विवरण को पढ़ने से मालूम हो जायगा कि वह धारा ८ का है न कि धारा ७ का।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

खंड ४ उसकी धारा ७ (क) क्लाज बनता है और उसकी पूरी-पूरी परिभाषा इसमें दी गई है। यह ७ (क) बिलकुल अलग है। खंड ५ की जो बात आप कह रहे हैं वह मूल अधिनियम की धारा ८ के अनुसार है। इसमें जो हमने गठन किया है वह वैसा करने से बदल जायगा। जिस तरह से आप संशोधन कर रहे हैं उससे इसका फार्मेशन ही बदल जायगा। इसलिये यह संशोधन मान लेने लायक नहीं है। इससे इसकी परिभाषा अच्छी नहीं होती है। इसलिये मैं इसको मान नहीं सकता।

श्री रघुनाथ सिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने जिस खंड का संशोधन पेश किया है वह मूल अधिनियम में किस धारा की उपधारा का संशोधन है? जो आप संशोधन रखते हैं मूल अधिनियम की धारा को बदल कर धारा ३ (२) में यह मूल अधिनियम की किस उपधारा के बदले में रखना चाहते हैं? पृष्ठ ६ पर है, उसको देख लीजिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

पूरी धारा की शक्ल यह हो जायगी कि पहले आ जायगा "दिस ऐक्ट" उसके बजाय बाकी उसके बाद जो संशोधन में आया है वह सब चलेगा १-२-३ करके। उसकी पूरी शक्ल बदल जायगी।

श्री उपाध्यक्ष ---

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में उपखंड के प्रारम्भ में अंक "(२)" के स्थान पर "(१)" रख दिया जाय और इस धारा का सम्पूर्ण अंश "वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर संदिष्ट किये जायंगे।" खंड ४ के बाद "५---मूल अधिनियम की धारा ८ में" शीर्षक लगाकर उसके नीचे रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि धारा ३ की उपधारा (२) में "जो नियत की जाय" के स्थान पर "जो इस विधेयक के अधिनियम बनने के पश्चात् सरकार द्वारा यथाशीघ्र नियत और घोषित की जाय" रख दिया जाय।

यह संशोधन इसलिये रखना पड़ा कि एक तो भवन निर्माण करने वाले रोग विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुज्ञा मांगेगे और वे किसी कारण से अनुज्ञा नहीं देंगे तो जिस आधार पर अनुज्ञा नहीं दी गयी होगी वह रीति विधेयक में स्पष्ट नहीं हो पा रही है, वह अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है यह जनतंत्र के खिलाफ पड़ता है। जब आप १९५८ के अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है क्योंकि अनेक कारणों से सरकारी अधिकारी जनता को परेशानियों में डाल देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस आधार पर आज्ञाएं और प्रार्थनाएं अस्वीकृत हों उसको भी इस अधिनियम में स्पष्ट कर देना चाहिए अधिकारियों पर छोड़ देना अच्छा नहीं है होम गार्ड बिल जो आ रहा है उसमें अधिनियम की रीतियां और नियम विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष रखे जायंगे तो इसमें भी यह होना चाहिये। ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

"जो नियत की जाय" के माने यह हैं कि रूल रख देंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब की बात सुनने के बाद मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं आपका ध्यान डाक्टर साहब की बातों की ओर आकर्षित करूं कि उनकी बातों में कितना वजन है। जिस प्रकार तफसील के साथ उन्होंने अपनी बातों को माननीय मंत्री जी को समझाने की कोशिश की है उस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये और अगर वे बातें माननीय मंत्री जी को स्वीकार न हों तो उन्हें मंत्री जी को स्पष्टतया समझाना चाहिये कि क्यों उनको यह स्वीकार नहीं है, उसमें क्या आपत्ति है। डाक्टर साहब तो उन लोगों में हैं जो वाजिब बात को मान जाते हैं। आप अपनी दलीलों से उन्हें संतुष्ट करें कि क्यों उनकी बात आपको स्वीकार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं जेलखाना मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो डाक्टर साहब की बात का वैसे ही आदर करता हूं मगर गेंदा सिंह जी ने उनकी वकालत करके मुझे पसोपेश में डाल दिया। उन्होंने संशोधन को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शायद पढ़ा होगा। संशोधन यह है कि "जो नियत की जाय "के स्थान पर शब्द "जो इस विधेयक के अधिनियम बनने के पश्चात सरकार द्वारा यथाशीघ्र नियत और घोषित की जाय" रख दिये जायं। मैं नहीं समझता कि यह भाषा "जो नियत की जाय" से कैसे अच्छी है। जो वकील साहबान यहां होंगे वे समझते होंगे कि इसके इन्टरप्रिटेशन में कितनी दिक्कतें आयेंगी। यथाशीघ्र के क्या अर्थ होंगे? इस जगह यह संशोधन मेल नहीं खाता। "जो नियत की जाय" यह लीगल टर्म है और यही उचित है। इस कारण से मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। इसके एग्जीक्यूशन में बहुत-सी दिक्कतें हो सकती हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, आप तो वकील हैं, आप बतायें कि मंत्री जी के कथन में कितना दम है। सरकार किसी चीज की घोषणा करे, यह ज्यादा जनतांत्रिक है या अधिकारी जो करें वह?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि धारा ३ की उपधारा (२) "जो नियत की जाय" के स्थान पर "जो इस विधेयक के अधिनियम बनने के पश्चात सरकार द्वारा यथाशीघ्र नियत और घोषित की जाय" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात निम्नलिखित नयी धारा ७-क बढ़ा दी जाये—

कपट से प्राप्त अनुज्ञा का रद्द किया जाना। नई धारा ७-क का बढ़ाया जाना

"७-क—यदि धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात किसी समय नियत प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ऐसी अनुज्ञा किसी सारवान व्यपदेशन (misrepresentation) या किसी कपटपूर्ण वक्तव्य या सूचना के परिणामस्वरूप दी गयी थी तो नियत प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा को उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, रद्द कर सकता है, और तद्धीन किया गया कोई कार्य, ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायगा।"

श्री रघुनाथसिंह—

इस खंड का विरोध करने के लिये मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय कमलासिंह जी ने अपने भाषण में इस विधेयक के संबंध में जो बातें प्रस्तुत की हैं उनका संबंध ज्यादातर ४थे खंड से ही है और उसी पर उन्होंने ज्यादा बल दिया है। सदन के सदस्यों को मालूम होगा कि मंत्री जी ने उस समय यह जवाब दिया था कि यह विधान परिषद् से पास हो चुका है, उसे फिर से प्रवर समिति में भेजने का कोई मतलब नहीं है और इस धारा पर जब बात चलेगी तो माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे। इससे यह ध्वनि निकली कि मंत्री जी भी इससे सहमत हैं। मूल अधिनियम में प्रार्थना-पत्रों पर अधिकारियों द्वारा अनुज्ञा देने की बात थी। लेकिन अब यह हो जायगा कि अगर अनुज्ञा दी जा चुकी हो, मकान बन चुका हो या बन रहा हो तो सरकारी अधिकारी उसे गिरा सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल मकान किस परेशानी से बनते हैं। इसमें २-३ बड़ी बुराइयां पैदा होंगी। पहले जब यह

[श्री रघुनाथसिंह]

धारा ४ नहीं थी तो अधिकारी पूरी सावधानी से गौर करके अनुज्ञा देते रहे होंगे मगर अब तो उन्हें खुली छट हो जायगी कि असावधानी से काम करें और बाद में मकान गिरवा दें। इससे अधिकारी लापवरही बरतेंगे और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है। लाचारी में मकान वाले घूस देने और भ्रष्टाचार का शिकार होने के लिये बाध्य होंगे, सरकारी अधिकारियों में वैसे ही ये बात बहुत है। जनता उनके हथकन्डों में ज्यादा फंस जायगी। कल्पना कीजिये कि बने-बनाये भवन गिराये जाने आरम्भ होंगे तो जनता में कितना असन्तोष होगा। अधिकारियों पर अंकुश होना चाहिये कि वे सही जांच करके आज्ञा दें। हम समझते हैं कि मंत्री जी इस पर ठंढे दिल से विचार करके सरकारी अधिकारियों को घूस की कीचड़ में फसने से बचावेंगे। यही जनतंत्र के अनुकूल है।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहेब ने अच्छी दलील दी है और मैं भी मंत्री जी से पहले कह चुका हूं। लेकिन खास बात यह है कि इसके दो पहलू हैं। मंत्री जी ने कहा था कि जब खंडों पर विचार हो तो हम इस पर रोशनी डालें। एक तो ऐसे मकान हैं जिनका कांस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया गया है और दूसरे ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं या कुछ शेप ले चुके हैं, रैग्यूलेटेड एरिया में हैं। जो नियम इस विधेयक में बनाये गये हैं उनके मुताबिक प्लान की तमाम बातें एक प्रिन्टेड फार्म पर, इन राइटिंग, सब फैक्ट्स को स्टेट किया जाता है। यह नहीं है कि कोई जबानी बात होती है जिस पर धोखा दिया जा सकता है, या मिसरिप्रेजेंटेशन आफ फैक्ट किया जा सकता है। माननीय मंत्रीजी ने एक भी मिसाल नहीं दी कि किसी किस्म के फ्राड के लिये यह विधेयक लाया गया हो। मेरा विचार है कि ऐसी कोई बात मंत्री जी के सामने नहीं है और चूंकि अधिकारियों ने एक विधेयक बनाकर सदन के सामने रख दिया इसलिये वह इसको सपोर्ट कर रहे हैं।

जहां तक इंडियन पीनल कोड का सवाल है, उसके अन्दर जो फ्राड या मिसरिप्रेजेंन्टेशन आफ फैक्ट्स है वह इससे कवर नहीं होता है। आई०पी०सी० के अन्दर जो फ्राड है वह आप प्रैक्टिस करते हैं जबानी या अपने बिहेवियर से या इशारे पर और उससे किसी को परसुएड करते हैं कि इस काम को करो जो कि यदि उस बात को जानता तो उस काम को नहीं करता। लकिन यहां बिलकुल मुखतलिफ बात है। यहां एक सर्टेन प्रैस्काइब्ड फार्म है जिसे भर कर कन्ट्रोलिंग अथा रटी या प्रैस्काइब्ड अथारिटी के सामने पेश किया जाता है। उस फार्म में आप सारी इत्तला और स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स सारे उन्हीं शब्दों में रखते हैं जो कि फार्म में होते ह या गवर्नमेंट के डाइरेक्शन्स होते हैं। साथ ही साथ मास्टर प्लान को कंट्रैडिक्ट करने वाला प्लान भी नहीं होता है, बल्कि उसके मुताबिक होता है। नतीजा यह होता है कि आपके अधिकारी उन सब बातों की इंक्वायरी करके ही आज्ञा देते हैं। तो यह फ्राड या मिसरिप्रिजेंटेशन नहीं कहा जा सकता है। ला-डिपार्टमेंट ने यह बात इस रूप में लाकर गलती की है। अगर आप म्यूनिसिपल ऐक्ट को देखे तो उसमें ये शब्द हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, जो बात कही जा चुकी हो उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे अफसोस है। अगर कहीं प्रोसीडिंग्स में आप यह बात मुझे दिखा दें कि मैंने यह पढ़ा हो तो मैं बन्द कर दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इस ओर आपका ध्यान दिलाया ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप मुझे दिखला दें कि यह मैंने पहले पढ़ा हो तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छी बात है, पढ़िये ।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक २३६ का सवाल है वह इस प्रकार है—

"236. *Unauthorized construction or tree over drain or Water-work*—(1) Where, on or after the 10th day of March, 1900, any street has been made or any building, wall or other structure has been erected or any tree has been planted without the permission in writing of the Board over a public drain or culvert or a water work vested in the Board, the Board may—

(*a*) by notice require the person who has made the street, erected the structure or planted the tree, or the owner or occupier of the land on which the street has been made, structure erected or tree planted to remove or deal in any other way the Board thinks fit with the street, structure or tree; or

(*b*) itself remove or deal in any other way it thinks fit with the street, structure or tree."

इसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी पब्लिक प्रिमिसेज में अनआथोराइज्ड एक्ट करे या मिसरिप्रिजेन्टेशन करके परमीशन सीक कर लिया तो दोनों पोजीशन में एक सी बात होगी । अगर किसी ने कोई परमीशन सीक नहीं किया है तो उस समय आपको ड्यूटी यह हो जाती है कि उस अनआथोराइज्ड पोर्शन को आप हटा दें, लेकिन उससे बाकी पोर्शन को अन-एथोराइज्ड नहीं समझना चाहिये । लेकिन एक आदमी ने आपकी मास्टर प्लान के मुताबिक बिल्डिंग बनायी है और बिल्डिंग बन जाने के बाद आप कहते हैं कि उसको ऐसा ही समझा जायगा कि परमीशन नहीं ली गयी, तो यह एक प्रकार से आपका उसके साथ विश्वासघात हो जायगा । उस वक्त जब उसका मकान बन गया है तब आप ऐसी हरकत करते हैं । मेरे खयाल से तो उस अधिकारी के खिलाफ आपको ऐक्शन लेना चाहिये जिसने उस केस को रेकमेन्ड रिप्रिजेन्ट किया, इंक्वायरी की । लेकिन यह धारणा तो आपकी है नहीं । आप तो अपने अधिकारियों को छूट देना चाहते हैं और पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं । आपका एक छपा हुआ फार्म है ? उसको उसने भरा और आपके अधिकारी ने उस की इंक्वायरी की, फिर उसको सजा क्यों मिलनी चाहिये ? मैं समझता हूं यह अराजकता का कानून है । हो सकता है यह काम अधिकारी ने मिल कर किया हो । फिर भी आपको उसी पोर्शन को डिमालिश करना चाहिये जो आपकी निगाह में अनआथोराइज्ड हैं । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रोज आपको पुलिस फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा ; मंत्रीजी पुलिस मंत्री के बगल में बैठे हैं उनसे विचार विमर्श कर लें । मेरा खयाल है वे इसकी सलाह नहीं देंगे और कांस्ट्रक्शन जिसने कर लिया है उसका खयाल रखेंगे और उसी पोर्शन को डिमालिश करें जो अनआथोराइज्ड है । मैं समझता हूं कि उनके लिये यह अच्छी बात होगी कि वे हर बात को थोड़ा रीजनिंग के साथ सोचें ।

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में जो संशोधन प्रपोजीशन की तरफ से पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। खासकर इस वजह से इस वक्त जितना भी डेवलपमेंट का काम गाजियाबाद में हो रहा है वह सब वन मैन शो है। वहां चार अलग-अलग बाडीज काम कर रही हैं। २ का उल्लेख तो इस रेगुलेटिंग ऐक्ट में है, एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी और दूसरा कंट्रोलिंग अथारिटी। तीसरी चीज वहा म्युनिसिपल बोर्ड है और चौथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वहां काम नहीं कर रहा है, एक ऐडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है। यह ऐडमिनिस्ट्रेटर इ प्रूवमेंट ट्रस्ट का भी काम देखता है। इस ऐक्ट में जो "Prescribed authority, means one person or body of persons." लिखा है उसको भी खत्म करके सिर्फ एक व्यक्ति प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाया गया है। मैं उस व्यक्ति की शिकायत नहीं करता। वह एक नवयुवक है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इतनी ताकत एक आदमी के हाथ में दे देना उचित नहीं है। आज वह प्लान एक मकान का पास करता है और कुछ दिन बाद कहता है कि वह गलत हुआ है और मैं उस को वापस लेता हूं। तो जिस सज्जन के खिलाफ वह फैसला कर रहा है चाहे गलती भी हो, लेकिन उसको तय करने के लिये एक दूसरी अथारिटी होनी चाहिये कि आखिरकार कोई फ्राड हुआ भी है या नहीं। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों न हो he is after all a human being. उसकी कमजोरियां होती हैं। हो सकता है हमारा प्लान किसी वजह से नामंजूर हो गया और बगैर मझे सुने हुये, बगैर मुझे मौका दिये हुये बैठकर अपने दफ्तर में लिख दिया और जो हम को हक था और जो अनुज्ञा थी मकान बनाने की वह वापस हो जाती है और जब इस ऐक्ट में १०हजार रुपया जुर्माना करने का हक है और ५०० रुपये रोज जब तक मकान गिरा न दिया जाय तो इतनी ताकत किसी एक सज्जन के हाथ में देना चाहे वह कितना अच्छा आदमी ही क्यों न हो दोषपूर्ण है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि या तो एक व्यक्ति को अगर करते हैं तो उसके साथ म्युनिसिपल बोर्ड के नान-आफिशियल मेम्बर्स को आसोशियेट करें। जो लाखों रुपया लोगों का खर्च हो रहा है और हजारों मकान बन रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लोगों को प्लाट्स एलाट करती है, जमीन की कीमत जहां १८ और २० रुपये गज है और एक एक सेक्टर में जहां हजारों प्लाट हों तो सिर्फ एक सज्जन को वहां इतने बड़े अख्तियार दे देना खतरे से खाली नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में नान आफिशियल्स को भी असोशियेट करें और ऐक्ट में यह प्रोवाइडेड है कि 'Not more than nine members' यानी कम से कम ६ तो होने ही चाहिये, उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है, म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन है, और गवर्नमेंट का नामिनी। कंट्रोलिंग अथारिटी में चार का ही प्राविजन है। एल० एस० जी० का सेक्रेटरी, टाउन प्लानर और शायद दो एक आदमी और होंगे। तो जितना काम वहां हो रहा है उसमें नान-आफिसियल किसी भी स्टेज पर असोशियेट नहीं किये गये, इसलिये मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। जो संशोधन हो रहा है यह कंट्रोलिंग अथारिटी पर ही होगा न कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने पास किया है उस को दूर कर दें। मैं नान-आफिशिल्स के लिये इस वजह से जोर दे रहा हूं कि जब ४, ६, ८ आफिशियल्स बैठ कर काम करते हैं तो अगर कोई गलती भी होती है तो नीचे के अफसर अपने बड़े अफसर के खिलाफ गलती प्वाइंट आउट नहीं करते तमाम पार्टीबाजी होती है और हर जगह सिलक्स बन जाते हैं और कोई चीज ठीक नहीं हो पाती।

श्री उपाध्यक्ष—

इस खंड में अथारिटी के डिटेल्स की बात नहीं है, जो इस में बात आती है वही कहिये।

श्री तेजसिंह—

मैं यही कहता हूं कि नान-आफिशियल्स का असोसियेशन करना चाहिये। अथारिटी की बात मैं नहीं कहता। जिलों में कई बातें ऐसी हो रही हैं कि आफिशियल्स उन पर पर्दा डालते हैं, मिसाल के तौर पर.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

बात तो यह है कि जहां फ्राड पाया जाय तो रद्द कर दिया जाय उसी पर आप कहिये।

श्री तेजसिंह—

मैं तो यह कह रहा हूं कि यह हक एक आदमी को ही न दिया जाय। गाजियाबाद के पास जहां मास्टर प्लान चल रहा है वहीं पास में गांव समाजों की भी प्रापर्टी है, वह जमीनें ज्यादा कीमती नहीं थीं पहले, लेकिन अब जब से प्लान आरम्भ हुआ है तो उन जमीनों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। वह जमीन भी दो-तीन आने गज की जगह १५-२० और १० रुपये गज हो गई है। जब कोई कालोनाइजर नक्शा देता है कि साइट प्लान पास किया जाय तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी.....।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां तो केवल इतना है कि धोखा देकर अगर कोई गलत आज्ञा ले ले तो क्या किया जाय, उस पर ही आप बोलें, दूसरी बात पर न कहें।

श्री तेजसिंह—

मैं कह रहा हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हक नहीं होना चाहिये, कंट्रोलिंग अथारिटी को होना चाहिये .....।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन खंड ४ में यह चीज नहीं है।

श्री तेजसिंह—

तो मैं उसको छोड़े देता हूं, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने अगर कोई कालोनाइजर नक्शा देता है तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी यह नहीं देखती कि आया वह उस का मालिक है या नहीं, जो कालोनाइजर हैं वे किसानों को बगैर पैसा दिये जमीन ले लेते हैं, वह एग्रीमेंट उस के नाम कर रखते हैं, वह कुछ रुपया देकर एग्रीमेंट करा लेते हैं कि हम आप की जमीन इस रेट पर ले लेंगे और फिर जब प्लान पास हो जाता है तो वह खरीदारों को प्लाट बेचना शुरू कर देते हैं और उन से एग्रीमेंट कर लेते हैं और प्लाट ट्रान्सफर कर देते हैं और किसानों को पैसा नहीं देते हैं और जब खरीदने वाले देते हैं तो हिसाब कर देते हैं। वह लोग जमीन अपने नाम ट्रान्सफर नहीं कराते.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें इमारतों की बात है, बेचने की बात कहां है ?

श्री कमलासिंह यादव—

अस्ल में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी एक आदमी होता है, यह तो उसकी प्रैक्टिकल ऐप्लीकेशन बता रहे हैं। कितनी डिफिकल्टीज उनको पड़ती हैं। तो फ्राड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक खंड पर बहस करने में सारे बिल पर चर्चा नहीं कर सकते। उसी क्लाज पर कनफाइन रहें।

श्री तेजसिंह---

वह प्लाट बेचते हैं मकान बनाने के लिये। अगर जमीन ही उन्होंने गलत ली, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने देखा नहीं कि मालिक है कि नहीं, तो मकान जो बनेगा वह भी गलत होगा। मैंने यह मामला रेवेन्यू मिनिस्टर को लिखा कि गांव समाज की जमीन वह ले रहे हैं और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में धारा है कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन कालोनाइजर्स उससे ज्यादा जमीन ले रहे हैं। मैंने यह मामला कंट्रोलिंग अथारिटी में रखा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक सज्जन ने कहा वाकई बिल्कुल गलत है इसको देखना चाहिये। लेकिन दूसरे सज्जन ने कहा अगर आप यह देखने लगेंगे तो डेवलपमेंट का सारा काम रुक जायगा। यह हमारा काम नहीं है, यह रेवेन्यू का काम है। अब बताइये कि मिनिस्टर को कैसे पता चलेगा कि गलत काम हो रहा है? लेकिन इतना सुनते उन्होंने संतोष दिया कि हम इस मामले से अवगत हैं। तो वापस लेने और नक्शा रद्द करने का हक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को नहीं होना चाहिये जब तक नान-आफिशियल को एसोशियेट न किया जाय।

* श्री कल्पनाथसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है "इस अधिनियम में संबद्ध पक्ष द्वारा किये गये सारवान व्यापदेशन (misrepresentation) या कपटपूर्ण वक्तव्य के परिणामस्वरूप दी गई अनुज्ञा को रद्द करने की भी व्यवस्था नहीं है।" उसकी व्यवस्था अब की जा रही है। आवश्यकता महसूस हो गई मंत्री जी को कि मिसरिप्रेजेन्टेशन भी हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है। इस महकमे में कुछ ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिये जिसको कहा जाय यह काम कपट से हो गया। कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर रहनी चाहिये कि जहां इमारतें बनती हों, बड़े-बड़े लोग हों जिनको कहा जाय पब्लिक इंटरेस्ट में तुम्हारी इमारत गिरा दी जायगी। डाकू को कहा जाता है कि डाका डाले और वकील को कहा जाता है कि छुड़ाओ। यह तो सब सरकारी काम है। आप जानते हैं जनता में चर्चा है कि वकील और डाकू का क्या रिश्ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दरअसल इस मामले में ठीक वही उदाहरण लागू होता है। कहा जायगा यह कि गलत तथ्य दे दो और मकान बना लो और जब मकान बन जायगा तब कहा जायगा कि तुमने गलत तथ्य दे दिये हैं इसलिये मकान गिराया जायगा।

मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे क्योंकि इससे वकीलों की परेशानी बढ़ेगी और महकमे की परेशानी बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि ठाकुर साहब जरूर सलाह देंगे शर्मा जी को कि ऐसा कानून न बनायें। हर आदमी यह बात दिल में महसूस करता है कि यह संशोधन गलत है और मुझे उम्मीद है मंत्री जी इसे वापिस ले लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो जब आप वोटिंग करायेंगे तो इसको हर एक आदमी महसूस करेगा कि यह उचित नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया है कि अधिकारी अनुज्ञा को रद्द कर देगा यदि उसको चरका दिया गया या उसके साथ कपट किया गया। हमने ऐसे कानून नहीं देखे कि हम माल बेचें कि हमको धोखा दे दिया जायगा। हमने तो आपको काबिल समझकर इतना बड़ा महकमा दिया, नगर का। नागरिक के अधिकार जरूर होते हैं और नगर की यह हालत है कि नगर के रहने वालों से कहा जाय कि धोखा दे दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करें कि डकैती के अड्डे नागरिकों के क्षेत्र में नहीं खुलने चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन खंड ४ के द्वारा होने वाला है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। धारा ७ के अन्दर जिसमें उस संबंधित अधिकारी को सारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का सारा परीक्षण करने का अधिकार है कि वह जांच करा ले, सारा पता लगा ले और सब कुछ करने के बाद वह यदि चाहे तो आज्ञा को रद्द करदे। तो यह बड़ी विचित्र सी स्थिति है। वास्तव में ये अधिकार दे देने का अर्थ होगा घूस लेने और पैसे लेने का साधन बनाना। तो इस नये प्रकार का अधिकार देकर एक नये प्रकार का भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे वापिस ले लें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड ४ पर काफी बहस हुई। अभी भी और पहले भी जब माननीय कमला सिंह जी ने शुरू शुरू में अपना संशोधन रखा था। इसमें शायद माननीय सदस्य यह मानकर चलते हैं कि यह हर मामल में लागू होगा और हर आदमी धोखा देकर या गलतफहमी से अनुज्ञा लेता है। ऐसा नहीं है, लेकिन चन्द आदमी होते हैं जो कुछ गड़बड़ी का काम कर सकते हैं तो उनके लिये यह प्राविधान किया गया है। यह कोई नयी चीज नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे एक्जाम्पल बताएं कि सरकार के सामने ऐसी कौन-कौन-सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वे यह विधेयक लाएं हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं अर्ज कर रहा था कि खंड ४ में इस बात का प्राविधान किया गया है कि कोई अधिकारी अगर संतुष्ट हो जाय कि अनुज्ञा अनुचित ली गयी है तो उसे वह वापस ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी गलत चीज करवा ले उसी के लिये यह प्राविधान रखा गया है। इस तरह का प्राविधान हमारे महानगरपालिका अधिनियम में भी मौजूद है, उसके लिये नियम ३२८ मौजूद है कि अगर कोई इस तरह की परमिशन ले ले गलतफहमी पैदा करके तो अनुज्ञा वापस की जा सकती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जानबूझ कर दे दी जाय तो क्या होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तो उस अधिकारी को सजा दी जायगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—

इसको उसमें जोड़ दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उसके लिये सर्विस रूल्स मौजूद हैं कि कोई आदमी जानबूझ कर गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी। इसका कोई आम प्रयोग नहीं होगा कि मकान जब बन जाय तो उसको गिराने की नीयत से ऐसा किया जायगा, जानबूझ कर ऐसा किया जायगा। ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को सजा मिलेगी। कोई आदमी ऐसा करेगा तो वह अपनी गलती मानता नहीं, उस पर हर्फ आता है और अधिकारी पर भी लांछन आता है। आम तौर पर लोग अपनी बात छिपाने के लिये ही ऐसा करते हैं। तो जब तक बहुत बड़ी चीज नहीं होगी तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जायगा इसके मुताबिक।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

दूसरी चीज इस अधिनियम में यह की जा रही है कि गलती दूर की जाय; तो उसके लिये जबानी नहीं, 'इन राइटिंग' लिखना होगा कि उसको इन इन कारणों से धोखा हुआ था, इसलिये यह अनुज्ञा वापस ली जाती है। उसके लिये अपील भी हो सकती है कि उन्होंने किस वजह से अनुज्ञा वापस ली। इससे इंसाफ होगा और जिनको गलत आज्ञा मिल गयी है वह वापस होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

प्वाइंट आफ आर्डर। जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर कोई भी क्लाज ऐसा नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि इसका एन्फोर्समेंट कब से होगा। बगैर इसके यह व्यर्थ है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडिंग बिल है। जो हमारा मूल ऐक्ट है, जो आलरेडी कार्यान्वित है, यह जब पास हो जायगा तो उसमें तरमीम हो जायगी और उसी तरह से काम होने लगेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, यह अवैधानिक है। असेम्बली की जितनी कार्यवाही इस विधेयक के संबंध में हुई है वह अवैधानिक है। आप मंत्री जी को आदेश दें कि इसको वापस लें। आप ला डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लें। जब तक इसके एन्फोर्समेंट का कहीं जिक्र न हो आप अमेंडमेंट नहीं करा सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह किस रूल के मुताबिक कह रहे हैं कि यह अवैधानिक है ?

श्री कमलासिंह यादव—

कोई भी विधेयक आपके सामने आये उसमें यह क्लाज होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बिल इस प्वाइंट पर खत्म हो जायगा, यह कौन सा रूल है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जब उसको एन्फोर्समेंट न हो तो अमेंडमेंट कैसे होगा ?

श्री उग्रसेन—

जब हर विधेयक में होता है कि यह फलां डेट से लागू होगा, तो इसमें क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें रूलिंग का कोई सवाल नहीं है। यह तो गवर्नमेंट जाने। जब तक आप कोई नियम नहीं बतलायेंगे तब तक मैं क्या रूलिंग दूं ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

नियमों के अन्तर्गत ही कमलासिंह जी कहते हैं कि इसमें लिखा होना चाहिये कि फलां तारीख से यह लागू समझा जायगा इसमें एक डर और है कि मान लीजिये इसको पास कर दिया जाय और मंत्री जी को छूट दे दी जाय कि फिर से वापस कर के दूसरे बिल ले

आयें तो यह खतरा रहेगा जब से पुराना ऐक्ट बना हुआ है यह तभी से लागू समझा जायगा और जो हजारों मकानात बन गये हैं वे गिरा दिये जायेंगे । ये आज कानून बनायेंगे और उसे लागू समझेंगे इस के जन्म के पहले से ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो यह कहा गया कि जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हैं वे गिरा दी जायंगी, तो कोई रेट्रास्पेक्टिव अधिकार थोड़े ही हमने लिया है । यह जिस दिन से पास हो जायगा तो जो मूल अधिनियम की धारायें हैं वे संशोधित हो जायंगी और उस तरह से कार्यवाही चलने लगेगी । यह कोई नया ऐक्ट नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

हर विधेयक में इस तरह का क्लाज दिया जाता है कि जो संशोधन विधेयक है उसका रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट होगा या किसी और डेट से होगा । तो जब तक इसका प्राविधान न हो यह अमेंडमेंट कैसे माना जायगा ? अगर पहले नहीं किया तो अब से ही एक धारा इसमें लगा दें कि रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट इसका होगा वरना नतीजा यह होगा कि कोर्ट से स्ट्रक्चर पास होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई रूल आपने बताया नहीं और यह स्पीकर की ड्यूटी नहीं है । यह तो कोर्ट का कार्य है । अगर कोई ऐसी त्रुटि होगी तो लोग कोर्ट में जायंगे, गवर्नमेंट को बदनामी उठानी पड़ेगी । इसमें स्पीकर कोई मदद नहीं कर सकता ।

श्री कमलासिंह यादव—

हम इसलिये यहां बैठे हैं कि उनको अच्छी सलाह दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सलाह देने के लिये तो आप दे सकते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

आपने निर्णय दिया है कि आपकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो अपोजीशन उसकी ओर ध्यान दिलाये । हम चाहते हैं कि जो नमूना कानून का यहां से बनकर जाय वह ऐसा हो कि पब्लिक उसको एप्रीशियेट करे । इसलिये हम चाहते हैं कि अगर कोई एनोमली है तो वह दूर होनी चाहिये । हम नहीं चाहते हैं कि कोर्ट गलत या सही इंटरप्रिटेशन करे । कोर्ट की मर्जी पर हम नहीं रहना चाहते हैं । मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी मेरी बात मान लें । वह अपने ला डिपार्टमेंट को कंसल्ट कर लें । अब तक यही परिपाटी रही है और हमने कोई विधेयक नहीं देखा जिसमें एन्फोर्समेंट की धारा न बनाई गई हो । जब तक नहीं बनाई जाती तब तक न तो यह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से लागू हो सकता है और न किसी और तरह से हो सकता है । अभी तो मौका है । वह ला डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके इसमें जोड़ दें । हम कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते हैं । आप देखिये कि जनता का कितना रुपया बरबाद हो रहा है । १९५८ में पास हुआ, फिर १९६० में इसमें संशोधन लाये गये और अब फिर १९६३ में लाये जा रहे हैं । आपका ला डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है । आप पार्टीबन्दी से गुलामों को लाकर जो चाहते हैं कराते हैं । आप अच्छे ब्रेन्स लाइये । हम लोग अपनी नीति और विचारधारा को रखते हैं । अगर कानून में कोई फ्ला रहता है तो कोर्ट्स से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं । अगर किसी की गलती से यह धारा छूट गई है तो उसको जुड़वा दें और अधिकारियों को भी ताकीद कर दें कि वे ऐसी गलती भविष्य में न करें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि एक बात उठाई गई और यह भी मान लिया गया कि गलती हो गई और सब अधिकारियों का ब्रह्मी बात से कंडेमनेशन भी हो गया । हमारे यहां जितने विधेयक आते हैं, यह सही बात है कि उनको ड्राफ्टिंग ला डिपार्टमेंट से होती है । जैसा कि मैंने अर्ज किया था, यह अमेंडिंग बिल है और हम मूल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं । कुछ गलतियां केवल लिखने की हैं, कुछ कामा और सेमीकोलन वगैरह की हैं या कुछ में शब्दों का सब्सीट्यूट किया है । इसमें कोई नई चीज नहीं है जिसके लिये टाइम निर्धारित होना चाहिये । मूल अधिनियम में दुरुस्ती हो जायगी । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें जहां कामा सेमीकोलन लग गया तो उसमें लगा माना जायगा, जिस समय सदन से पास हो गया तब से हो गया । यह जरूरी नहीं है । यह रिडंडेंट है ।

श्री रघुनाथसिंह—

इतने महत्वपूर्ण ऐतराज पर मंत्री जी ने जवाब दिया तो उसमें कामा विराम की बात कही । जरा इससे समझ लीजिये कि मंत्री जी स्वयं इसका जवाब देने में असमर्थ हैं । यह क्या मजाक हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक दफा बोल चुके हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

बोलने की मुझे आदत नहीं है लेकिन आप ही बताइये कि इतना बढ़िया विरोध हुआ और उसका यह जवाब ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो गलती बतायी उसको वह नहीं मानते कि गलती है । रूल आपने कोई बताया नहीं जिसके मुताबिक लाजमी हो कि मैं रूलिंग दूं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

इसके खिलाफ भी तो रूलिंग नहीं दी गयी । यह नियम के विरुद्ध है । यह तो व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है । अभी माननीय उग्रसेन जी किताब कंसल्ट कर रहे हैं । मंत्री जी उनकी राय से भी वाकिफ हो जायं । अगर उनकी बात पर भी ऐतराज हो तो माननीय गोविन्द सहाय जी की बात वह जरूर मानेंगे चाहे ठाकुर साहब की बात मानें या न मानें । इसको मंत्री जी वापस लें और फिर ले आयें ।

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नमेंट को आपने पूरा मौका दे दिया । अगर वह समझती कि कोई गलती है तो सुधार करने के लिये टाइम ले लेती । वह टाइम लेती नहीं । आप कोई रूलिंग दिखाते नहीं । इसलिए स्पीकर की रूलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है । जो डिबेट चल रही है उसे चलने दीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक मंत्री जी ने कामा सेमीकोलन की बात कही, वह तो आपके द्वारा भी करेक्ट की जा सकती है, लेकिन जहां पर एक धारा को लाने का सवाल है वह बहुत महत्व की चीज है । मुझे थोड़ा मौका दे दीजिये, कल मैं रूलिंग भी दिखा दूंगा और नियम भी दिखा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ८ के खंड (ग) में शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं । धारा ८ का संशोधन ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, क्रम संख्या १ पर जो मेरा संशोधन था उसी का एक अंश मात्र यह है ....

*श्री उपाध्यक्ष—

तो यह आउट आफ आर्डर है, वह अस्वीकृत हो चुका है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इस खंड ५ का विरोध करता हूं । श्रीमन्, खंड ५ इस प्रकार है "मूल अधिनियम की धारा ८ के खंड (ग) में शब्द तथा अंक धारा ५ के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, अगर ओरिजिनल ऐक्ट देखा जाय तो उसमें यह लिखा हुआ है:—

"On receipt of such application the Prescribed Authority, after making such enquiry as it considers necessary in relation to directions which may have been issued under section 5 or in relation to any other matter and having regard to such precautions, shall, by order in writing either grant the permission subject to such conditions, if any, as may be specified in the order or refuse to grant such permission.

श्री उपाध्यक्ष—

तो इसमें देखिये न, दफा ५ के बजाय वह चाहते हैं कि "इस अधिनियम" कर लें जिससे उसका मतलब केवल उसी प्राविजन से नहीं बल्कि सभी प्राविजन्स से हो जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

वही मैं कह रहा हूं । आप थोड़ा संतोष रखकर सुन लें । मैं बताना चाहता हूं कि ला हमेशा वाइड रखना चाहिये । ला को सीमित नहीं करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो वाइड तो कर ही रहे हैं ।

श्री कमला सिंह यादव—

आप सुन तो लीजिये । अगर आप नहीं सुनेंगे तो मंत्री जी क्या सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहिये, लेकिन केवल उसी पर कनफाइन्ड रहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमेशा ला का स्कोप वाइड रखना चाहिये कि कोई भी केस कैसा ही क्यों न हो, सब उससे कवर हो जाय । यह उसका उद्देश्य होना चाहिये, और इसके अन्दर हम देख रहे हैं कि जो ला पहले से मौजूद है वह कहीं अच्छा है बनिस्बत जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमला सिंह यादव]

अमेंडमेंट आप ला रहे हैं उसके। अमेंडमेंट से आप उसको सीमित कर रहे हैं। और वह इस तरह, श्रीमन्, "On receipt of such application the Prescribed Authority after making such enquiry as it considers necessary in relation to any directions." अब इतना तो याद कर लें कि डाइरेक्शन तक यह एक चीज है और अब उसके बाद दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यह है कि in relation to any direction which may have been issued under section 5. यानी ५ में ११ कंडीशंस दी हुई हैं, उन पर विचार करने के बाद परमीशन दी जायगी। दूसरी कंडीशन उसके अन्दर यह है "or in relation to any other matter" तो यह दो चीजें हो गईं। अब अगर आप कर देते हैं सेक्शन फाइव की जगह "इस अधिनियम" . . . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

कमला सिंह जी, देखिये इसमें यह है कि डाइरेक्शन दिये हैं सेक्शन ५ के अन्तर्गत और वह कर रहे हैं पूरे अधिनियम के अन्तर्गत, तो यह तो ज्यादा वाइडर हुआ न? तो इसमें आपको क्या दिक्कत है?

श्री कमलासिंह यादव—

सेक्शन ५ जो है वह बेस प्रिंसिपुल है। अगर बेस को आप मान लेते हैं तभी वह धारा के अन्दर आयेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक ऐप्लीकेशन दी गई और मजिस्ट्रेट यह पूछता है कि किस नियम के अन्दर यह एप्लीकेशन दी गई तो अगर नियम आप कोट नहीं करते हैं तो कौन बतायेगा कि किस नियम के अन्दर एप्लीकेशन दी है इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस रूप में यह खंड ५ है इसको उसी रूप में रहने दें। उसका उद्देश्य खराब नहीं है। वह हर माने में काम कर सकता है। उसका बहुत वाइड स्कोप है। इसलिये मैं कहता हूं कि जिस तरीके पर वह है उसी तरीके पर इसको रहने दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

असल में कन्फ्यूजन यों है कि यहां पर अन्डर सेक्शन ५ लिखा है। यहां पर यह तरमीम नहीं हुई है, और जगह यह तरमीम हो चुकी है कि जहां पर अन्डर सेक्शन ५ आया है वहां पर अन्डर दिस ऐक्ट कर दिया जाय। यहां पर रह गया है। यह जो डाइरेक्शन होती है वह सेक्शन १४ के अन्तर्गत भी होती है। और जगह से भी डाइरेक्शन ईश्यू होती है। अन्डर दिस ऐक्ट कर देने से सब कवर हो जाता है। इस तरह से जहां-जहां अन्डर सेक्शन ५ आया है वहां पर अन्डर दिस ऐक्ट हो गया है। यहां भी वह हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर और जगह चेंज कर दिया गया है और यहां पर रह गया है तो जहां पर और जिस धारा में रह गया है उस धारा को यहां पर लिख दिया जाय। अगर कई धारायें हैं तो इसमें उन धाराओं को जोड़ दिया जाय और सब धाराओं को यहां पर लिख दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पूरे विधेयक में एक ही भाषा का प्रयोग किया गया है। "अन्डर दिस ऐक्ट" से सब कवर हो जाता है। यही ठीक जमता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६, ७, ८, ९ तथा १०

धारा ८-ख का संशोधन

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"८-ख—(१) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई विधिक कार्यवाही निर्दिष्ट कर सकता है या उसका प्रतिवाद कर सकता है ।

(२) नियत प्राधिकारी, नियंत्रक प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से ही अथवा जब नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय—

(क) इस अधिनियम् के अधीन कोई विधिक कार्यवाही वापस लेगा,

(ख) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम अथवा प्रचारित आदेश के अधीन किसी अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है, और

(ग) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके संबंध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है ।"

धारा ९ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "भवन का निर्माण" और शब्द "अथवा" के बीच में कामा तथा तत्पश्चात् शब्द "पुनःनिर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन करना" बढ़ा दिये जायं, और

(२) शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं ।

धारा १० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १० में जहां-जहां भी शब्द "महत्वपूर्ण परिवर्तन" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सारवान परिवर्तन" रख दिये जायं और मूल अधिनियम के अंग्रेजी रूपान्तर की धारा १० में, जहां-जहां भी शब्द "alteration" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "change" रख दिया जायं ।

धारा १५ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "या न देने" और शब्द "अथवा धारा" के बीच में शब्द "अथवा धारा ७-क के अधीन अनुज्ञा रद्द करने की आज्ञा" बढ़ा दिये जायं ।

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारायें (३) और (४) बढ़ा दी जायं :—

"(३) नियंत्रक प्राधिकारी उपधारा (२) क अधीन प्रस्तुत की गई अपील पर निर्णय होने तक उस आज्ञा के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित कर सकता है ।

(४) उपधारा (३) के अधीन आज्ञा नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से उसके सभापति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी आज्ञा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दी गयी समझी जायेगी, भले ही धारा ४ में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।"

धारा १९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (छह) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "और" बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६,७,८,९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।)

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री उग्रसेन द्वारा विभाजन की मांग की गयी।)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा निवेदन है कि अब आप बैठ जायं। समय कम है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह आपको अधिकार नहीं है कि अगर कोई सदस्य डिवीजन को चैलेन्ज करता है तो उसको आप डिसअलाऊ करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा यह तो अधिकार है ही कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं अगर वह मान जायं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ।

पक्ष में ७७,

विपक्ष में २४।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

मुझे अधिक नहीं कहना है, काफी बहस हो चुकी है। सदन से प्रार्थना है कि इसे पारित किया जाय।

*श्री मेंदासिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह विधेयक अनावश्यक लगता है। इसमें इतना वक्त खराब किया गया है और उसके दोषी माननीय मंत्री जी हैं। मैं भी उनके पड़ोसी होने के नाते कुछ दोषी हूं, लेकिन मजबूरी है। आप इसके उद्देश्य और कारण देखें तो उसमें कहा गया है "उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ में नियंत्रक प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना, जिसकी सामान्यतया एक या दो महीने में एक बार बैठक होती है नियत प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन विधिक कार्यवाहियां निर्दिष्ट करने या उनका प्रतिवाद करने की व्यवस्था नहीं है।" यानी नियत प्राधिकारी ३० दिन के भीतर अपना हुक्म नहीं चला सकता बगैर नियंत्रक प्राधिकारी से पूछे हुए। लेकिन वह तो मौके पर होता है, उसको तो यह जिम्मेदारी है कि ३० दिन के भीतर उसकी पूरी जानकारी करके समिति के सामने तथ्यों को रखे। वह नहीं रखता है और उसक अधिकार दे रहे हैं कि वह खुद अपनी तरफ से जो चाहे करे, जुर्माना करना, मकान गिरवाना, जो करना चाहता है वह करता है। श्रीमन्, वह चाहते हैं कि अधिकारियों के पास इतने अधिकार रहें कि जिस वक्त वे जो च हें कर सकें। शर्मा जी इस सदन को यह समझाने की कोशिश करें कि कौन सी दि कतें उनके सामने आयीं जिसकी वजह से उनको यह करने की जरूरत पड़ी। वह बतायें कि कितना पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान हुआ, कौन से निर्माण के कार्य रुक गये। जो आप कर रहे हैं इसका मतलब केवल यह है कि वे लोग अपनी डियूटी को न करें और समिति को ढाई पास करते रहें। ए जी यूटिव आफिसर तो वह है ही, फैसला करने का भी अधिकार आप उसे ही दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है और इस कारण विधेयक को पास करने की जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है उसके द्वारा वे अपने प्राधिकारी को अधिनायक बनाना चाहते हैं। यह सरकार अ जनतंत्र से अधिनायकवाद की ओर जा रही है। एक कमेटी के अधिकार को अब सरकार एक नियत प्राधिकारी के हाथ में दे रही है। मैं आपको बताता हूं कि पुराने मंत्री जी के समय में कितना कुकर्म हुआ है। गाजियाबाद में सैकड़ों मकान बुलडोजर्स मंगाकर गिरवाये गये, फौज की मदद से गिरा दिये गये। दूसरी तस्वीर कानपुर की है। व ं लोगों के मकान गिराते वक्त कहा गया कि मकान के बदले मकान देंगे, मगर आज तक उनके मकान नहीं बने, मकान गिरा दिये गये। इस सरकार का जो विधि विभाग है जिसने जिला परिषद में उल्टा कर दिया, गलत शपथ दिलवा दी, वह जो राय मंत्री जी को दे देता है वैसा हो जाता है। संख्या बल के बल पर मंत्री जी उसे पास करवा लेते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इस स्तर पर भी इस विधेयक को वापस ले लें और वापस लेकर जनतंत्र को जीवित रहने दें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां हमारे यहां बहुत से नगर बढ़ रहे हैं बहुत से कारखाने बढ़ रहे हैं, मकान बन रहे हैं, वहां पर उनके लिये जो जमीन और गांव लिये जा रहे हैं उनका मुआवजा वही पुराने तरीके से दिया जा रहा है जो बिलकुल नहीं के बराबर पड़ता है। बाजार भाव के मुकाबिले वह बहुत कम होता है। चाहे सरकार हो, चाहे नगरपालिका हो, मकान या कारखाना बनाने के लिये जब कोई जमीन ली जाती है तो उन लोगों को बहुत कम मुआवजा दिया जाता है, परन्तु वही जमीन जिनको दी जाती है उनसे उसका ज्यादा पैसा लिया जाता है। गांव वालों से मुफ्त के भाव पर जमीन ले ली जाती है, उनकी रोजी तक छीन ली जाती है, यहां तक कि जो लोग खेती कर रहे होते हैं उनके खेत ले लिये जाते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुरलीधर कुरील]

और उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसके अलावा मुआवजा भी बहुत देर में दिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त मुआवजे आदि पर बहस नहीं हो सकती।

श्री मुरलीधर कुरील—

कानपुर में ३०—३५ गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिप्रेजेन्टेशन भी दिया है। नगर महापालिका अधिकारी पुलिस के साथ वहां जाकर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी चला दिया है। खड़ी फसल थी, इस कारण गांव वालों ने कहा कि इस वक्त यह जमीन न ली जाय, मगर झूंठा इल्जाम लगाकर उन पर मुकदमा भी कायम कर दिया और जमीन भी ले ली जा रही है। उन्होंने झूंठा यह इल्जाम लगाया कि उन लोगों ने उनकी मोटरें तोड़ दीं। मैंने कई बार कहा है कि उनका मुकदमा वापस लिया जाना चाहिये। बाजार भाव के अनुसार उनको मुआवजा मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं इस चीज को अधिकारियों पर ही न छोड़ कर, मंत्री जी एक कमीशन बिठायें जो इस सम्बन्ध में उचित जांच करे और मुआवजे का फैसला करें जिससे उन लोगों को कुछ राहत मिले।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इस विधेयक के अन्दर डेट आफ कमेन्समेन्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब तक जो भी विधेयक इस सदन में रखे गये हैं उसमें यह चीज रखी गयी है। इस बिल के अन्दर आप देखें, श्रीमन्, धारा ५ इस प्रकार से है—

"5. *Coming into operation of enactments*—(1) Where any Uttar Pradesh Act is not expressed to come into force on a particular day, then,

(*a*) in the case of an Uttar Pradesh Act made before the commencement of the Constitution, it shall come into operation, if it is an Act of the Legislature, on the day on which the assent thereto of the Governor, the Governor-General or His Majesty, as the case may require, is first published in the official *Gazette*, and if it is an Act of the Governor, on the day on which it is first published as an Act in the official *Gazette*.

(*b*) in the case of an Uttar Pradesh Act made after the commencement of the Constitution, it shall come into operation on the day on which the assent thereto of the Governor or the President, as the case may require, is first published in the official *Gazette*."

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि इसके अन्दर प्रसार के लिये कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है इसका नतीजा यह होगा कि इसका एन्फोर्समेंट तब से होगा जब से इसका नोटीफिकेशन होगा। लेकिन अगर कोई एन्क्रोचमेंट दस साल पहले से चला आ रहा है, उसकी क्या पोजीशन होगी? उन पर इस विधेयक का कोई असर न होगा, यह एक हास्यास्पद चीज है। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आयीं जिनकी वजह से उनको यह अमेंडमेंट लाना पड़ा। उन्होंने केवल ऐसा कहा कि 'हो सकता' है। कोई नया बिल होता तब तो उसको प्रोजम्पशन पर बनाया जा सकता था लेकिन जब आप संशोधन विधेयक लाये हैं तो उसके लिये कारणों को आपको सदन के सामने रखना होगा। अतः माननीय मंत्रीजी हमारे सामने उन कारणों को रखें ताकि हमारी जानकारी हो सके। हम उम्मीद करते थे कि यह नयी सरकार प्रोग्रेसिव सरकार होगी, लेकिन यह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछली सब सरकारों से कदम पीछे ले जाने वाली है।अगर वाकई कोई एन्क्रोचमेंट हुआ है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिये था, लेकिन यह विधेयक भविष्य के एन्क्रोचमेंट के लिये ही लाया गया है। अगर यह कानून न लाया गया होता तो अच्छा होता योंकि इसमें बेकार ही पैसा खर्च हो रहा है और बहुत से आवश्यक कानून आने से अभी बाकी हैं। अ सर माननीय मन्त्रिगण विधेयक प्रस्तुत करते समय कहते हैं कि समय बहुत कम है और खेद है कि यह विधेयक पहले नहीं लाया जा सका। ऐसे विधेयकों को लाया जाना चाहिये था। लेकिन उनके बजाय प्रोजम्शन पर आधारित विधेयक को लाया जा रहा है। मेरा खयाल है ऐसा कानून बनाने से जनता का रुपया बरबाद करना है। केवल शब्दों के हेरफेर के लिये इस सदन का इतना रुपया बरबाद किया जाय, यह कितनी बुरी बात है। ऐसा कोई विधेयक अगर सदन के सामने आता है तो उससे अच्छा है कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय। जो ला विभाग के अधिकारी आपके सो रहे हैं उनको टाइट करने की जरूरत है जिससे हमें दोबारा वह बातें सुनने को न मिलें जो इधर उसके बारे में सुनने को मिल रही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्री जी से कहें कि इसमें कोई जिद की बात नहीं है हालांकि गृह मंत्री जी से उनकी दोस्ती हो गयी है और हो सकता है कि इसी वजह से वे जिद पर आ गये हैं। भविष्य में कोई चीज होगी उसके लिये आप बिल ला रहे हैं। मैंने कहा कि ए जाि प स दीजिये कि कोई गड़बड़ी हुई हो, उसके लिये आप यह लाना चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी इस तरह की होगी उसके लिये यह बिल है। यह कोई तरीका लेजिस्लेशन का नहीं है। न इसमें कोई बेइज्जती की बात है। हमको और उनको मिल कर कोई खामी हो तो उसे दूर कर लेना चाहिये क्योंकि अगर वे फिर अमेंडमेंट लाना चाहेंगे तो उनको दिक्कत होगी क्योंकि बिना हाउस में लाये वह पास नहीं होगा। मैं समझता हूं कि दोबारा सोच कर वह अमेंडमेंट लावें, इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं होगा।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह छोटा सा बिल, जिसको मंत्री जी मासूम कहेंगे, कुछ और भी संज्ञा वे इसके दे सकते हैं, लेकिन जब इसके उद्देश्य को मैंने देखा तो मेरा यह विश्वास पक्का हो गया कि धीरे-धीरे इधर आप कहते हैं कि हम जनतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें हमारे द्वारा बनाये हुये नियम हमारे जीवन को संचालित करें और दूसरी तरफ आप ब्यूरोक्रेसी को निरंकुश बनाते चले जा रहे हैं और उसके हाथ इतने मजबूत करते जा रहे हैं जिसका परिणाम क्या होगा उसकी तरफ आपने कभी सोचा नहीं है। इस बिल में जो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से आप एक अधिकारी को यह अधिकार देंगे कि जब वह चाहे जिसका मकान चाहे वह उसको गिराने में तुरन्त समर्थ हो जायगा। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि आखिर इस बात का फैसला कैसे होगा कि इस अधिकार का कोई दुरुपयोग नहीं किया जायगा। पिछले जमानेमें हमने जो अच्छे इरादे से भी कानून बनाये उन पर जिस ढंग से आज अमल हो रहा है उसको देखकर हमें और भी शक होता है कि कानून बनाने की चाहे आपकी नीयत कुछ भी हो लेकिन आप इससे ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी को ऐसा हथियार देने जा रहे हैं जिसका दुरुपयोग किया जायगा और उसका गलत इस्तेमाल किया जायगा और वह चीज ऐसा नतीजा हमारे सामने पेश करगी जिससे नागरिकों का जीवन और ऐसी जगहों के लोगों का जीवन जहां के लिये यह कानून है बहुत ही अशांत हो जायगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप स्वयं इसके उद्देश्य और कारणों को देखें। इस में जो व्यवस्थायें दी गई हैं जिन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये यह संशोधन किया है, मकान गिराने में आप प्रयोग करना चाहते हैं, आप बजाय निर्माण के ध्वस्त करना चाहते हैं। स्वयं अपने उत्तरदायित्व के चलते आप उस दिशा में कुछ नहीं कर पाये हैं। किसी भी सरकार को ऐसा कानून बनाने का सभी हक होता होगा जबकि वह उससे उत्पन्न परिस्थिति के समाधान के लिय भी कोई रास्ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रा ा णराय]

निकाल ले क्योंकि सत्यानाश के लिये आप कोई कानून बनाना चाहें तो बना लीजिये, लेकिन ऐसे कानून धीरे धीरे जनतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के सिद्धांत को ही नष्ट कर देंगे और वह चीज केवल बाधा के लिये ही रह जायगी ।

जिन सरकारी अधिकारियों के हाथ आप मजबूत करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि आप हमेशा उधर बैठे रहेंगे और आप के ही इशारे पर वह चलते रहेंगे ? लेकिन कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि जब आप को ऐसी जगह बैठना पड़े जहां आप सदन की तरफ टुकुर टुकुर ताका करें और वह आपकी जायज मांगों को भी ठुकरा दिया करें । ऐसी परिस्थिति को सोचकर आप को काम करना चाहिये । मैं समझता हूं कि सदन का हर समझदार आदमी इस निकम्मे विधेयक का विरोध करेगा ।

*श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं इस विधेयक पर बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने इस विधेयक को देखा जिसको कि मंत्री जी ने पेश किया तो मुझे वह पुरानी कहावत याद आ गई कि जब सारा रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था । जब कि आज लाखों किसान लड़ाई लड़ रहे हैं और जब श्री जगन्नाथ मल्ल सदन के पुराने सदस्य और श्री राम शरण मणि गिरफ्तार हैं और जनसंघ के भी २ सदस्य गिरफ्तार हैं तो मंत्री जी यहां यह बिल पेश कर रहे हैं, वह अधिकारियों के अधिकार बढ़वा रहे हैं, मकानों को गिराने की व्यवस्था कर रहे हैं । यह एक दुर्भावना के बल पर विधेयक पेश किया गया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है । यह सारहीन, तथ्यहीन और बेबुनियाद विधेयक है और किसी काम का नहीं है, जैसा कि गेंदासिंह जी ने अभी कहा । अजीब तमाशा है । कहते हैं फरजी आर्डर ले लेगा । जब एक तथ्य सामने आयगा तो उसकी जांच होगी और उस के अनुसार जब आर्डर हो जायगा तो फरजी कैसे हो जायगा ? फरजी हो जायगा उस अधिकारी के दिमाग में और जब चाहेगा तो कहेगा कि जो हमको बताया गया था वह सब आज नहीं है, बदल गया, हमको दूसरी बात बतायी गई, या मौका मुआयना करने वाला अधिकारी या उस दरख्वास्त की जांच करने वाला अधिकारी जब चाहे उस बात को जैसे चाहे बदल दे और इस विधेयक का बेजा इस्तेमाल करे । इस तरह का बिल सदन में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

अभी कहा गया कि लागू कब से किया जायगा; तो कहते हैं कि जब से देखा जायगा । इसी से स्पष्ट है कि उसकी आवश्यकता वह नहीं समझते । इनके पहले जो मंत्री थे उनके इस पर दस्तखत हैं, लेकिन उनको आवश्यकता महसूस नहीं हुई और आपको आवश्यकता महसूस हो गई । गन्ने वाला विधेयक, होम गार्ड्स वाला बिल तो लाये नहीं, पहले ही दिन इसको ले आये अत मंत्री जी सोचें, मुख्य मंत्री से राय ले लें, माननीय गृह मंत्री से पूछ लें । उसके बाद जब सदन उठने लगे तो पेश करें । कमला सिंह जी ने ठीक कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, आपको भी दिक्कत हुई और आप व्यवस्था नहीं दे सके और हमसे पूछने लगे कि कानून बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो कानून बता दिया । उल्टा बताया ।

श्री कल्पनाथसिंह—

इसलिये इस बिल को मंत्री जी वापस लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इसको वापस लें। कारण स्पष्ट है कि हमारी जो चुनी हुई वैधानिक समितियां म्युनिसिपल बोर्ड में हैं उनके अधिकारों का यह हनन करने वाला है। नारा तो विकेन्द्रीयकरण का लगाते हैं लेकिन का। अधिकार छीनने का करते हैं। इससे तो सरकारी अधिकारी का नियंत्रण निर्वाचित व्यक्तियों पर लद जायगा। जितना भी इस पर विवाद हुआ मंत्री जी के अलावा एक भी कांग्रेसी सदस्य ने इसके पक्ष में भाषण नहीं दिया। माननीय तेजा सिंह ने भी सुझाव दिये कि यह यह बातें इसमें करनी चाहिये, माननीय कुरील जी ने कानपुर की बात रखी, लेकिन समर्थन किसी ने नहीं किया कि इसको पास होना चाहिये। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जिस विधेयक पर माननीय कृष्णानन्द राय और माननीय ब्रज भूषण शरण जी की मोहर न लगी हो वह सही नहीं मालूम होता। वे भी इस विधेयक पर आज नहीं बोले, जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में कांग्रेसी सदस्यों को भी राय नहीं है कि यह विधेयक पास हो। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और इसको वापिस ले लें और अगर कोई बात बहुत ही आवश्यक है तो इसमें परिमार्जन करके पेश करें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

एक अधिकारी के जरिये एक शख्स ने आपके नियमों के मुताबिक एक मकान बनाया और जितनी सारी शर्तें थीं उनको पूरा किया और अपना स्टेटमेंट भी सही तौर पर लिख दिया। कहां का नियम है कि आपकी मर्जी से आपका आदेश लेकर काम किया जाय और फिर यह कहा जाय कि धोखा देकर यह काम कराया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे आज बड़ा दुख हुआ है माननीय माननीय गेंदा सिंह जी की बात सुनकर। माननीय गेंदा सिंह जी की राय को मैं बहुत कद्र करता हूं, परन्तु उन्होंने इस पर एक डिबेट उठा दी। हमारे मित्र उग्रसेन जी ने भी वैसा ही समझा क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अधिनायकवाद आ गया है, प्रजातंत्र की हत्या हो गयी। ये सारी चीजें आ गयीं। माननीय गेंदा सिंह ने केवल विधेयक के उद्देश्य और कारणों को ही पढ़ा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वे पूरे विधेयक को पढ़ते तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि जितने अधिकार दिये गये हैं वे किस बात के अधिकार दिये गये हैं। वे जनता की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिये अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों के जरिये जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है वह मुकदमा दायर कर सकती है और अपना जवाबी दावा लगा सकती है। इसके लिए वह कन्ट्रोलिंग आफिसर को जो एक कमेटी है और जिसके बैठने में देर हो सकती है, उस के बिना भी जवाब दावा लगा सकती है। बाकी मुकदमों में समझौता आदि करना और किसी तरह की बात करना, सब का सब कन्ट्रोलिंग अथोरिटी के पास है।

इसके तर्क में यह भी कहा जाता है कि मकान गिरवा दिये जावेंगे। हम यह नहीं चाहते कि किसी के बने मकान गिराये जायें, बल्कि हम तो उनके मकान गिरने से बचाने की कोशिश करेंगे। आज तक इसमें अपील का कोई प्राविधान नहीं था। इससे अब अपील की भी गुंजायश है और कन्ट्रोलिंग अथोरिटी के पास अपील भी की जा सकती है। अब तक कंट्रोलिंग अथारिटी को अपील करने का इसमें कोई प्राविधान नहीं था, ताकि बीच में स्टे आर्डर हो सके, तो वह अधिकार इसमें दिया गया है। क्योंकि पूरी की पूरी कमेटी तो बैठ नहीं सकती इसलिये उस कमेटी के चेयरमैन को अधिकार दिया गया। अगर स्टे आर्डर का अधिकार दिया गया तो मकान गिरने से रोका गया या मकान गिराये गये ? मकानों को बचाने की कोशिश की जा रही है इससे।

खंड ४ की बात बार बार आ जाती है कि धोखा कैसे हो जायगा। मनुष्य है तो वह धोखा खाता है लेकिन धोखा देने वालों के साथ यह हमदर्दी क्यों है ? यह विधेयक जनता के स्वत्वों की रक्षा करने के लिये है। अच्छा विकास हो, मकान कायदे से बनें, उसके लिये यह लाया गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

कोई भी विधेयक दिखला दें जिसमें अपील का प्राविधान हो और स्टे आर्डर का अलग से प्राविधान किया गया हो ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अगर दूसरी जगह यह चीजें नहीं है तो यहां होने से ज्यादा सफाई हो गयी है। उग्रसेन जी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास रखता हूं। मैं उनकी इस बात की ताईद करता हूं कि मैं अपने सिद्धांतों तथा विश्वासों पर चलता हूं और सही मानी में काम करता हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके जो उद्देश्य और कार्यक्रम हैं उसको हमारे माननीय सदस्य विरोधी दल सही मानी में नहीं समझ पाते हैं और समझ कर भी यह कहना नहीं चाहते कि हमारी ही पार्टी सही मानी में प्रजातंत्र तथा समाजवाद लाना चाहती है। आप सबको प्रजातंत्र रखने की जितनी फिक्र है उससे कम हमको नहीं है ।

मुरलीधर जी ने खड़ी फसलों का जिक्र किया। तीन साल से उनको नोटिस दिया जा रहा है। उनकी जमीनें एवक्वायर हो गयीं और कारपोरेशन में आ गयीं लेकिन उन पर खेती होती जा रही है। दो फसलें होती हैं इसलिये खेत कभी खाली होते नहीं। कभी न कभी तो उनको लिया जाता ही। मैं मुरलीधर जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी किसान हूं और किसानों का हमदर्द हूं और अगर कहीं किसानों के प्रति ज्यादती होगी तो उसका प्रतिकार किया जायगा ।

टाइम का सवाल कमला सिंह जी ने उठाया। तो जैसे ही यह पास होगा, इसको एसेंट मिलेगी तो तभी से यह लागू हो जायगा। जो अमेंडमेंट्स अथवा सेक्शंस हैं उनको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बिल में जो प्राविजन्स किये गये हैं उनसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की कोई बहुत ताकत नहीं बढ़ायी गयी है ताकि उसकी वर्किंग सही हो और जैसा कि मैंने कहा, अपील वगैरह में स्टे आर्डर दिया जाय. इसका प्राविधान किया गया है और जहां जहां शब्दों की गलतियां थीं उनको दुरुस्त किया गया है। दलीलें तो बहुत दी गईं और मैं भी अभी बहुत कुछ निवेदन कर सकता हूं, लेकिन मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता और विश्वास करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य-विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४१३-४३४ पर ।)

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३†

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता । संविधान की धारा १९९ को आप निकालें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है—

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—

(*a*) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(*b*) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State;"

और अपने यहां की प्रक्रिया नियमावली के नियम १२१ में स्पष्ट लिखा है :

"*Financial Memorandum to Bills and Money Clauses in Bills*—(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in bolder type or in italics."

इसमें पूरी सतर्कता बरती गयी है कि इटैलिक्स में छापें या बोल्डर लेटर्स में छापें । इस बिल में क्लाज ३, ४, ५ और १५ (क) इटैलिक्स में छापे गये हैं । हिन्दी में चूंकि बोल्ड और इटैलिक्स नहीं होता है इसलिये अन्डरलाइन कर दिया गया है ।

श्रीमन्, संविधान का आर्टीकिल २०७ इस प्रकार है :

"A Bill of amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*) of clause (i) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council."

श्रीमन्, यह प्रश्न है कि गवर्नर ने स्वीकृति दी या नहीं । दूसरे यह कि फाइनेंशियल अंडरटेकिंग है और खर्चा होगा । जो विधेयक की धारायें हैं उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकार होम गार्ड्स कमांडेंट जनरल और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जायं। श्रीमन्, आगे आप देखें कि होम गार्ड्स को काम के लिये बुलायेंगे तो ऐसा भत्ता दिया जायगा जो नियत किया जायगा । इन सभी क्लाजेज में एक्सपेंडीचर निहित है । इसलिये यह मनी बिल है

---

†२१ अक्तूबर, १९६३ को कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नेकर म शर्मा]

और इसीलिये मेमोरेंडम की जरूरत पड़ी । इसलिये यह कौंसिल में पेश नहीं हो सकता था; इसलिये यह विधेयक अनकांस्टीट्यूशनल है । गृह मंत्री जी दूसरा विधेयक पेश कर सकते हैं । मेरा निवेदन यह है कि आप इसको अध्ययन कर लें और आज इसको पोस्पोन करके कल व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पोस्टपोन की आवश्यकता नहीं है । देखिये, आपने जो स्वयं पढ़ा उसमें है कि--

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters."

सिर्फ यह प्रावीजन है कि जिसमें एक्सपेंडीचर निहित हो उसके लिये जरूरी है कि मेमोरेंडम आना चाहिये । लेकिन आप कैसे कहते हैं कि वह मनी बिल की डेफीनीशन में आ जाता है जब कि जो आपने पढ़ा उसमें नहीं आता है ? इसमें यह है कि :--

"If it contains only provisions dealing with all or any of the following matters,"

तो यह मनी बिल नहीं होता है ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आगे पढ़िये ।

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters".

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, फाइनेंशियल बिल दूसरी चीज है और मनी बिल दूसरी चीज है । जिसमें एक्सपेंडीचर होता है उसके लिये मैमोरेंडम की जरूरत होती है, लेकिन मनी बिल नहीं हो जाता है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, जब तक पेपर्स न दे दें, तब तक विचार न हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

ज्ञापन तो है, आपने देखा नहीं ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, यह मनी बिल नहीं है । आपने जो पढ़ा है उसने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि या तो ला मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिये या एडवोकेट जनरल से करना चाहिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, यह उनका काम नहीं है कि बतायें कि कौन होगा ।

श्री नेकराम शर्मा--

यह कांस्टीट्यूशनल इश्यू है । इस पर हम भी गलती कर सकते हैं और आप भी ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बात मैं आपको बता दूं । इसके लिये गवर्नर का रेकमेंडेशन है चूंकि यह फाइनेंशियल बिल है व यह है-- "भारत का संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) के अनुसार मैं विश्वनाथ दास, राज्यपाल उत्तर प्रदेश यह सिफारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स, विधेयक, १९६३ पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में विचार किया जाय।"

श्री नेकराम शर्मा--

गवर्नर की सिफारिश पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह मनी बिल है । लिहाजा यह काउंसिल में पेश नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपसे यह अर्ज किया कि जैसा आपने फरमाया था अनुच्छेद १९९ में स्वयं लिखा हुआ है, अगर उस आर्टिकल में जो क्लाज दिये गये हैं उन्हीं के मुताबिक प्राविजन हो और कोई दूसरा प्राविजन न हो तब तो वह मनी बिल होता है; अगर दूसरे प्राविजन भी हैं तो फाइनेंशियल बिल होता है । २०७ में वह आता है । २०७ में जब आता है तो मेमोरेंडम आवश्यक है । वह मेमोरेंडम दिया हुआ है । रेकमेंडेशन गवर्नर का है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको चलने दिया जाय ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, चूंकि इसके पहले जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत था उसमें देखा कि माननीय सदस्यों की ओर से इच्छा है कि इस सदन के समय का अपव्यय न किया जाय, इसलिये और न कह कर इसको मैं प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

कम से कम रोशनी तो डालनी चाहिये इस विधेयक पर । चुपचाप बैठ गये । हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपके द्वारा कि कम से कम विधेयक का परपज क्या है कुछ तो बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो माननीय मंत्री के ऊपर है । अगर वह चाहते हैं तो कहेंगे । मैं यह जरूर चाहता हूं कि वह कुछ कहें ताकि समझ में आये, लेकिन वह नहीं कहना चाहते तो मैं जोर नहीं देता ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैं क्षमा चाहता हूं । मैंने समझा था कि बिल सामने है, उद्देश्य और कारण सब ने देखे होंगे। समय बचाने के लिये सब की इच्छा है इसके लिये शायद हम को सुनना न चाहें। श्रीमन्, चीनी आक्रमण के बाद ऐसी अवस्था इस देश में उपस्थित हुई कि कुछ आन्तरिक सुरक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय । यों तो हमारे प्रान्त में प्रान्तीय रक्षक दल था और प्रान्तीय सरकार ने इस बात की कोशिश की कि प्रान्तीय रक्षक दल से आन्तरिक सुरक्षा का भी काम लिया जाय, लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे देश में होम गार्ड्स की एक स्कीम लागू की और सब राज्यों से अनुरोध किया कि सभी एक प्रकार की होम गार्ड्स संस्था स्थापित करें। उसी के अनुसार यह होम-गार्ड्स संस्था यहां भी स्थापित की गयी। तब भी प्रयत्न किया गया और अब भी प्रयत्न है कि किस प्रकार से प्रान्तीय रक्षक दल और होम गार्ड्स को एक किया जाय। जो छोटा-सा यह बिल है मैं समझता हूं कि जो थोड़ा सा समय हमें उपलब्ध है इसमें इसको पास कर दिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, सुरक्षा सम्बन्धी यह होम गार्ड्स विधेयक मंत्री महोदय के द्वारा सदन में लाया गया है । इसमें सबसे प्रमुख बात तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् १९४७ के बाद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने सारा काम हिन्दी में करने का एक निश्चय किया है और वह कर भी रही है । परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि मंत्री महोदय ने या सरकार ने यह होम गार्ड्स विधेयक, ऐसा इसका नाम क्यों रखा । शायद वह कह दें कि सेंटर से ऐसा आदेश है या और कोई ऐसी बात कह दें, लेकिन वास्तव में यह होम गार्ड्स विधेयक, ऐसे शब्द जो अंग्रेजियत और अंग्रेजी भाषा के हैं, उनका प्रयोग अपनी सरकार को शोभा नहीं देता ।

उद्देश्य और कारण तो बता दिया गया कि आपत्तिकालीन स्थिति में सुरक्षा सम्बन्धी कार्य हमको इस संगठन से लेना है । परन्तु श्रीमन्, यह संगठन क्या होगा और इसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही होगी कितने लोग इसके अन्दर भर्ती किये जायेंगे, किस प्रकार की और बातें होंगी ये सब बातें इसमें बड़ी गोलमाल हैं । सरकार ने सारे के सारे अधिकार इस सम्बन्ध में अपने हाथ में ले लिये हैं । मैं तो समझता हूं कि दो साल के अन्दर तो कोई ऐसा विधेयक इस हाउस में आया नहीं और सम्भवतः पहले भी नहीं आया होगा । इसमें आप देखें होम गार्ड्स का संगठन "उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स नाम से, जिसे आगे "होम गार्ड्स" कहा गया है, एक स्वयंसेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायगा और यह ऐसी रीति से संघटित किया जायगा जो नियत की जाय ।"

फिर आगे चलकर श्रीमन् देखें, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कितने हजार आदमी भर्ती किये जायेंगे और जिले के स्तर पर क्या यूनिट होगी, क्या इकाई होगी, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है । फिर आगे कहा गया है—

"राज्य सरकार, होम गार्ड्स के कमान्डेन्ट जनरल, जिसे आगे 'कमान्डेन्ट जनरल' कहा गया है, और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी जो नियत की जाय ।"

अधिकारी लोग कैसे नियुक्त किये जायेंगे, यह भी सरकार ही जानती है । विधान सभा में उसको लाने की, सदस्यों को उससे अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

फिर भर्ती देख लीजिये । 'ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, कोई व्यक्ति जो होम गार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देगा । यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो, तो उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिये सक्षम हो ।

(२) होम-गार्ड को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण पत्र पायेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होंगे जो नियत किये जायं ।"

और फिर और आगे देखिये—

"होम गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेंगे जो नियत की जाय ।"

तो, श्रीमन्, सारा विधेयक जो सदन के सामने लाया गया है उसके लिये अगर यह कहा जाय कि सरकार केवल दो करोड़ रुपया हमसे मंजूर करा लेना चाहती है और फिर वह जिसको चाहे उसको दे, जैसे चाहे वैसा खर्च करे, जिस प्रकार से और जिसको चाहे दे, यह सारा का सारा अधिकार ले लेना चाहती है, इस प्रकार का यह होम गार्ड्स विधेयक है, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी ।

इससे कई प्रकार की आशंकायें अपने प्रदेश के अन्दर पैदा हो रही हैं। और वास्तव में देखा जाय तो दो करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय इसी वित्तीय वर्ष में सरकार ले रही है और उसमें दो ही तीन महीने रह गये हैं, जबकि अभी यह विधेयक पास भी नहीं हुआ है। तो यह दो करोड़ रुपया कैसे इतने कम समय में खर्च हो जायगा यह तो सरकार ही बता सकती है। इसीलिये तरह तरह की और बड़ी बड़ी आशंकायें इस विधेयक के बारे में औ इस संगठन के बारे में लोगों के अन्दर पैदा हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह संगठन शायद भारत सेवक समाज की तरह होगा या कांग्रेस सेवा दल जैसा संगठन होगा। कुछ लोगों को ऐसी आशंका है कि कुछ विशेष लोगों को पैसा देकर पार्टी और दल विशेष का काम उनसे कराया जायगा। यह आशंका और थोड़ी सी दृढ़ होती है, बढ़ जाती है जबकि, श्रीमन्, इसके आधार पर जो काम प्रदेश में हो रहे हैं उनमें ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं। एक आरोप पत्र माननीय मंत्री जी के पास भी आया है कौंच जिला जालौन के अन्तर्गत सिटी कमांडेंट के नाम पर सरकार ने विधेयक के आने के पहले ही एक श्रीधर दयाल या ऐसा ही कुछ नाम है उनको रख दिया है जो कि मंडल कांग्रेस कमेटी के मंत्री हैं। उनको वहां पर सिटी कमान्डेन्ट नियुक्त कर दिया गया। उनके चरित्र की बात को अलग छोड़ भी दिया जाय तो भी वह नित्य प्रति थाने पर जाकर लोगों से काम कराते हैं। लोगों से कहते हैं कि हम अमुक काम करा देंगे। यह भी मालूम हुआ है कि तहसीलदार से उन्होंने कांग्रेस के लिये चन्दा वसूल कराने का काम कराया है। यह आरोप है ....

श्री उपाध्यक्ष—

जो सज्जन यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनके सम्बन्ध में यहां पर बात नहीं होनी चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, एक आरोप-पत्र आया था में इसलिये उसका उल्लेख कर रहा था। अभी यह विधेयक पास नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने पैसा बांटने का काम अभी से ही शुरू कर दिया है। ऐसी भी खबर मिली है कि उन्होंने एक तहसीलदार से यह कहा कि पटवारियों से कांग्रेस के लिये चन्दा वसूल कराया जाय। इस तरह के आरोप हैं। वास्तव में ऐसे लोगों को नियुक्त करना और ऐसी रीति से नियुक्त करना न्यायसंगत नहीं है। सरकार सारा अधिकार अपने पास रख लेना चाहती है। इस सदन के ४३१ सदस्यों की राय इस मामले में नहीं ली जायगी। उसके लिये माननीय मंत्री जी खुद ही नियम बना लेंगे। एक फार्म भर लिया जायगा और उसमें कोई योग्यता का सवाल नहीं है। उसके अन्दर चरित्र का भी सवाल नहीं है। जो व्यक्ति सरकार को सूट करेगा उसको नियुक्त कर लिया जायगा। वह क्या करेंगे ? वह पुलिस को सहयोग देंगे और देश के लिये सुरक्षा का काम करेंगे। पूरे विधेयक को पढ़कर देख लिया जाय कहीं पर भी उनके ऊपर पुलिस का नियंत्रण नहीं रखा गया है। इन होम गार्ड्स पर पुलिस का कंट्रोल नहीं रखा जायगा। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के अधिकारी इनके ऊपर अधिकारी नियुक्त होंगे या मिलिटरी के अधिकारी इनका निरीक्षण करेंगे। मिलीटरी के शासन में इनका कंट्रोल नहीं होने वाला है। ऐसी व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर नहीं रखी गई है। मालूम होता है कि सरकार ऐसी योजना चलायेगी कि जो कांग्रेस मंत्रिमंडल से निकाले गये हैं उनको इसके अन्दर स्थान दिया जाय और उनको कमान्डेन्ट वगैरा बना दिया जाय। उनको इस होम गार्ड में भर्ती किया जायगा, ऐसी आशंका जनता के दिमाग में है। इस तरह से यह विधेयक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक नहीं रह जायगा।

दूसरी बात यह है कि कमान्डेन्ट और दूसरे अधिकारी और दूसरे आदमियों को इधर से उधर लाया जायगा। जो विभिन्न संस्थाओं के अन्दर काम करने वाले हैं अगर उन लोगों ने होम गार्ड में अपना नाम लिखा लिया है तो उनके ऊपर उन संस्थाओं का नियंत्रण नहीं रह जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि वह काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे अधिकार इस विधेयक के द्वारा सरकार को मिलने वाले हैं। कर्त्तव्य के बारे में एक व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं पर उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। यह जो इसके अन्दर व्यवस्था है उसके द्वारा उनके अधिकारों

[श्री रक्षपालसिंह]

का संरक्षण किया गया है । उनके अधिकार बहुत हैं, लेकिन उनके कर्त्तव्य कम हैं । इस विधेयक के अन्दर होम गार्ड स के कर्त्तव्यों व कमान्डेन्ट के अधिकारों की परिभाषा नहीं की गई है। जो काम वह बतलायेगा वह करने होंगे ।

कौन कमान्डेन्ट होगा, किस प्रकार के लोग होंगे, इन सब बातों की व्याख्या इसके अन्दर नहीं की गई है । सिर्फ २ करोड़ को व्यय करने की योजना इस विधेयक के अन्दर रखी गई है जो सुरक्षा के नाम पर किया जायगा । जिस प्रकार से हमारे आई० जी० हैं उनके नीचे सारी पुलिस काम करती है । जैसे हमारी मिलिटरी है उसके ऊंचे अधिकारी हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं, यदि इस प्रकार की बात होती तो ठीक बात थी । परन्तु इसको देखने से कुछ मालूम नहीं होता है । मंत्री के अधिकार में सारी बात रह जायगी । पता नहीं कौन कमान्डेन्ट नियुक्त किया जायगा । हो सकता है कोई महिला ही कमान्डेन्ट नियुक्त कर दी जाय । इसका नाम ऐसा रखा गया है जैसे कि इसका सम्बन्ध घर से हो । अगर कोई घर की बात करनी होती है तो कह दिया जाता है कि इसका होम गवर्नमेंट से सम्बन्ध है यह होम का मामला है यानी अपनी श्रीमती जी के बारे में कुछ बताना होता है तो उनके लिये "होम गवर्नमेन्ट" कह देते हैं । तो जो होम गार्ड है यह प्रदेश के अन्दर सुरक्षा तो नहीं लायेगा बल्कि कांग्रेस सरकार और उसका दल भी नहीं, बल्कि जो गुट विशेष है उसका संगठन करने वाला होगा, जिस प्रकार से कि पंजाब का होम गार्ड "कैरों गार्ड" होकर रह गया है । इस प्रकार की आशंका प्रदेश की जनता को है । इसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, रूप रेखा नहीं है कि कौन होम गार्ड होगा, कौन कमांडेंट होगा, सारे अधिकार सरकार ने अपने अन्दर निहित कर रखे हैं, उसको इस प्रकार से कभी भी सदन में नहीं चलने देना चाहिये ।

प्रान्तीय रक्षक दल के बारे में कहा जायगा कि हम उसको अमलगमेट कर देंगे । एक अखबार छपा है "साप्ताहिक लखनऊ" उसमें कांग्रेसियों के वक्तव्य छपे हैं, संभवतः वह कांग्रेसी अखबार है, उसमें जो तथ्य दिये गये हैं उनके अनुसार तो उनको बहाल रखने की बात मालूम होती है, तो इस बारे में भी शंका है कि प्रान्तीय रक्षक दल के आदमी रखे जायेंगे या नहीं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । उसमें २०,५२,००० रक्षक है और काफी संख्या में लोग हैं, उनके बारे में सारे अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं। सरकार को ही नियम बनाने का अधिकार होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब समाप्त कर रहे हैं या और टाइम लेंगे ?

श्री रक्षपालसिंह—

नहीं, अभी तो और भी कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब आप कल बोलियेगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, अभी एक मिनट और शेष है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं ।

१९५९-६० के अतिरिक्त व्यय की मांगें

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अतिरिक्त व्यय की मांगें प्रस्तुत करता हूं ।

१९६३-६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

(सदन में प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
९ दिसम्बर, १९६३।

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

१--वर्तमान आवश्यकताओं से फालतू जमुना के पानी को भी राष्ट्र के सर्वाधिक हित में उपयोग किया जाये ।

२—इस कार्य के लिये यह उपयुक्त समझा गया है कि एक बांध का टौंस पर और दूसरा गिरी पर संगम के पहले और अगर आवश्यक समझा जाय तो इसकी सहायक नदी जलाल पर निर्माण किया जाये ।

३—टौंस पर बांध निर्माण हेतु अनुसंधानों तथा प्रयोजना प्रतिवेदनों अथवा उसके प्राक्कलनों को स्वीकृतार्थ तैयार करने का कार्य उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा। वे हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को भी सहयुक्त करें ।

४—गिरी बांध से संबंधित अनुसंधानों तथा प्रायोजना प्रतिवेदन का कार्य हिमांचल प्रदेश द्वारा किया जायेगा ।

५—किशाऊ बांध से उपलब्ध होने वाले लाभ तथा व्यय में हिस्सा बांटने के संबंध में उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान के प्रदेशों ने एक मत से सहमति दी है। इन प्रदेशों ने यह अनुरोध किया कि इस बांध का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाये और जितनी जल्दी हो सके इसको पूरा किया जाये ।

६—किशाऊ बांध से उपलब्ध लाभों का प्रदेशों में उस प्रकार हिस्सा होगा जैसा कि बाद की बैठक में तय होगा । व्यय का हिस्सा प्राप्त लाभ के अनुसार होगा जो कि केवल किशाऊ बांध के निर्माण स्थल पर पानी तथा उत्पादित बिजली के संबंध में ही होगा। उत्तर प्रदेश में अन्य विद्युत् विकास हेतु व्यय उत्तर प्रदेशीय सरकार का होगा। हिमांचल प्रदेश सिंचाई तथा विद्युत् विकास प्रायोजनायें बांध के ऊपरी भाग में विकसित कर सकती हैं। जिसका असर उत्तर प्रदेश पर न हो ।

७—वर्तमान सिंचाई के लिये पानी के कार्यक्षम संपूर्ति हेतु यह आवश्यक होगा कि उचित विशेष उपाय उस समय ही किया जायेगा जब गिरी बांध बन कर तैयार हो जायेगा। इसके लिये एक समतोलन सरोवर की आवश्यकता होगी, यदि संभव हो तो, ताजेवाला के बांध का रूपान्तर करके या एक बांध उसके ऊपर बनाया जाये । इनका अनुसंधान पंजाब करेगा ।

८—लखवार पर या यमुना के मूल स्थल के ऊपरी भाग पर कोई जलाशय या किसी प्रकार पानी को सुरक्षित रखने तथा पानी की धारा से इकट्ठी की हुई मिट्टी या रेत का अध्ययन का समावेश करने की संभावना का अनुसंधान उत्तर प्रदेश करेगा ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

जिलों के नाम	दिया गया कोटा मैट्रिक टनों में
१	२
१—कानपुर	१,३९५
२—इलाहाबाद	८०४
३—झांसी	४२८
४—लखनऊ	९१३
५—बरेली	५५१
६—वाराणसी	९८१
७—गोरखपुर	५४०
८—मिर्जापुर	३००
९—आगरा	९८४
१०—सहारनपुर	५८४
११—मेरठ	९६७
१२—देहरादून	२६०
१३—अलीगढ़	५४३
१४—मथुरा	३१६
१५—मुरादाबाद	६९५
१६—रामपुर	२३८
१७—शाहजहांपुर	३००
१८—मुजफ्फरनगर	३९५
१९—बदायूं	२९२
२०—फर्रुखाबाद	३४०
२१—इटावा	२३५
२२—जौनपुर	३००
२३—सीतापुर	३१९
२४—फैजाबाद	३६४
२५—बस्ती	३४७
२६—आजमगढ़	४००
२७—गोंडा	३५१
२८—बहराइच	२६०
२९—बुलन्दशहर	४३६
३०—बाराबंकी	२५६
३१—बिजनौर	३४७
३२—पीलीभीत	१६१
३३—फतेहपुर	१७२
३४—जालौन	१६८

जिलों के नाम	दिया गया कोटा मैट्रिक टनों में
१	२
३५—हमीरपुर	१६५
३६—बांदा	१७६
३७—गाजीपुर	२०४
३८—बलिया	२११
३९—देवरिया	३४०
४०—नैनीताल	३१०
४१—अल्मोड़ा	१९०
४२—पिथौरागढ़	४०
४३—गढ़वाल	१७०
४४—चमोली	४०
४५—टेहरी गढ़वाल	१००
४६—उत्तर काशी	२५
४७—उन्नाव	१७६
४८—राय बरेली	१९६
४९—हरदोई	३०५
५०—खीरी	२२१
५१—सुल्तानपुर	१९३
५२—प्रतापगढ़	१६९
५३—मैनपुरी	२३१
५४—एटा	२८५
	१९,२७५
दो तीन सप्ताह तक विशेष मांगों की पूर्ति हेतु सुरक्षित ..	७२५
योग ..	२०,०००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के ३रे सोमवार के लिये निर्धारित श्री नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में दी गई तालिका

तालिका

जेल उद्योग सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में की गई मुख्य मुख्य सिफारिशें—

१—विशेष उद्योगों जैसे तम्बू, कम्बल इत्यादि के लिये कम से कम ६ माह का कच्चा माल हमेशा रखना चाहिये जिसके लिये धनराशि का प्रबन्ध आवश्यक है।

२—सरकार अपने सब विभागों को आदेश दे दे कि वे अनिवार्य रूप से अपनी उन वस्तुओं की आवश्यकता जो जेलों में बनती हैं, जेलों से ही पूरी करें, और अपनी आवश्यकता जेल विभाग को वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही बता दें न कि अन्त में।

३—अच्छे कम्बल बनाने के लिये मिलिंग, वार्शिंग और फिनिशिंग मशीनें खरीदी जानी चाहिये।

४—बरेली केन्द्रीय कारागार में लकड़ी चीरने की आरा मशीन शीघ्र लगायी जाय।

५—पीतल का काम बढ़ाने के लिये आवश्यक सज्जा जिसका मूल्य १८,००० रुपये होगा खरीदने का प्रबन्ध किया जाय।

६—जेल उद्योग प्रशिक्षकों का वेतन क्रम उद्योग विभाग में प्रचलित वेतन-क्रम के अनुसार होना चाहिये।

७—जेलों में बने सामान बेचने के लिये एजेन्सी की शर्तें अधिक आकर्षक बनाई जायें।

८—जेलों में और अधिक अम्बर चर्खे के लगाने में शीघ्रता की जाय।

९—उद्योग विभाग के टेकनिकल कर्मचारियों की सेवायें जेलों को भी उपलब्ध की जायं।

———

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

जौनपुर जिले में केवल जौनपुर शहर के निम्न लिखित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को ३०० बोरे से अधिक सीमेन्ट के परमिट सन् १९६२-६३ में दिये गये। अन्य तहसीलों में उक्त मात्रा के परमिट किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिये गये :

१—श्री० एच० एन० सिंह, प्रिंसिपल, टी० डी० कालेज जौनपुर	..	९१८ बोरे
२—श्री पी० पी० सिंह, प्रिंसिपल, टी० डी० इन्टर कालेज, जौनपुर	..	३८१ ,,
३—इंजीनियर, जिला परिषद्, जौनपुर	.. ..	४१० ,,
४—श्री राम लगन सिंह, जौनपुर ..	.. ..	४१० ,,
५—श्री अभय जीत दुबे, जौनपुर ..	.. ..	३१५ ,,
६—डा० के०एन० सिंह, जौनपुर	.. ..	४१० ,,
७—सर्वश्री राजा चन्द्र भाल देव सिंह, राजाबाजार, जौनपुर	..	९१५ ,,

---

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

समय-समय पर जिलों को एलाट किया गया शक्कर

जिलों के नाम	रिलीज आर्डर दिनांक २१–४– १९६३	रिलीज आर्डर दिनांक १४–५– १९६३	रिलीज आर्डर दिनांक १७–६– १९६३	रिलीज आर्डर दिनांक १५–७– १९६३	रिलीज आर्डर दिनांक २७–७– १९६३	रिलीज आर्डर दिनांक २२–८– १९६३
	२०००० एम०टी०	२०००० एम०टी०	२०००० एम०टी०	११,४४० एम०टी०	१९०८२ एम०टी०	२१,७६० एम०टी०
	१५.४ से १५.५ तक	१६.५ से १५.६ तक	१६.६ से १५.७ तक	१६.७ से ३१.७ तक	१.८ से ३१.८ तक	१.९ से ३०.९ तक
१	२	३	४	५	६	७
१—कानपुर ..	१४५०	१९०५	११००	५७५	१२३०	१४४५
२—इलाहाबाद ..	११६४	१११६	९१०	४७५	९५५	८५४
३—झांसी ..	४६०	३६०	४३६	२००	३५०	४६३
४—लखनऊ ..	१६१०	१५५०	१०००	५५४	१०००	९६७
५—बरेली ..	६९०	६५०	५११	२७५	४२५	५९१
६—वाराणसी ..	१३०	१०९४	९८०	४७५	८००	९६८
७—गोरखपुर ..	४६०	४५०	४५०	२५०	४५०	५८०
८—मिर्जापुर ..	३४५	२९८	२५०	१५०	२५०	३३०
९—आगरा ..	१३७९	११००	९६४	५५०	८५०	१०३४
१०—सहारनपुर ..	५५८	६५८	६२७	३५३	६१५	६१९
११—मेरठ ..	९१४	८००	९६५	५००	८५०	१००७
१२—देहरादून ..	२२४	३५०	३५०	२००	३५०	२९५
१३—अलीगढ़ ..	४३७	४७५	४५०	२७५	४५७	५७८
१४—मथुरा ..	१६२	२६९	२७४	२००	२७३	३५१
१५—मुरादाबाद ..	४४५	४००	६००	३२५	५८७	७३०
१६—रामपुर ..	२१५	२००	२००	१२५	२००	२६८
१७—शाहजहांपुर ..	९२	१५५	२५०	१५०	२५०	३३०
१८—मुजफ्फरनगर ..	२३०	२५०	३६०	२२५	३७५	४२५
१९—बदायूं ..	१००	२००	२५१	१५०	२५०	३२२
२०—फर्रुखाबाद ..	१८४	२००	२५०	१५०	२५०	३७०
२१—इटावा ..	३४५	३२०	३००	१७७	३००	२६५
२२—जौनपुर ..	३४५	३००	३००	१७५	३००	३३०
२३—सीतापुर ..	२८०	२८४	३००	१७५	३०२	३४९
२४—फैजाबाद ..	२६८	३५०	४१०	२५०	३५०	३९९

१		२	३	४	५	६	७
२५—बस्ती	..	४३७	४४०	४५०	२५०	४।।०	३७७
२६—आजमगढ़	..	२३०	२३०	३५०	२०१	३।।०	४३०
२७—गोंडा	..	१८४	२००	३००	१७५	३।००	३८१
२८—बहराइच	..	१८४	१७५	२००	१२५	२।।०	२९०
२९—बुलन्दशहर	..	४४५	४४५	४४६	२५०	४।।१	४६६
३०—बाराबंकी	..	४६०	३५०	३००	१७५	३।।०	३२६
३१—बिजनौर	..	११५	१७२	३०१	१७५	३।।०	३७७
३२—पीलीभीत	..	९२	१३२	१५०	१००	१।।०	१९१
३३—फतेहपुर	..	३३१	२००	२००	१२५	२।।०	२०२
३४—जालौन	..	११५	१३८	१५०	१००	१।।०	१९८
३५—हमीरपुर	..	३४७	१९१	१८०	११९	१।।०	१९५
३६—बांदा	..	२३०	१८४	१८०	१२५	१।।०	२०६
३७—गाजीपुर	..	१३८	१३०	२५०	१३९	२।।०	२८६
३८—बलिया	..	११३	२३०	२५६	१५४	२।।७	२४७
३९—देवरिया	..	४५६	४००	४००	२२५	४।।०	३७०
४०—नैनीताल	..	३९१	५००	२७५	१८५	३।।६	३४०
४१—अल्मोड़ा	..	१५७	१५०	२२५	१५०	२।।५	२२०
४२—पिथौरागढ़	..	६९	१००	५०	२८	।।०	७०
४३—गढ़वाल	..	४६	३७१	२२५	१५०	२।।५	२००
४४—चमोली	..	४५	७५	७३	५०	।।०	७०
४५—टेहरी अढ़वाल	..	९२	१००	१२१	१००	१।।५	१३०
४६—उत्तर काशी	..	४६	५०	५०	५०	।।०	५५
४७—उन्नाव	..	९९	२००	२००	१२५	२।।०	२०६
४८—रायबरेली	..	२९९	२०१	२००	१२५	२।।०	२२६
४९—हरदोई	..	२३०	२३४	३००	१७५	३।।०	३३५
५०—खीरी	..	१९२	१९२	२२८	१२५	२।।०	२५१
५१—सुल्तानपुर	..	२७०	२५०	२४९	१५०	२।।०	२२३
५२—प्रतापगढ़	..	२३०	२००	२००	१२५	२।।०	१९९
५३—मैनपुरी	..	११५	१७५	२००	१२४	२।।०	२६१
५४—एटा	..	९२	१५०	२६९	१५०	२।।०	३१५

अप्रैल मई से सितम्बर १९६३ तक जो शक्कर भारत सरकार से प्राप्त हुई उसका ब्यौरा

रिलीज आर्डर दिनांक		मात्रा मी० टन में
२०–४–६३	..	२०,०००
१४–५–६३	..	२०,०००
१७–६–६३	..	२०,०००
१५–७–६३	..	११,४४०
२७–७–६३	..	१९,०८२
२२–८–६३	..	२१,७६०
योग	..	१,१२,२८२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

विधान सभा के तीसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ७९ और ८० के उत्तरों से सम्बन्धित सूचना

सन् १९६० में निकाले गये कर्मचारियों की सूची जिनका जमानत का रुपया विभाग में बाकी पड़ा है ।

क्रम-संख्या	कर्मचारियों का नाम	पद	जमानत का रुपया जो बाकी है	जमानत वापिस न किये जाने का कारण
१	२	३	४	५
			रु० नये पैसे	
१—श्री सीता राम वर्मा	..	एस०एम०आई०	२२५.३८	इनके समय में गोरखपुर रीजन में हुई सरकारी हानियों का अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
२—श्री अब्दल सईद	..	एम० आई०	४३०.१०	इनके समय मे हुई सरकारी हानियों का अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
३—श्री मोतिरका हुसेन रिजवी	क्लर्क		२५.००	इनके संबंध में नान ड्यूज सर्टिफिकेट (Non-dues certificate) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
४—श्री इनामुल्ला अंसारी	क्लर्क		इनकी जमानत के रुपया वाली पास बुक सेंटर से मांगी जा रही है। इस कारण यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितना रुपया इनका जमानत का जमा है ।	इनके संबंध में नान-ड्यूज सर्टिफिकेट (Non-dues certificate) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

क्रम-संख्या	कर्मचारियों का नाम	पद	जमानत का रुपया जो बाकी है	जमानत वापिस न किए जाने का कारण
१	२	३	४	५
५—श्री एस० जी० विशनोई		क्लर्क	४९ रु०	इनके संबंध में नान-ड्यूज सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
६—श्री जमीरुल हसन सिद्दीकी		एम० आई०	१०४ रु०	इनके समय में हुई सरकारी हानियों का अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
७—श्री टोडरमल	..	एम० आई०	जमानत के रुपयों वाली पास बुक सेंटर से मांगी जा रही है। इस कारण यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितना रुपया इनका जमानत का जमा है।	इन्होंने अभी तक जमानत की वापिसी के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है।
८—श्री मदन लाल गुप्त	..	एम० आई०	१०४ रु०	इनके संबंध में नान-ड्यूज सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
९—श्री आर० ओ० सिन्हा	..	एम० आई०	५४ रु०	इन्होंने अभी तक जमानत की वापिसी के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा है आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
१०—श्री बी० के० भटनागर		क्लर्क	जमानत के रुपयों वाली पासबुक सेंटर से मांगी जा रही है। इस कारण यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितना रुपया इनका जमानत का जमा है।	इन्होंने अभी तक जमानत की वापसी के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

RECOMMENDATIONS

The Committee's recommendations are as follows :

1. The requirement of water by the years 1964, 1971, 1981 and 1991 is expected to be 25 mgd, 40 mgd, 50 mgd and 65 mgd, respectively.

2. A supply of 25 mgd is expected to be normally available from the river Yamuna throughout the year.

3. Barring the 4 summer months, even the ultimate supply of 65 mgd will always be available from the River Yamuna.

4. The source of additional supply of 40 mgd during the 4 summer months should be as below :

(*a*) A supply of 8 mgd should be drawn from the existing Keetham Reservoir for 120 days.

(*b*) By raising the F. S. L. of the existing Keetham Reservoir, an additional supply of 7 mgd for 120 days will be available. This will make a total of 15 mgd additional supply.

(*c*) A subsidiary reservoir may be constructed at Keetham, which will increase the additional supply by another 5 mgd, making a total of 20 mgd.

(*d*) Subject to final findings regarding its suitability, a reservoir may be created by providing a Dam on the Jharna Nala. This will increase the additional supply by another 10 mgd., making a total supply of 30 mgd.

(*e*) The balance 10 mgd of the additional required supply during the summer months, will need to be drawn from the Ramganga Reservoir or from any other canal system. This supply should be drawn through the Keetham Reservoir.

5. Due to the uncertain quality of water from the Jharna Nala Reservoir and the discharge in the River Yamuna during the summer months, allocation of additional 300 m. cft. of water from the Ramganga Reservoir will be necessary. This, together with the 200 m. cft. of water (10 mgd for about 120 days)as indicated above, will require a total allocation of 500 m. cft. from the Ramganga source (at the Keetham Reservoir). This quantity will be drawn uniformly during the 4 summer months.

6. Rate of water supply from Ramganga Reservoir to Keetham is to be decided by Government in consultation with the Agra Nagar Mahapalika. However, no charge should be made for water supplied to Keetham from sources other than the Ramaganga Reservoir, as this water is generally escaped to the River Yamuna and is not of any use to the Irrigation Department. These charges for the maintenance of the Keetham Reservoir, as in present practice, should be borne by the Agra Nagar Mahapalika.

7. The Irrigation Department should replenish the Keetham Reservoir as often as possible and whenever canal water is to be escaped to the River Yamuna.

8. The requirement of the Defence Establishments and the Cantonment Board has been increased from 1.5 mgd to 8 mgd,. It is, therefore, essential that the Defence Department participate proportionately in the

capital expenditure on these works. The supply to the Defence Department would be made at a point to be mutually agreed upon by the parties within the limits of the Agra Nagar Mahapalika.

9. The following rate structure is suggested :

(i) Water tax @ 11-1/4 per cent of rental value with Rs. 3 per mensem as the minimum.

(ii) Water Supply through meter—

(*a*) Domestic and purposes other than at (*b*) and (*c*) below, @ 75 nP. per per cent 0 Gallons.

(*b*) Industrial Trade and Construction purposes @ Re. 1 per cent 0 Gallons.

(*c*) Cold storage Ice factories @ Rs. 2.00 per %0 Gallons.

(iii) Water supply in bulk to Cantt. Troops and Airfield @ .60 nP. per % 0 Gallons.

The Military Authorities are of the view that the rate for additional two M. G. D. supply which Mahapalika undertake to give by 1964 should be 0.56 nP. per 1000 gallons as this rate was fixed in case of Cantonment Board, Agra recently. They are further of the view that the rate should be fixed on the agreed principle of rate for bulk supply being lower than the rate for distributed supply.

The Mahapalika's views are that in fact the defence establishment could be supplied 1.5 M.G.D. only by 1964 but at their special behast it may raise this quantity to 3.5 M.G.D. when its new 10 M.G.D. filtration plant under construction is ready, by curtailing 2 M.G.D. from the City's requirements. Such preferential consideration would be possible only if the Defence Authorities give an immediate commitment to share the cost of the reorganisation scheme under execution.

The Committee, however, feel that no rate structure could be rigid or of any permanent nature. The Mahapalika is well advised to adopt such rates forthwith which may make the undertaking self-supporting and to enable it to repay the heavy loans with interest which it has to raise for the execution of its reorganisation schemes.

Whether or not the Defence Authorities will proportionately share the expense of the Reorganisation Scheme is for them to decide. Of course, it is but reasonable that the water supply rate to the Defence establishments should depend on such partnership and should be fixed by mutual negotiation. However, the actual rate may be decided by the Mahapalika in consultation with Government who will naturally safeguard the interest of all parties.

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

फर्रुखाबाद जिले के शक्कर के लाइसेंसदार व्यापारियों के नाम व पते तथा शक्कर जो ३०-९-६३ तक दी गयी

क्रम-संख्या	नाम लाइसेंसदार	पता		शक्कर की मात्रा जो १६-४-६३ से ३०-९-६३ तक एलाट की गई
				मी० टन
१	श्री विशुन दयाल महेशचन्द्र	बजाजा फतेहगढ़	..	१०४.००
२	मेसर्स गेंदनलाल प्यारेमोहन	साहनगंज फर्रुखाबाद	..	१०३.७७
३	,, प्यारे लाल अमरनाथ	मु० मुफ्ती सा० फर्रुखाबाद	..	६५.७०
४	,, गोविन्द प्रकाश रामलाल	किराना बाजार फर्रुखाबाद	..	८८.७०
५	,, गंगादीन पहलादीलाल	नितगंजा ,,	..	८९.००
६	,, सन्तकुमार हेमन्तकुमार	सधवाड़ा ,,	..	९६.५०
७	,, छेदालाल कठोरीलाल	रेलवे रोड ,,	..	७५.००
८	,, धन फूलनारायण महेश्वर नारायण।	सधवाड़ा ,,	..	१४.५०
९	,, रामनारायण राधारमन	कायमगंज	..	१२२.२०
१०	,, बलदेवप्रसाद महेशचन्द्र	,,	..	—
११	,, रामदीन गंगादीन	,,	..	१५.००
१२	,, राजबहादुर फूलचन्द्र	,,	..	९१.००
१३	,, कालीचरन शिवचरनलाल	,,	..	—
१४	,, मुन्नालाल रामेश्वरदयाल	कन्नौज	..	१०२.००
१५	,, विधीचन्द्र बद्रीप्रसाद	,,	..	८६.८०
१६	,, पुत्तूलाल रामचन्द्र	,,	..	७९.३०
१७	,, ज्ञानदत्त मुनालाल	छिबरामऊ	..	९४.००
१८	,, रामदीन विमलाशरन	,,	..	८६.३०
१९	,, दुर्गाप्रसाद कालिका प्रसाद	,,	..	८६.३०

खंडसारी शकर के विक्रेता

१	मेसर्स वैजनाथ श्रीकृष्ण	महाबीरगंज	फर्रुखाबाद
२	,, योगेन्द्रसिंह रवीन्द्रसिंह	नितगजा	,,
३	,, बनवारीलाल महाबीरप्रसाद	कायमगंज	
४	,, कृपा शंकर श्यामाचरन	,,	
५	,, रामलाल शंकरलाल	,,	

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

जिला मुरादाबाद के शहरी क्षेत्रों एवं देहाती क्षेत्रों में दिये गये सीमेंट का ब्योरा

क्षेत्र का नाम	वर्ष	सीमेंट जो दी गई	वर्ष	सीमेंट जो दी गई
शहरी क्षेत्र—				
मुरादाबाद ..	१९६१–६२	५२,९४८ बोरी	१९६२–६३	६१,२९५ बोरी
चन्दौसी ..	,,	३,१५१ ,,	,,	३,२४६ ,,
सम्भल ..	,,	३,३४८ ,,	,,	२,१४६ ,,
अमरोहा ..	,,	५,११३ ,,	,,	४,५२४ ,,
हसनपुर ..	,,	२,७४८ ,,	,,	४,१२० ,,
अन्य देहाती क्षेत्रों को ..	,,	७९,०७६ ,,	,,	७८,०८५ ,,

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

कटान के सम्पादन का ढंग

निम्नलिखित प्रकार के वृक्ष काटे जावेंगे—

(अ) समस्त मरे हुये और मरते हुये वृक्ष,

(ब) निम्नलिखित प्रकार के वृक्षों को छोड़ कर १६ इंच से अधिक व्यास के वृक्ष,

(१) सड़क से मिले हुये गांवों, मन्दिरों और कुओं के पास के वृक्ष जोकि १० वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के लायक हैं,

(२) जो वृक्ष १० वर्ष से अधिक जीवित रहने के लायक हैं, सीधे हैं, लगभग एक ही आयु के हैं और एक या अधिक फर्लांग तक एक रूप का कुंज बनाते हैं।

(स) १६ इंच से कम व्यास का भद्दा और बुरी आकृति का कोई वृक्ष।

(द) शॉकवेल्ट के वृक्ष।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

इलाहाबाद के स्टील ट्रंक के व्यापारियों की मांगों का विवरण

(क) जिला पूर्ति अधिकारी, इलाहाबाद से कहा जाय कि इलाहाबाद के रजिस्टर्ड फेब्रिकेटरों को फेब्रिकेशन का सामान दिलायें और उनके कोटे के अनुसार उन्हें परमिट दें।

(ख) उन्हें यह आदेश भी दिया जाय कि वे उन लोगों को फेब्रिकेशन के सामान का परमिट न दें जो अन्य नियन्त्रित जगहों से इसे प्राप्त करते हैं।

(ग) जो कोटा दो साल तक बन्द रहा उसे वहां के स्टाक वालों को रजिस्टर्ड फैब्रिकेटरों में पी० आई० एस० सी० द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार वितरण के हेतु दिया जाय।

(घ) राज्य सरकार या अन्य उपयुक्त अधिकारी लोहा तथा स्पात नियंत्रक से कहे कि २ साल तक जो कोटा बन्द रहा उसे देने में प्राथमिकता दें।

(ङ) दोषयुक्त टिन की चादरों आदि के अवशेषों के सम्पूर्ण स्टाक सदा की तरह फेब्रिकेटरों में बंटवारे के लिये सुरक्षित किया जाय।

(च) प्रोड्यूसरों को आदेश दिया जाय कि वे सीधे व्यक्तिगत फेब्रिकेटरों को या उनके संघ को कोटे के अनुसार वैगन दें।

(छ) प्रोड्यूसरों को यह आदेश भी दिया जाय कि वे फेब्रिकेटरों के संघ को एडहाक कोटा दें जिससे कि २ साल तक स्थगित कोटा की कमी पूरी हो जाय।

(ज) कानपुर तथा आगरा के फेब्रिकेटरों को लोहा तथा स्पात नियंत्रक से सीधे कोटा प्राप्त करने की जो सुविधा मिली है वह इलाहाबाद वालों को भी दी जाय।

(झ) प्रान्तीय लोहा तथा स्पात नियंत्रक से कहा जाय कि वे इलाहाबाद के लोहे के स्टाक वालों को उनकी त्रैमासिक मांगों पर ९० प्रतिशत चादरों व अवशेषों को दें।

(ञ) प्रोड्यूसरों को आदेश दिया जाय कि वे बी० पी० तथा जी० पी० लोहे की चादरों व उनके अवशेषों को न किसी को बेंचे और न नीलाम करें बल्कि रजिस्टर्ड फेब्रिकेटरों में बटवारे के लिये स्टाक वालों के पास भेजें।

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

सीमेंट स्टाकिस्ट की सूची जिनके द्वारा सीमेंट प्राप्त हुआ जनवरी १९६३ से अक्टूबर २२, १९६३

क्रम संख्या	स्टाकिस्टों के नाम	प्राप्त की हुई सीमेंट (मैट्रिक टनों में)
१	डी० सी० एफ०, गाजीपुर	२३०
२	डी० सी० एफ०, सईदपुर	९४
३	डी० सी० एफ०, करीमुद्दीनपुर	९३
४	सेठ राधाकृष्णा बिमल कुमार, गाजीपुर	२०८
५	लछमनराम हरी नरायन, गाजीपुर	१८७
६	विजय बहादुर विजय शंकर , जमनियां	६६२
७	रघुनाथ राम नरायन, तराईघाट	३९६
८	प्रेम शंकर त्रिपाठी, मोहम्मदाबाद	३४८
९	सहकारी क्रय विक्रय समिति, सईदपुर	१८७
१०	बलौ मुहम्मद, सईदपुर	१८७
११	परसुराम राय सूबेदार सिंह, तराईघाट	७०
१२	हिन्दू डिग्री कालेज, जमनियां	९४
१३	बैजनाथ प्रसाद, जमनियां	१४०
१४	सीताराम सोमारू प्रसाद, दुल्लाहपुर	९५
१५	देवकी नन्दन केदार नाथ, युसूफपुर	२३३
१६	देवकी नन्दन केदारनाथ, गाजीपुर	९४
१७	राम सरन रामेश्वर, सादत	११७
१८	अनमोल राम शंकर, युसूफपुर	१८५.२
१९	अनमोल राम शंकर, गाजीपुर	७२.६
२०	भगवती प्रसाद केनोरिया, दिल्दारनगर	७२.६
२१	भगवती प्रसाद केनोरिया, भदौरा	४८.६
२२	मोहन लाल गुप्ता, गाजीपुर	९६.९
२३	मूलचन्द शंकर लाल, जमनियां	४८
२४	गोपी कृष्ण ओम प्रकाश, गाजीपुर	१६८
२५	गोपी कृष्ण ओम प्रकाश, यूसुफपुर	२४
२६	गोपी कृष्ण ओम प्रकाश, नन्दगंज	२४
२७	महेश नन्द, सईदपुर	४७.१०
२८	बद्री प्रसाद गोरखप्रसाद, सईदपुर	९५.१८
२९	मोहन राम अवतार राम, सादत	४७.१९
३०	सीताराम राम धनी, यूसुफपुर	२४.३
३१	रघुनाथ राम विश्वनाथ राम, जमनियां	२४
३२	महादेव प्रसाद रघुनाथ प्रसाद, बहादुरगंज	२४
३३	विष्णु एन्ड को०, गाजीपुर	२४
३४	सीताराम राम धनी, बहादुरगंज	२४

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

जुलाई, अगस्त, तथा सितम्बर, १९६३ में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों के बाजारों में जौ, चना, मटर, तथा गेहूं के प्रति क्वीन्टल थोक भाव की तालिका

(आंकड़े रुपये तथा न० पै० में)

माह	नाम अनाज	जिला			
		गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़
जुलाई, १९६३	गेहूं	४६.५२ से ४८.२३ तक	४२.५३ से ४३.५४ तक	४१.५३ से ४२.८७ तक	४८.६७ से ४९.३२ तक
	चना	४०.१२ से ४१.८२ तक	४०.८६	३८.८५ से ३९.५२ तक	४८.२३ से ४९.७५ तक
	जौ	२५.०८ से २७.१२ तक	३२.४१ से ३२.८९ तक	२५.४५ से २६.७९ तक	३७.४२ से ३८.३२ तक
	मटर	३३.४२ से ३४.७६ तक	३५.१५ से ३७.५१ तक	३२.०२ से ३२.८२ तक	३४.७० से ३४.९५ तक
अगस्त, १९६३	गेहूं	४६.१७ से ४६.८९ तक	४३.५४	४१.५३ से ४२.८७ तक	४९.९७ से ५२.२५ तक
	चना	४०.१९ से ४०.८६ तक	४१.५३	३६.१७ से ३८.८५ तक	५०.०० से ५०.९१ तक
	जौ	२७.२८ से २८.१३ तक	३२.१५ से ३४.८३ तक	२४.११ से २६.७९ तक	३८.५७ से ४१.३४ तक
	मटर	३३.४० से ३३.६५ तक	३६.३३ से ३६.३७ तक	३०.१४ से ३२.१५ तक	३५.२० से ४०.६७ तक
सितम्बर, १९६३	गेहूं	४६.८९ से ४६.९५ तक	४३.५४ से ४४.२९ तक	४१.५३ से ४२.८७ तक	५२.३९ से ५२.९६ तक
	चना	४२.२० से ४६.६४ तक	४१.५३ से ४२.८७ तक	३६.८४ से ३८.८५ तक	५०.२५
	जौ	२९.४७ से ३२.४७ तक	३२.१५ से ३४.८३ तक	२४.११ से २६.७९ तक	३९.३५ से ४०.०० तक
	मटर	३३.६५ से ३६.५२ तक	३६.३७ से ३७.५१ तक	३२.१५ से ३६.१७ तक	३८.६८ से ३९.३३ तक

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६३

उ० प्र० अधिनियम संख्या २७, १९६२ का निरसन

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ का निरसन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २७, १९६२ का निरसन

२—उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२, १ जुलाई, १९६३ से निरस्त होगा या किया गया समझा जायगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६२ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २७, १९६२) में, १ जुलाई, १९६२ से मालगुजारी या लगान पर आपातिक अधिभार के उद्ग्रहण की व्यवस्था की गयी थी । अब, इस उद्ग्रहण को १ जुलाई, १९६३ से वापस लेना इष्टकर समझा गया है । तदनुसार, यह निरसन विधेयक उक्त प्रयोजन के लिये पुनः स्थापित किया जा रहा है ।

हुकुम सिंह बिसेन,
राजस्व मंत्री ।

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३८७ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि-उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय के विनियमन और उनके लिये मंडियों की स्थापना तथा उनके अधीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था करने का

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाएं

२—(१) विषय वा प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में —

(क) "कृषि–उत्पादन" का तात्पर्य कृषि, उद्यानकर्म, रेशम–उत्पादन (Sericulture), मत्स्य संवर्द्धन, पशुपालन तथा वन से होने वाले समस्त या किसी उत्पादन से है, चाहे वह कृत प्रक्रिया (Processed) हो अथवा न हो ;

(ख) "दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारबार के सामान्य क्रम में कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या जिन्स में, अपने प्रतिनियोक्ता (Principal) की ओर से कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय के संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनियोक्ता का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसे संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो ;

(ग) "उप-विधि" का तात्पर्य समिति द्वारा धारा ३६ के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उप-विधियों से है ;

ऐक्ट संख्या ५९, १९६२

(घ) "केन्द्रीय गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से है;

(ङ) "आढ़तिया" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारबार के सामान्य क्रम में कृषि-उत्पादन के स्वामी अथवा विक्रेता या क्रेता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि-उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो या करने का प्रस्ताव करता हो ;

(च) "समिति" का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय ३ के अधीन संघटित समिति से है;

(छ) "सहकारी क्रय-विक्रय समिति" का तात्पर्य कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों द्वारा उगाये, पाले-पोसे या पकड़े गये या प्रक्रिया किये गये (Processed) कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय को बढ़ाना हो; ऐक्ट, संख्या २ १९६२

(ज) "निदेशक" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत अपर कृषि निदेशक भी है, ;

(झ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाय;

(ञ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित किसी अधिनियमिति के अधीन संघटित या स्थापित नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, अन्तरिम जिला परिषद् जिला परिषद् या गांव सभा से है;

(ट) "मंडी" का तात्पर्य मंडी–क्षेत्र के किसी ऐसे स्थान से है जहां कृषि-उत्पादन का विक्रय या क्रय किया जाता हो ;

(ठ) "मंडी-क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा ६ के अधीन इस रूप में विज्ञापित किया गया हो या जो धारा ८ के अधीन यथा परिवर्तित हो ;

(ड) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है ;

(ढ) "पल्लेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रधान मंडी स्थल या उप-मंडी स्थलों के भीतर कृषि-उत्पादन का दड़ा बनाने या कृषि-उत्पादन को लादने-उतारने, भरने या खाली करने या उसका परिवहन करने में लगाया गया हो ;

(ण) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(त) "प्रधान मंडीस्थल" का तात्पर्य मंडी क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा ७ के अधीन इस रूप में घोषित हो ;

(थ) "उत्पादक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि-उत्पादन को या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उगाये, पाले-पोसे या पकड़े या उस पर प्रक्रिया (Processed) करे, किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं है जो व्यवसायी, दलाल या आढ़तिया के रूप में भी कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि-उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारबार करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति उत्पादक है अथवा नहीं तो, निदेशक का निर्णय, जो ऐसी जांच के पश्चात् जो नियत की जाय दिया गया हो, अन्तिम होगा;

(द) "क्रय" के अन्तर्गत वस्तु-विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा पेशगी दी गयी धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी है ;

(ध) "विक्रय" के अन्तर्गत वस्तु विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी है ;

(न) "सचिव" का तात्पर्य धारा २१ के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

(प) "निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन" का तात्पर्य धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन से है;

(फ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ब) "राज्य गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये उत्तर प्रदेश के स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से है; ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

(भ) "उप-मंडी–स्थल" का तात्पर्य मंडी-क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से जो धारा ७ के अधीन इस रूप में घोषित हो;

(म) "सर्वेक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका कार्य विक्रयार्थ कृषि-उत्पादन के पारेषणों का उसके गुण, छीजन (refraction) तथा मिलावट देखने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए, सर्वेक्षण करना हो;

(ककक) "व्यापारिक परिव्यय" का तात्पर्य किन्हीं ऐसे परिव्ययों में है जो सम्बद्ध मंडी-क्षेत्र में व्यापार की किसी रूढ़ि या प्रथा के अनुसार किसी कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे में वसूल किये जाते हों या किये जा सकते हों और इसके अन्तर्गत मंडी के ऐसे अन्य परिव्यय भी होंगे जो उसके विक्रय या क्रय कार्य करने वाले व्यक्ति को देय हों;

(खख) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं अपनी ओर से अथवा एक या अधिक प्रतिनियोक्ताओं के यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्त्ता के रूप में कृषि उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो, तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो कृषि-उत्पादन के प्रक्रिया कार्य में लगा हो।

(गग) "गांव" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो तत्समय प्रचलित विधि के अधीन रखे गये राजस्व अभिलेखों में इस रूप में लिखा हो;

(घघ) "तोलक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपने कारबार के सामान्य क्रम में प्रधान मंडी-स्थल या उप-मंडीस्थल में कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय के सौदे के सम्बन्ध में उसके पारेषणों (consignments) को तौलने का काम करता हो;

(ङङ) "तौलने या मापने का यंत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ में यथापारिभाषित तौलने का यंत्र या मापक यंत्र से है; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९

(चच) "बांट या माप" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बांट या माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ में यथापरिभाषित व्यापारिक बांट या माप अथवा मानक बांट या माप से है। उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९

कतिपय दशाओं में अधिनियम के उपबन्धों का प्रवृत्त न होना

३––इस अधिनियम के उपबन्ध, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी क्रय या विक्रय पर प्रवृत्त न होंगे।

अन्य विधि के विरुद्ध होना

४––(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई असंगत बात वी हो।

ऐक्ट संख्या १०, १९५५

(२) इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ की धारा ३ के उपबन्ध और तद्धीन दी गयी आज्ञाएं प्रभावी होंगी, भले ही इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या दी गयी आज्ञा में कोई असंगत बात दी हो ।

अध्याय २

मंडी-क्षेत्र तथा मंडी-स्थल

किसी क्षेत्र में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के अभिप्राय की घोषणा

५—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि किसी ऐसे क्षेत्र में किसी कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित किया जाय, जहां पर सामान्यतः इस प्रकार के सौदे किये जाते हैं और इस प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र को मंडी-क्षेत्र घोषित किया जाय, तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा और नियत रीति से प्रकाशन द्वारा भी ऐसा करने के अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकती है और प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित कर सकती है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई भी आपत्ति, ऐसी अवधि के भीतर भेजी जा सकती है, जो नियत की जाय । वह निदेशक को सम्बोधित की जायेगी; जो कि उसे, उस पर अपनी समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा ।

मंडी-क्षेत्र की घोषणा

६—धारा ५ में अभिदिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार करेगी और तदुपरान्त गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, यह घोषणा कर सकती है कि धारा ५ के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग ऐसे कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मंडी -क्षेत्र होगा ।

प्रधान मंडी-स्थल और उपमंडी स्थलों की घोषणा

७—धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग को, जहां किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का विक्रय, क्रय या संग्रह करने या उस पर प्रक्रिया करने का कार्य होता हो प्रधान मंडी-स्थल के रूप में और उपर्युक्त ऐसे अन्य भागों को जो आवश्यक समझे जायें, उपमंडी-स्थलों के रूप में घोषित करेगी ।

मंडी-क्षेत्र में परिवर्तन और कृषि-उत्पादन की सूची का परिष्कार

८—राज्य सरकार किसी समय, लोक-हित में, गजट में विज्ञप्ति द्वारा—

(क) धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित मंडी-क्षेत्र से या कृषि उत्पादन की सूची से कोई क्षेत्र या कृषि-उत्पादन निकाल सकती है; या

(ख) धारा ५ और ६ के उपबन्धों का अनुसरण करने के पश्चात् उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित मंडी-क्षेत्र में या कृषि-उत्पादन की सूची में कोई अन्य क्षेत्र या कृषि-उत्पादन सम्मिलित कर सकती है,

और तदुपरान्त धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित मंडी-क्षेत्र और कृषि-उत्पादन की सूची को इस धारा के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से तदनुसार परिवर्तित समझा जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व राज्य सरकार प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में ऐसी रीति से जो नियत की जाय, आपत्तियां आमंत्रित करेगी और यदि कोई आपत्ति हो, तो उस पर विचार करेगी ।

मंडी-क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव

९—(१) किसी क्षेत्र के मंडी-क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेन्स के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण से, अन्यथा मंडी-क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने (storage) या तोलने या उस पर प्रक्रिया करने (processing) के लिए किसी स्थान की न स्थापना करेगा न उसे बनाये रखेगा और न उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई विपरीत बात हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्पादक के अपने द्वारा उगाये, पाले-पोसे, पकड़े गये या प्रक्रिया किये गये कृषि-उत्पादन के विक्रय करने पर लागू न होंगे ।

(२) कोई व्यक्ति समिति से तदर्थ लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी प्रधान मंडी-क्षेत्र या किसी उप मंडी-क्षेत्र में धारा ६ के अधीन घोषित कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में, व्यवसायी, व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, सर्वेक्षक, गोदाम-परिचालक (Ware-house man) तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो नियत किया जाय न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा ।

नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं लिए जा सकेंगे

१०—उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे और जो धारा १३ के अधीन समिति के संघटन के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत होने के पहले का न होगा, कोई व्यक्ति, प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थल में, निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई व्यापारिक परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रतिदावे में, कोई व्यापारिक परिव्यय, जो इस प्रकार नियत न हो, नहीं दिलायेगा ।

अध्याय ३

मंडी-समिति

समिति की स्थापना और उसका निगमन

११—(१) प्रत्येक मंडी-क्षेत्र के लिए समिति होगी जो उस मंडी-क्षेत्र की मंडी समिति कहलायेगी जो सतत् अनुक्रम वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक अभिकृत मुहर होगी । इस या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा आरोपित निर्बन्धनों के यदि कोई हों अधीन रहते हुए, वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उस नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और वह सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी, उसे धारण कर सकेगी तथा उसका निस्तारण कर सकेगी और संविदा कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति किसी अचल सम्पति का हस्तान्तरण अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक में यथाविधि पारित संकल्प के अनुसरण से अन्यथा या निदेशक के लिखित पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं करेगी ।

(२) समिति, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय प्राधिकारी समझी जायगी ।

समिति का संघटन

१२—(१) धारा १३ के अधीन संघटित प्रथम समिति से भिन्न समिति में पन्द्रह सदस्य होंगे, जो ऐसी अर्हताओं से सम्पन्न होंगे जो नियत की जायें और वह निम्नलिखित रीति से संघटित की जायंगी :—

(१) मंडी-क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले, गांव सभा से भिन्न स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि;

(२) मंडी-क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस रखने वाली सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि;

(३) यदि केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Ware housing Corporation) मंडी-क्षेत्र में कोई गोदाम संचालित करता हो तो उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्यथा राज्य गोदाम निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(४) मंडी-क्षेत्र में, व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, सर्वेक्षक, गोदाम परिचालक, तोलक या पल्लेदार के रूप में कृषि-उत्पादन का कारोबार या काम करने वाले और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के तीन प्रतिनिधि ;

(५) मंडी -क्षेत्र के उत्पादकों के आठ प्रतिनिधि; और

(६) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ।

(२) उपधारा (१) के खंड (१), (२) , (४) और (५) के अधीन निर्वाचित होने के पात्र व्यक्तियों की अर्हतायें उनके निर्वाचन की रीति और तदर्थ निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार होगा और ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जायें ।

(३) उपधारा (१) के खंड (३) और (६) के अधीन सदस्यों का नाम-निर्देशन ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर किया जायगा जो नियत की जाय ।

(४) उपधारा (१) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम निदेशक के पास रजिस्ट्री किये जायेंगे ।

(५) उपधारा (१) के खंड (१), (२), (४) या (५) के अधीन निर्वाचित सदस्य इस रूप में निर्वाचित होने का पात्र न रहने पर सदस्य न रह जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के खंड (४) के अधीन निर्वाचित सदस्य की सदस्यता केवल इसी कारण समाप्त न हो जायगी कि उसका लाइसेंस समाप्त हो गया है यदि उसने लाइसेंस के नवीकरण के लिये तदर्थ नियत समय के भीतर प्रार्थना-पत्र दे दिया हो और वह अस्वीकृत न किया गया हो ।

(६) समिति अपना सभापति तथा उप-सभापति नियत रीति से निर्वाचित करेगी ।

(७) समिति उस दिनांक से संघटित हुई समझी जायगी जब उसके कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के नाम उपधारा (४) के अधीन रजिस्ट्री हो गये हों ।

(८) समिति का कार्यकाल, उपधारा (७) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष का होना और सदस्य का कार्यकाल उपधारा (४) के अधीन उसके नाम का रजिस्ट्रीकरण होने या समिति के संघटित होने, जो भी बाद में हों, के दिनांक से प्रारम्भ होगा और अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अन्य समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

(९) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा उसकी ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि किसी व्यक्ति के समिति के सभापति, उप-सभापति या सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव था या उसके इस प्रकार निर्वाचन या नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या यह कि समिति में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई त्रुटि हुई ।

(१०) उपधारा (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सदस्य नियत अवधि के भीतर और नियत रीति से निर्वाचित न किया जाय, तो राज्य सरकार उस वर्ग में आने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को समिति का सदस्य नियुक्त कर सकती है ।

१३—(१) राज्य सकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के सभापति तथा उप-सभापति सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति, धारा १२ में उल्लिखित वर्गों के व्यक्तियों में से करेगी । प्रथम समिति का संघटन

(२) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (१) के अधीन उसके संघटित होने के दिनांक से तीन वर्ष का होगा, किन्तु राज्य-सरकार लोक-हित में उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया कार्यकाल, धारा के अधीन समिति के संघटित होने के दिनांक को समाप्त हो जाय ।

(३) प्रथम समिति के सभापति और उप-सभापति सहित सदस्यों की पदावधि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाय, किन्तु प्रथम समिति के कार्यकाल से अधिक न होगी ।

१४—यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग-पत्र दे देने या हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाये, तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा की जायगी जिस वर्ग का यह व्यक्ति रहा हो जो सदस्य न रह गया हो और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो : आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक द्वारा आदेश दिया जाय तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जो छः मास से अधिक के लिये न हो ।

१५—(१) धारा १६ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त, समिति प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी-स्थलों का इस प्रकार अनुरक्षण और प्रबन्ध करेगी कि कृषि उत्पादन के उत्पादकों, उपभोक्ताओं और व्यवसायियों का अधिक से अधिक हित हो । समिति के कृत्य और कर्त्तव्य

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना समिति—

(१) कृषि-उत्पादन के उत्पादकों और उसके विक्रय, या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी ;

(२) कृषि-उत्पादन का वर्गीकरण तथा उसकी मान-स्थापना करेगी;

(३) मंडी में प्रयुक्त होने वाले बांटों, मापों और तौलने तथा मापन के यंत्रों की जांच और उनका सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना संबद्ध प्राधिकारियों को देगी ; उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९

(४) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी जो कृषि-उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय-विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिये लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि-उत्पादन के उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी जहां के लिये उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहां से उसका संबंध मंडी-क्षेत्र में आयात करना मितव्ययितापूर्ण हो ;

(५) व्यापार परिव्ययों, मंडी परिपाटियों और कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़िगत रीतियों को स्थिर और विनियमित करेगी ;

(६) प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी-स्थलों में उत्पादकों और वहां पर क्रय-विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिये उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों और मंडी की गलियों, दुकानों, आश्रय-स्थानों, अड्डों, संग्रह-स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जो तदर्थ नियत की जायें ;

(७) प्रधान मंडी-स्थल या उप-मंडी-स्थलों में लाइसेंसधारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो विक्रय या क्रय के सौदे करें, मतभेदों, विवादों या दावों के सभी मामलों में मध्यस्थ के रूप में काम करेगी ;

(८) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा जिसमें उसके द्वारा लिये गये ऋणों पर या राज्य सरकार द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर व्याज के भुगतान की व्यवस्था की जायगी और उक्त बजट निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ;

ऐक्ट संख्या १, १८९४ ।

(९) ऐसे निर्माण-कार्यों के नक्शे और प्राक्कलन तैयार करेगी जो मंडी-क्षेत्र के प्रधान मंडी-स्थल तथा उपमंडी-स्थलों में करने का उसका विचार हो और निदेशक को इस प्रयोजन के लिये लैण्ड-एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करने के लिये लिखेगी ;

(१०) अपने मामलों से संबंधित या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन का कोई वाद, अभियोग या कार्यवाही चलायेगी या उसका प्रतिवाद करेगी ;

(११) अपनी मुहर, लेखा-पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा तथा उन्हें रखने की व्यवस्था करेगी ;

(१२) प्रधान मंडी-स्थल तथा उप-मंडली स्थलों मे प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित और विनियमित करेगी ;

(१३) अपनी उपविधियों को बनायेगी और निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् उन्हें प्रवर्तित करेगी; और

(१४) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो नियत किय जायें ।

समिति के अधिकार

१६—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे :—

(१) मंडी में कार्य करने के लिये व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, सर्वेक्षकों, गोदाम परिचालकों, तोलकों तथा पल्लेदारों को लाइसेंस जारी करना ;

(२) इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द करना :

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय ऐसे आचरण के आधार पर जिससे कि लाइसेंसधारी को धारा ३४ क अधीन सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, लाइसेंस रद्द करने के पहले समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही क विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगी

(३) (क) लाइसेंस देने के लिये शुल्क लगाना और वसूल करना ; और

(ख) प्रधान मंडी-स्थल या उपमंडी-स्थल में कृषि उत्पादन के विक्रय या क्रय के सौदों पर ऐसी दरों से, जो नियत की जायें, मंडी-शुल्क लगाना और वसूल करना, किन्तु वह दर वहां पर विक्रय या क्रय किये गये कृषि-उत्पादन के मूल्य के आधे प्रतिशत से अधिक न होगी ;

(४) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये मंडी समिति-निधि का लेन-देन और उपयोग करना ;

(५) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये अपेक्षित धनराशि, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत से जुटाना ;

(६) धारा २१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करना ;

(७) समिति के दो या अधिक सदस्यों की उप-समितियां नियुक्त करना जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करें, जो कि समिति द्वारा उन्हें सौंपे जायें; और

(८) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो नियत किये जायें ।

समिति की ओर से संविदाएं

१७—(१) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा नियत रीति से निष्पादित की जायगी ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर बंधनकारी न होगी ।

(३) समिति की प्रत्येक आज्ञा सभापति के हस्ताक्षर से या उसके अनुपस्थित अथवा असमर्थ होने पर उप सभापति के, या जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से और समिति की अधिकारिक मुहर लगा कर प्रमाणित की जायेगी ।

मंडी समिति-निधि और उसका उपयोग

१८—(१) प्रत्येक समिति के लिये एक निधि स्थापित की जायगी जो मंडी समिति-निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी हैं, जमा किये जायेंगे ।

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से किये जायेंगे और, यदि कोई अधिशेष धनराशि हो, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी जो नियत की जाये।

(३) धारा १५ के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी प्रयोजनों के लिये या उनमें से किसी के भी लिये कर सकती है :

(१) समिति के लेखों की लेखा-परीक्षा के व्यय ;

(२) समिति द्वारा या उसके लिये नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, पेंशन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश-भत्ते, उपदान, कारुण्य भत्ते और भविष्य निधियों तथा पेंशन में अंशदान भी हैं ;

(३) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके प्रासंगिक व्यय;

(४) समिति के कब्जे की भूमि और भवन के किराये, लगान तथा करों का, यदि कोई हों, भुगतान ; और

(५) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो नियत किये जायें।

(४) (क) प्रत्येक समिति, धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नियोजन के व्यय का भुगतान अपनी निधियों में से राज्य सरकार को करेगी।

(ख) राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नियोजन का व्यय अवधारित करेगी और, यदि उन्हें एक से अधिक समितियों के लिये नियोजित किया जाय तो व्यय को संबद्ध समितियों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगी जो वह उचित समझे। इस विषय में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

वसूल न होने योग्य देयों आदि को बट्टे खाते डालने का अधिकार।

१९—यदि समिति को देय कोई धनराशि उसकी राय में वसूल नहीं हो सकती हो तो वह उसे बट्टे खाते डाल सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि दो सौ रुपये से अधिक की कोई धनराशि निदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना बट्टे खाते न डाली जायगी।

अध्याय ४

समिति के अधिकारी तथा सेवक

सभापति तथा उप-सभापति के अधिकार और कृत्य।

२०—(१) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हों के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किए जायें या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किये जायें।

(२) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें ।

२१—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के तथा तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए समिति, विधियों या समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा या उपविधियों द्वारा अधिकृत सीमा तक, समिति का सभापति या सचिव ऐसे अधिकारियों और सेवकों को, जो मंडी-क्षेत्र, प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी-स्थलों के दक्षतापूर्ण प्रबंध, अधीक्षण और नियंत्रण के लिये आवश्यक हों, सेवा की ऐसी शर्तों पर जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जाये, नियुक्त कर सकता है ।

(२) प्रत्येक समिति का एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जो नियत की जायें ।

(३) राज्य सरकार, समिति के कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन और उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन किये जाने के लिये ऐसे अभियन्ताओं तथा अन्य प्राविधिक (technical) व्यक्तियों को ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त कर सकती है जो नियत किये जायें ।

सचिव के कृत्य, अधिकार और कर्त्तव्य ।

२२—(१) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जायें या जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों द्वारा की जाय ।

(२) पूर्वोक्त उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए सचिव—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि—

(१) उन्हें इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन उचित रूप से तथा दक्षता पूर्वक हो, समिति के समक्ष अधिकारियों और सेवकों के ; तथा

(२) समिति के मामलों के, अधीक्षण और नियंत्रण के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(ख) समिति के अधिकारी या सेवक द्वारा उपेक्षा, दुराचरण या कर्त्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट सभापति को आवश्यक कार्यवाही के लिये देगा और यदि इसके लिये अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध अनुशासन-संबंधी कार्यवाही करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि सभापति या समिति द्वारा जारी की गयी सभी आज्ञाओं का समुचित रूप से पालन किया जाय ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि—

(१) समिति की ओर से प्राप्त या व्यय की गयी सभी धनराशियों के लेखे ;

(२) इस अधिनियम, या तद्धीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन निर्णय के लिये आये हुए विवादों के अभिलेख ; और

(३) उसके द्वारा निपटाये गए विवादों का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, समुचित रूप से रखे जायें,

(३) इस अधिनियम के अधीन सभी लाइसेंस उसके हस्ताक्षर से जारी किय जायेंगे ।

सभापति या निदेशक द्वारा दी गयी आज्ञा के विरुद्ध अपील ।

२३—(१) अधिनियम के अधीन तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये—

(क) समिति के सचिव से अथवा समिति के अधीन काम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से भिन्न, समिति का कोई अधिकारी या सेवक या कोई अन्य व्यक्ति जो समिति या उसके सभापति द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, निदेशक को अपील प्रस्तुत कर सकता है जो उसका निर्णय नियत रीति से करेगा ।

(ख) समिति का सचिव या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और समिति के अधीन काम करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो निदेशक अथवा समिति या उसके सभापति द्वारा उसके विरुद्ध दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध हो, राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो उसका निर्णय नियत रीति से करेगी ।

(२) इस धारा के अधीन अपील उस दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी जब संबद्ध व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को वह आज्ञा जिसके विरुद्ध अपील हो, संसूचित की गयी हो ।

इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण ।

२४—समिति का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में 'पब्लिक सवण्ट' (लोक-सेवक) समझा जायगा ।

अध्याय ५

बाह्य नियन्त्रण

निदेशक के अधिकार और कर्त्तव्य ।

२५—(१) निदशक, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए, समिति, उसके सभापति, उप-सभापति, सदस्यों, सचिव तथा समिति के अधीन काम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियो के ऊपर अधीक्षण तथा नियंत्रण के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायें ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, निदेशक, समिति के मामलों से संबद्ध सभी लेख्यों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और समिति, उसके सभापति, उप-सभापति, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(३) समिति के मामलों से संबद्ध किसी कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उप-सभापति, सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरुद्ध जांच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है, और निदेशक तद्नुसार कार्य करेगा ।

(४) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिये वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्— ऐक्ट संख्या ५ १९०८ ।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायें ।

समिति के किसी सदस्य को हटाने का राज्य सरकार का अधिकार ।

२६—(१) राज्य सरकार, समिति के सदस्य, सभापति या उप-सभापति को हटा सकती है, यदि उसकी राय में वह—

(क) ऐसे सदस्य, सभापति या उप-सभापति के रूप में दुराचरण या कर्त्तव्य की घोर उपेक्षा का दोषी हो; या

(ख) उन अर्हताओं से सम्पन्न नहीं है जो उसके सदस्य, सभापति या उप-सभापति होने के लिये आवश्यक हैं ;

(२) उपधारा (१) के अधीन हटाये जाने की कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपने विरुद्ध आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

समिति का अवक्रमण ।

२७—जब राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी समिति ने अपने कृत्यों का सम्पादन या अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समिति को अवक्रांत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि अवक्रमण की कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि राज्य सरकार ने समिति को अपने विरुद्ध आरोपों के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया हो ।

अवक्रमण के परिणाम ।

२८—(१) धारा २७ के अधीन समिति के अवक्रमण की विज्ञप्ति के प्रकाशित होने पर निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

(१) समिति के सभापति तथा उप-सभापति सहित समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जायगा कि उन्होंने विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से अपने अपने पद रिक्त कर दिये हैं ;

(२) समिति की आस्तियों का प्रबन्ध, अधीक्षण और नियन्त्रण राज्य सरकार को हस्तांतरित हो जायगा और जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नयी समिति संघटित न हो जाय, उसी के पास रहेगा ।

(२) राज्य सरकार, स्वमति से, आज्ञा द्वारा—

(क) या तो यह निदेश दे सकती है कि धारा १२ के अधीन नयी समिति संघटित करने के लिये कार्यवाही की जाय, या

(ख) समिति के कृत्यों के सम्पादन के लिये ऐसा प्रबन्ध कर सकती है जो वह उचित समझे और इस प्रयोजन के लिये निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन समिति और उसके सभापति के सभी कृत्यों का

सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, समिति या सभापति समझा जायगा ।

समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करने का राज्य सरकार का अधिकार ।

२९—(१) राज्य सरकार स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा या उसके सभापति या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का आदेश द्वारा निषेध कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि वह संकल्प या आज्ञा लोकहित के प्रतिकूल है अथवा उसे किसी मंडी-क्षेत्र, प्रधान मंडी-स्थल या उपमंडी-स्थल में कारबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा वह इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रचलित हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का अधिकार समिति को संकल्प न पारित किये जाने या आज्ञा न दिये जाने की दशा में होता और जो सभापति या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आज्ञा के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

समिति को कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आज्ञा देने के राज्य सरकार के अधिकार

३०—राज्य सरकार किसी भी समय समिति द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दिये गये किसी निर्णय या आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समिति की कार्यवाहियां मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिष्कृत या रद्द होनी चाहिये या उलटी जानी चाहिये तो राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

३१—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो उसमें निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन अपने किसी अधिकार या किसी अन्य प्राधिकारी के अधिकारों को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकती है ।

अध्याय ६
विविध

समिति के विरुद्ध वाद

३२—(१) किसी समिति, उसके सभापति, उप-सभापति, या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में तब तक कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा जब तक कि एक लिखित नोटिस के, जिसमें वाद कारण और वादी का नाम तथा निवास-स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने के दिनांक से दो माह न व्यतीत हो गये हों ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस—

(१) यदि वह समिति के लिए हो तो काम के किसी भी दिन उसके कार्यालय में दिया जायगा या उसके सभापति, उपसभापति अथवा सचिव को दे दिया जायगा अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा, और

(२) प्रत्येक अन्य दशा में सम्बद्ध व्यक्ति को दिया जायगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा ।

(३) उपधारा (१) में उल्लिखित कोई वाद-कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न किया जायगा जब तक कि वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिए न हो ।

(४) उपधारा (१) को किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे बाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा ।

३३—सरकार को समिति द्वारा देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है । सरकार को समिति द्वारा देय धनराशियों की वसूली

३४—जो व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करे उसे पांच सौ रुपये तक का अर्थ-दंड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, प्रथम बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने के दिनांक के बाद के प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें कि उल्लंघन जारी रहे, पचास पये तक प्रति दिन के हिसाब से और भी अर्थ-दंड दिया जा सकेगा । शास्ति

३५—(१) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायगा जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो । अपराधों पर विचार

(२) जब तक कि सचिव या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने तदर्थ संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया जाय, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा ।

३६—(१) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति को उपविधियों द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है— उपविधियां

(१) उसके कार्यों का विनियमन;

(२) धारा १६ के खंड (७) के अधीन नियुक्त की जाने वाली कोई उपसमिति की नियुक्ति, उसके अधिकार कर्तव्य और कृत्य ;

(२) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में समिति ने कोई उपविधियां नहीं बनायी हैं अथवा यदि समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियां, निदेशक की राय में पर्याप्त नहीं हैं तो निदेशक उपविधियां बना सकता है जिसमें ऐसे विषयों की उस प्रक्रम तक व्यवस्था होगी जो वह उचित समझे ।

(३) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तोलकों, पल्लेदारों और सर्वेक्षकों के कर्तव्य; और

(४) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन उपविधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हो ।

३७—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है । नियम

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है:—

(१) समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन और उससे सम्बद्ध मामले, जिनके अन्तर्गत मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण और समिति के संघटन से सम्बद्ध अन्य विषय भी हैं,

(२) किसी समिति के सभापति, उप-सभापति या अन्य सदस्यों के पद की रिक्ति की पूर्ति ;

(३) समिति के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन ;

(४) समिति की बैठकों से सम्बद्ध प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है ;

(५) यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जायें ;

(६) समिति तथा उसके सभापति, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों से सम्बद्ध मामले,

(७) लाइसेंस शुल्क और मंडी-शुल्क, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति;

(८) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के जारी किये जाने और उनके नवीकरण की शर्तें ;

(९) इस अधिनियम के अधीन विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(१०) रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण-कार्य के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे तथा स्वीकृत या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायगें ;

(११) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकायें ;

(१२) प्रपत्र जिसमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उनकी लेखा-परीक्षा की जायगी, और वह समय अथवा वे समय जब वे प्रकाशित किये जायेंगे ।

(१३) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्रपत्र तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले ब्योरे ;

(१४) समिति की अधिशेष निधियों के विनियोजन (investment) और उनका निस्तारण करने की रीति ;

(१५) प्रधान मंडी-स्थल या उपमंडी स्थलों में प्रयोग किये जाने वाले बांट तथा माप और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;

(१६) व्यापार परिव्यय, जो प्रधान मंडी-स्थलों या उप-मंडी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे ;

(१७) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण और मान स्थापन ;

(१८) व्यापारियों द्वारा निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की मूल्य–सूची रखना ;

(१९) रीति, जिसके अनुसार मंडी–क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की बिक्री या उसका नीलाम किया जायगा और बोलियां लगायी जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायगा ;

(२०) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है ;

(२१) समिति की ओर से संविदा करने के लिए प्राधिकार और उसे करने की रीति ;

(२२) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दंड, पदच्युत, सेवोन्मुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;

(२३) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उनका निस्तारण करने की प्रक्रिया ;

(२४) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हों, विनियमन ;

(२५) मध्यस्थ–निर्णय और अपीलों की प्रक्रिया तथा शुल्क ;

(२६) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, और तोलकों द्वारा लेखा पुस्तिकाओं का रखा जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण ;

(२७) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग ;

(२८) मंडी क्षेत्र में लाये गये किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था ;

(२९) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिए उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(३०) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;

(३१) दलालों का निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से किसी सौदे में काम करने का निषेध करना ; और

(३२) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सकता हो।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान–मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या संशोधन नियमों के अधोन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उद्देश्य और कारण

कृषि उत्पादन मंडियों में इस समय जो अत्यन्त अव्यवस्थित स्थिति है उसे सभी स्वीकार करते हैं। कृषि उत्पादन को परिव्यय, उद्ग्रहण (Levies) और आहरण (Enactions) के रूप में अनेक प्रकार की धनराशियों का भुगतान करना होता है, किन्तु वह इस प्रकार दिये गये धन की उचित उपयोग के बारे में स्वयं कुछ नहीं कह सकता। विक्रेता और क्रेता के बीच उठने वाले विवाद के विषयों के सम्बन्ध में विक्रेता के पक्ष में मनमाना अभि-निर्णय (Award) देकर उसे (विक्रेता को) सामान्यतः अलाभकर स्थिति में रखा जाता है। मंडी में चालाकी से और बांटों तथा तराजुओं के दोषपूर्ण प्रयोग से उत्पादक को उसके उत्पादन के अधिकृत भाग से भी वंचित कर दिया जाता है भारत सरकार तथा देश में कृषि मंडियों की दशा को अध्ययन करने के लिए नियुक्त विभिन्न समितियों और आयोग भी समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान इन मंडियों की दशा सुधारने की ओर आकृष्ट करते रहे हैं। मंडियों के सम्बन्ध में अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पहले पहल १९३८ में हाथ में लिया गया था, किन्तु यह कार्यान्वित न हो सका क्योंकि तत्कालीन मंत्रि-मंडल ने कार्य आरम्भ करने के पश्चात् तुरन्त ही पद-त्याग कर दिया था। योजना आयोग ने बहुत पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि मंडियों के विनियमन के सम्बन्ध में १९५५-५६ तक विधान अधिनियमित और प्रचलित हो जाना चाहिये। अधिकतर अन्य राज्यों ने इस सम्बन्ध में पहले से ही विधान बना लिये है। निम्नलिखित दिशाओं में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस राज्य में मंडियों को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित विधान तैयार किया गया है :

(१) ऐसे बहु-स्थानीय व्यापार-परिव्ययों, उद्ग्रहणों तथा आहरणों को कम करना जो इस समय उत्पादक-विक्रेताओं से लिये जाते हैं;

(२) सही बांटों तथा तराजुओं के सत्यापन की व्यवस्था करना और यह देखना कि उत्पादक-विक्रेता अपने उचित भाग से वंचित न हों ;

(३) मंडी समितियां स्थापित करना जिन में कृषि उत्पादक को उसका उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ;

(४) यह सुनिश्चित करना कि समस्त रूप से मंडी की उन्नति के लिए मंडी-निधियों का उचित उपयोग करने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादक की बात भी सुनी जाय ;

(५) कृषि उत्पादन के विक्रय के सम्बन्ध में विवादों को न्यायोचित रूप से निपटाने की व्यवस्था करना;

(६) उत्पादक-विक्रेता के लिये मंडी में सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(७) संग्रह की अपेक्षाकृत अच्छी सुविधायें देने का प्रबन्ध करना;

(८) उत्पादक-विक्रेता से लिये जाने वाले अनुचित तथा अप्राधिकृत परिव्ययों तथा उद्ग्रहणों को बन्द करना; और

(९) मंडी सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना जिससे कि कृषि उत्पादकों को उनके उत्पादन का क्रय-विक्रय करने वाली मंडियों से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति की सूचना मिलती रहे।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण-पत्र का ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ का उद्देश्य राज्य के कृषि उत्पादकों को, जिनकी आर्थिक क्षमता निस्संदेह क्षीण होती है, बिचौलियों और मुनाफाखोरों के शोषण से बचाना तथा उन्हें उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाना है। इस प्रकार के क्रय-विक्रय सम्बन्धी सुधारों को अब लगभग सभी देशों में व्यवस्थित रूप दे दिया गया है और हमारे देश के अधिकतर प्रदेशों ने भी इस बारे में पहले से विधान बना लिये हैं।

२—प्रस्तावित विधान अन्ततः आत्मनिर्भर बन जायगा क्योंकि प्रत्येक मंडी समिति का सारा व्यय उस समिति की निधि से पूरा किया जायगा जिसमें खंड १६ (३) के अन्तर्गत उसके द्वारा इकट्ठा किये गये सारे शुल्क तथा मंडी परिव्ययों को जमा किया जायगा। लेकिन प्रारम्भिक अवस्था में मंडी समितियों को कुछ वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता होगी। आरम्भ में, इस विधान के अन्तर्गत २५० मंडी समितियों की स्थापना एक क्रमबद्ध व्यवस्था के अनुसार करने का प्रस्ताव है। इनमें से ५० समितियों के शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जाने की आशा की जाती है। उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें ऋण दिया जायगा। यह ऋण, ब्याज सहित उचित सालाना किस्तों में जो शासन द्वारा निश्चित की जायेंगी, वसूल किया जायगा। शेष २०० मंडी समितियों को प्रथम तीन वर्षों में उनके ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय को पूरा करने के लिये राज सहायता दी जायगी। उन्हें इस अवधि में, शेष ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय तथा सम्पूर्ण अनावर्तक व्यय को पूरा करने के लिए ब्याज वाला ऋण भी दिया जायगा। तत्पश्चात् उन समितियों के आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है।

३—इसी प्रकार समिति के कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन एवं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये, विधेयक के खंड २१ (३) के अन्तर्गत, प्राविधिक कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति पर भी कुछ व्यय होने की संभावना है। यह व्यय विधेयक के खंड १८ (४) के अनुसार समिति से अन्ततः वसूल कर लिया जायगा। इस समय यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि मंडी समितियों को कितने ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, अतएव उस सम्बन्ध में होने वाले व्यय के निश्चित तखमीने देना संभव नहीं है।

४—अनुदान और ऋण के भुगतान का व्यय विधान मंडल द्वारा अनुमोदित मंडियों के विनियमन सम्बन्धी तृतीय पंचवर्षीय योजना की स्कीम से किया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत ५० लाख रु० व्यय करने का विचार है जिसमें से ३१.२४ लाख रु० ऋण देने के लिए और शेष १८.७६ लाख रु० राज सहायता के लिए है। राज सहायता का व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ५०:५० के आधार पर वहन किया जायगा। इस प्रकार राज्य कोष पर केवल ९.३८ लाख रुपये का व्यय भार पड़ेगा।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री।

ज्ञापन पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी-विधेयक, १९६३ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है, जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश कृषि-उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्गस्त है । खंड ३७(१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये सामान्य रूप से, और खंड ३७ के उपखंड (२) में दिये गये कतिपय विषयों के लिये विशेष रूप से नियम बनायें । ये नियम विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त, उस (विधेयक) में, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधि-नियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुये बनाये जायेंगे । विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण करने और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि खंड ३७ के उपखंड (३) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे ।

उपर्युक्त खंड के अतिरिक्त, विधेयक के अन्य खंडों में भी प्रतिनिहित विधायन की प्रस्थापनायें हैं और उन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है:—

खंड ५ (१) — इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे, जिसके अनुसार वह किसी कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित करने के लिए किसी क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करने के अपने अभिप्राय की घोषणा प्रकाशित करे ।

खंड ५(२) — इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी अवधि नियत करे जिसके भीतर खंड ५ के उपखंड (१) के अधीन मंडी-क्षेत्र की प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकें ।

खंड ६ — इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे, जिसके अनुसार कोई सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग मंडी-क्षेत्र घोषित किया जा सके ।

खंड ८ — इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार मंडी-क्षेत्र से किसी क्षेत्र को या मंडी-क्षेत्र अथवा कृषि उत्पादन की सूची से किसी कृषि-उत्पादन को निकाल देने की राज्य सरकार की घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित कर सके और उन पर विचार कर सके ।

खंड ९ — इस खंड के उपखंड (२) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह नियमों द्वारा उस रूप को (इस उपखंड में जो पहले से ही निर्दिष्ट है उनके अतिरिक्त) नियत करे जिस रूप में कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी प्रधान मंडी-स्थल या किसी उप-मंडी-स्थल में न तो काम करेगा और न कारबार करेगा ।

खंड १० — इस खंड में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रधान या उप-मंडी-स्थल में क्रय तथा विक्रय के सौदों पर लगाये जाने वाले व्यापारिक परि-व्ययों को नियत करे ।

खंड १२ — (१) उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खंड १३ के अधीन संघटित प्रथम समिति से भिन्न समिति के सदस्यों की अर्हतायें नियत करे ।

(२) उपखंड (२) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उपखंड (१) की मद (१), (२), (४) और (५) के अधीन निर्वाचित होने के पात्र व्यक्तियों की अर्हतायें और वह रीति नियत करे जिसके अनुसार उनका निर्वाचन और तदर्थ निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन किया जाय ।

(३) उपखंड (३) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति जिसके अनुसार और वह अवधि जिसके भीतर उप-खंड (१) की मद (३) और (६) के अधीन समिति के लिये सदस्यों का नाम-निर्देशन किया जाय नियत करे ।

(४) उपखंड (६) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार समिति के सभापति और उप-सभापति का निर्वाचन किया जाय ।

खंड १५ — इस खंड के उपखंड (२) में, समिति के कृत्यों की व्यवस्था करते हुये, राज्य सरकार को मद (६) के अधीन यह अधिकार दिया गया है कि वह उसमें मद (६) में पहले से ही निर्दिष्ट सुख-सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसी सुख-सुविधाओं को नियत करे जिसकी व्यवस्था समिति प्रधान मंडी-स्थल या उप-मंडी-स्थल में कर सकती है । इसी प्रकार इस उपखंड की मद (१४) में भी राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे अन्य कृत्यों और कर्त्तव्यों को नियत करे जो विधेयक में निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं है, किन्तु जिनका सम्पादन और पालन समिति कर सकती है ।

खंड १६ — (१) इस खंड की मद (३) (ख) के अधीन राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया ह कि वह प्रधान-मंडी-स्थल या उप-मंडी-स्थल में कृषि उत्पादन के विक्रय या क्रय के सौदे पर मंडी-परिव्यय की वे दरें नियत करे जिन्हें समिति लगा सके और वसूल कर सके, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार नियत दर मंडी-क्षेत्र में बेचे या खरीदे गये कृषि-उत्पादन के मूल्य के आधे प्रतिशत से अधिक न होगी ।

(२) मद (८) में राज्य सरकार को ऐसे अन्य अधिकारों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जिनका प्रयोग समिति कर सके ।

खंड १८ — (१) इस खंड के उपखंड (२) में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार समिति की अतिरिक्त धनराशि विनियोजित की जाय ।

(२) इस खंड के उपखंड ३(५) में राज्य सरकार को, उक्त उपखंड (३) की मद (१) से (४) तक में पहले-ही से निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न उन प्रयोजनों को नियत करने का अधिकार दिया गया है जिन के लिए समिति अपनी निधियों का उपयोग कर सके ।

खंड २० — इस खंड के उपखंड (१) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह नियमों द्वारा, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करने के अधिकार के साथ-साथ, ऐसे अधिकारों और कर्त्तव्यों को भी नियत करे जिनका प्रयोग और पालन सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति करेगा ।

खंड २१ — (१) इस खंड के उपखंड (२) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह समिति के सचिव की नियुक्ति के लिए शर्तों को नियत करे ।

(२) इस खंड के उपखंड (३) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे अभियंताओं और प्राविधिक व्यक्तियों को नियत करे जो समिति के कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन और उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

खंड २२ (१) इस खंड के उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह समिति के सचिव द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कृत्यों, प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकारों और पालन किये जाने वाले कर्त्तव्यों को नियत करे ।

(२) इस खंड के उपखंड २(घ) (३) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा प्रपत्र नियत करे जिसमें समिति का सचिव अपने द्वारा निपटाये गये विवादों का अभिलेख रख सके ।

खंड २३ (१) इस खंड के उपखंड (१) (क) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार समिति के सचिव से तथा समिति के अधीन काम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से भिन्न, समिति के किसी अधिकारी या सेवक, मंडी का कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, और या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, समिति या उसके सभापति की आज्ञा के विरुद्ध, प्रस्तुत की गई अपील पर निदेशक द्वारा निर्णय दिया जाय ।

(२) इस खंड के उपखंड १(ख) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार समिति के सचिव या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और समिति अधीन काम करने वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा, निदेशक, समिति या उसके सभापति की आज्ञा के विरुद्ध, प्रस्तुत की गयी अपील पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जाय ।

खंड २५ (१) इस खंड के उपखंड (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह समिति, उसके सभापति, उप सभापति, सदस्यों तथा सचिव के ऊपर अधीक्षण तथा नियंत्रण के ऐसे अधिकारों को नियत करे, जिनका प्रयोग निदेशक द्वारा किया जाय ।

(२) इस खंड के उपखंड ४(ग) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह उक्त उपखंड (४) की मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न ऐसे विषयों के लिये, जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के निमित्त निदेशक को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हों ।

प्रतिनिहित विधायन की यह प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं ।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० १६४ एल० ए०—१९६४—८६० ।